खण्ड-338, अंक-9
गुरूवार, 27 वैशाख, शक संवत् 1901
(17 मई, 1979 ई0)

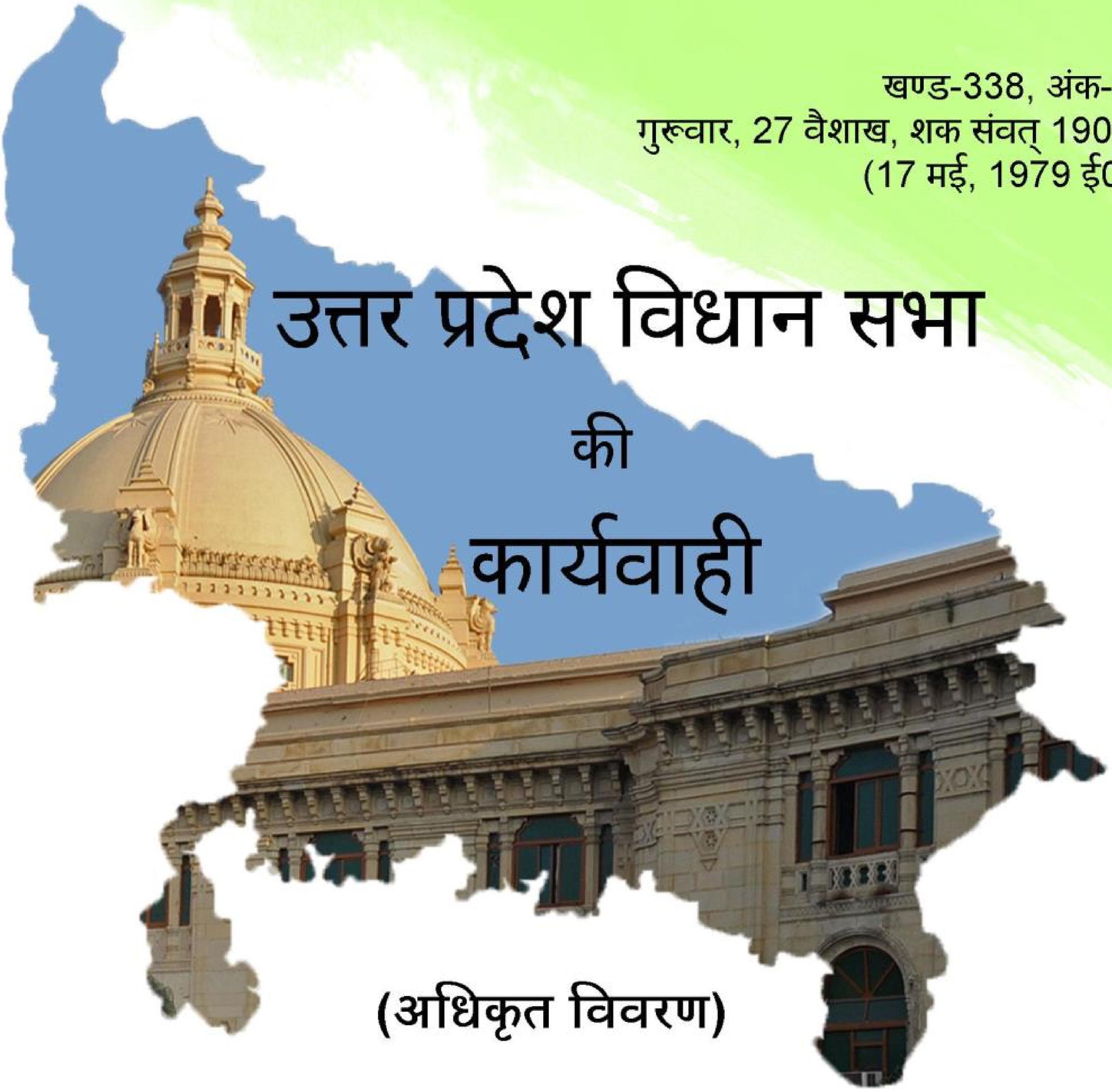

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 338 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	975-976
प्रश्नोत्तर	979-1006
अलीगढ़ विश्वविद्यालय की घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा की मांग ..	1006
गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा अचानक व्यक्तिगत परीक्षा पर प्रतिबन्ध लगाने से परीक्षार्थियों में रोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1006-1007
नैनीताल के धीरे-धीरे धंसने की आशंका के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के ज्ञान में संलाना	1007
साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, फैजाबाद के सामने बम विस्फोट की घटना के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1007-1008
लखनऊ, वाराणसी आदि कुछ नगरों के अस्पतालों में निम्न स्तर की दवाइयां तथा ग्लूकोज के वितरण के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1008
जनपद चमोली में गुप्त काशी चोप्ता से गोपेश्वर तक बसें न चलायी जाने के कारण वहां के निवासियों द्वारा भूख हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1009
ग्राम सिंहपुर, जिला रायबरेली के निकट एक प्राइवेट बस में विद्युत् का करेन्ट दौड़ जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु तथा कई व्यक्तियों के घायल हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1009-1010
पिछड़ा वर्ग हरिजन एवं अल्प संख्यक युवा छात्र संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा विधान भवन के सामने अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1010
अलीगढ़ के दंगे के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव टालने की आशंका के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	1010-1012
नियम 301 के अन्तर्गत सदन में दी गयी सूचनाओं का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	1012-1013
श्री हरगोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा लघु सिंचाई मंत्री के विरुद्ध दर्ज कराई गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में श्री सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा दी गई नियम 301 की सूचना के सन्दर्भ में सदन का ध्यान आकर्षण ..	1013-1023
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979 (संशोधन सदन के पटल पर रखे गये)	1023
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	1023-1024

विषय	पृष्ठ संख्या
ग्राम्य विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1024–1025
जिला फैजाबाद के अकबरपुर स्थित कताई मिल में हो रही नियुक्तियों में धांधली के सम्बन्ध में वक्तव्य	1025–1029
अलीगढ़ में हुए दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना तथा मुख्य मंत्री द्वारा जानकारी	1029–1041
1979–80 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत) ..	1041–1068
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1068–1069
रामनगर टण्डवा, फैजाबाद में हरिजन बस्ती पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा हमला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1069–1076
शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली बसों के भाड़े में 25 प्रतिशत वृद्धि करने के सुझाव के विषय में दिनांक 8 मई, 1979 को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	1076–1082

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 17 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य, 314

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीतसिंह सेठी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक वाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इस्माईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ, श्री
ओम प्रकाश श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री

छोटे लाल 'निर्भय' श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जय शंकर पांडेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नारायन, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नरायण सिंह भैसोरा, श्री
नेताराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पदमाकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रम्हदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री

भीषम, श्री
मंगलराम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेद्र सिंह यादव, श्री
मानसिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूलचन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहनलाल त्रिपाठी, श्री
मोहनसिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहनसिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीरसिंह, श्री
रफीउल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमाशंकर कौशिक, श्री
रमेशचन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीद्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राज नारायन, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राममंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश यादव श्री
राम पति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
रामफेर, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर

राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमाराय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शमशाद अहमद , हाजी
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन, तिवारी
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यप्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सोहनवीर सिंह तोमर, श्री
सोहनलाल, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिशचन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्री क्रांति कुमार तथा स्वायत्त शासन मंत्री, श्री रामाधार पांडेय भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 17 मई, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

घाघरा नदी के घाघरा घाट के पुल के निर्माण का सर्वेक्षण

**1—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी) तथा श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि घाघरा नदी पर घाघरा घाट के पास पक्का पुल निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने हेतु वर्ष 1978–79 के बजट में 9.96 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो प्रकल्प एवं प्राक्कलन के साथ क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 4934/78, दिनांक 22 दिसम्बर, 1978 शासन को प्राप्त हुआ था, जिसमें यह भी कहा गया था कि यदि वर्ष 1979 में पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया गया तो भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी जाएगी? यदि हां, तो उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)—

जी हां, पुल के सर्वेक्षण का कार्य 9.66 लाख रु0 की लागत पर 1978–79 में स्वीकृत हुआ ह। सर्वेक्षण समाप्त होने पर प्रकल्प एवं प्राक्कलन बनाया जायगा। अतः प्रकल्प एवं प्राक्कलन एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन में अभी प्राप्त नहीं हो पाई है।

जी हां, श्री बाबू लाल वर्मा का पत्रांक 4934/78, दिनांक 22 दिसम्बर, 1978 शासन को प्राप्त हुआ था। कार्य की स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

श्री औसान सिंह—

इस समय एक वर्ष व्यतीत होने पर भी सर्वेक्षण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो क्या मन्त्री जी बतायेंग कि इस विलम्ब का कारण क्या है और यह कार्य अब कब तक पूरा कर उस पर निर्माण काय प्रारम्भ हो जायगा?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

ऐसी कोई बात नहीं है कि सर्वेक्षण कार्य देर से हुआ। इसमें एक साल का समय लगता है, जमीन और मिट्टी के सर्वेक्षण में देर लगती ही है। अब जुलाई, 1979 में सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन के पास आने की उम्मीद है और उसके बाद धन की उपलब्धता पर उसका कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर और सदन में खाद्य मन्त्री के अनुपस्थित होने पर)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, यह सदन की स्पष्ट अवमानना है। इस सम्बन्ध में कोई त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। श्रीमन्, आप देखें यहां ऐसी अव्यवस्था पैदा हो गई है कि प्रश्नोत्तर-काल में, यहां मन्त्री लोग उपस्थित नहीं रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहुत ही अनुचित है कि माननीय मन्त्री उत्तर देने के समय उपस्थित नहीं हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

यह सदन की मानहानि है।

(श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री रियासत हुसैन, श्री नारायणदत्त तिवारी आदि सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

यह बहुत ही अनुचित है। क्या कोई भी मन्त्री इसका जवाब देने के लिए तैयार है? यह सदन का अपमान है। मन्त्रिमण्डल के 5 मन्त्री यहां बैठे हैं, लेकिन कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं आप से यह व्यवस्था चाहता हूं कि ज्वाइन्ट रिस्पांसेबिलिटी, जो मन्त्रिपरिषद् की है, उसके अन्तर्गत, जो प्रश्न आया है, उसका जवाब देने के लिए मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ मन्त्रियों में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ है.....

(व्यवधान)

(खाद्य मन्त्री के सदन में आने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

जब प्रश्न का उत्तर देना था, तब तो आप उपस्थित नहीं थे सदन में। इसके लिए आप खेद प्रकाश करें।

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—

मैं अपने कमरे में साढ़े दस बजे से बैठा था, घंटी बजी नहीं है। यह तो उसकी कहीं गलती है। मेरे यहां कोई सूचना नहीं। मैं तो जल्दी से भागा, जब देखा.....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मन्त्री जी इसके लिए सीधे माफी मांगें, इस तरह के तर्क न दें।

श्री मलिखान सिंह—

मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप कहते.....

श्री रियासत हुसैन—

मन्त्री जी सफाई दे रहे हैं। आपने खेद प्रकाश करने के लिए कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई गलती हो जाय, तो सदन में तुरन्त खेद प्रकाश कर देना चाहिए।

श्री मलिखान सिंह—

मैं कह चुका, आप कहते हैं तो म खेद प्रकट करता हूं। लेकिन कोई घंटी नहीं बजी।

भंग की गई खाद्य परामर्शदात्री समितियां

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में नगर/तहसील/जिला स्तर पर गठित खाद्य सलाहकार समितियों को अभी हाल में भंग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मलिखान सिंह—

जी हां,, इन खाद्य परामर्श दात्री समितियों को और अधिक व्यापक, जनप्रिय एवं उपयोगी बनाने हेतु इनका पुनर्गठन आवश्यक था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बदले की भावना से यह निर्णय लिया गया, इसके सम्बन्ध में तत्कालीन खाद्य मन्त्री श्री हरिश्चन्द्र ने माननीय मुख्य मन्त्री के माध्यम से शासन को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि इस सदन के पटल पर रखगे या उसको पढ़ कर सुनाएंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

इसमें बदले की भावना का कोई सवाल नहीं है। मैंने देखा और यह उचित समझा कि उनको ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उनको समाप्त कर देना चाहिए और माननीय मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने जानना चाहा था कि माननीय मुख्य मन्त्री को जो पत्र लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी जानकारी उनको नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिक व्यापक और जनप्रिय बनाने के लिए जो समितियों को पुनर्गठित करना चाहते हैं, वह समितियां जनप्रिय और व्यापक नहीं थी, इस तथ्य की जानकारी माननीय मन्त्री को कब मिली ? दूसरे, तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने कभी तत्कालीन खाद्य मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि इन समितियों के पुनर्गठन की आवश्यकता है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री मलिखान सिंह—

इसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी की कोई बात नहीं है। मैंने स्वयं देखा और इसमें देखा कि पुनर्गठन की आवश्यकता है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि इन समितियों को जनप्रिय और उपयोगी बनाने के लिए जो निर्णय किया गया है, वे उपयोगी समितियां कब तक संगठित की जायेंगी ?

श्री मलिखान सिंह—

उनको शीघ्र ही पुनर्गठित कर दिया जायगा।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि पहले सलाहकार समिति के सदस्य कौन थे और अब कौन नियुक्त किए गए हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

समिति अभी बनी कहां है। अभी बनाने जा रहे हैं ।

श्री मन्जूर अहमद—

अब तक कौन–कौन हैं उनको बतला दें?

श्री उपाध्यक्ष—

अपने प्रश्न को दोहरा दें।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं जानना चाहता हूं कि पहले जो सदस्य थे सलाहकार समिति के वह कौन–कौन थे? उनके क्या–क्या नाम हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह समिति तो जिलों में थीं। बड़ी भारी सूची हजारों की तादाद में रही होगी।

श्री रियासत हुसैन—

प्रभावशाली और जनप्रिय बनाने के लिए पुरानी समितियों को उन्होंने भंग किया है, क्या माननीय मन्त्री जी सदन को यह बताएंगे कि नई परामर्शदात्री समिति जो बनायेंगे जो प्रभावशाली और जनप्रिय होंगी उनकी कोई रूपरेखा उन्होंने बनाई है? यदि हां, तो उसको सदन के समक्ष रखेंगे?

श्री मलिखान सिंह—

रूपरेखा बनाई है। उसमें कुछ और विचार करने की आवश्यकता है । इसलिए पूरा बताना इस समय सम्भव नहीं है ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

माननीय मन्त्री क्या प्रभावशाली समिति बनाने के लिए हाउस के सदस्यों की भी सलाह मांगग?

श्री मलिखान सिंह—

माननीय सदस्यों की सलाह मांगी जायगी । उसका प्रपत्र तैयार किया जा चुका है और माननीय सदस्यों को जल्द मिल जायगा।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मैं जानना चाहता हूं कि पुरानी समितियां भंग कर दीं और प्रभावशाली समितियां गठित करने का विचार उनके दिमाग में है, अभी समितियां गठित भी नहीं हुयीं, कोई रूपरेखा भी नहीं दे पाए, जैसा उत्तर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच में सरकारी कर्मचारियों को मनमानी ढंग से अनैतिक कार्य करने के लिए अवसर दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आक्षेप है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

पुरानी कमेटियां जो हैं उनके विरुद्ध कोई शिकायतें मिलीहै? अगर मिली हैं, तो वह शिकायतें क्या हैं?

श्री मलिखान सिंह—

विधायकों ने मुझे बताया और पब्लिक के लोगों ने भी शिकायत की । तहसील स्तर पर वह कुछ नहीं कर सकते हैं। जिला स्तर पर वह सदस्य हैं । उनके क्षेत्र में उनकी मर्जी के खिलाफ काम हो जाता था, इसी तरह की कई शिकायतें मिली हैं जिनके कारण उन समितियों के पुनर्गठन की आवश्यकता हुई ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली समितियों में आर० एस० एस० के ही लोग ज्यादा थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह समितियां केवल सलाह देने के लिए हैं या उनको कुछ अधिकार भी हैं ? अगर कोई निर्णय लिया जाता है और उसका पालन नहीं होता है, तो उस पर कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री मलिखान सिंह—

हम लोगों ने यही विचार करके यह किया है। जो सर्वसम्मत से विचार कर प्रस्ताव करेंगी, वह निश्चित रूप से मान्य होगा। ऐसा प्राविधान उसमें है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पिछली परामर्शदात्री समितियां थीं, उनके बारे में यह शिकायत मिली कि उसमें एक विशेष संगठन के लोग ही थे ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी उसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मैंने पहले ही अस्वीकार कर दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने आर० एस० एस० नहीं कहा । मैंने शिकायत की बात कही एक ही दल और संगठन से सम्बन्धित लोग उसमें थे। मान्यवर, यह आक्षेप नहीं है । मैंने कारण पूछा है । इसका जवाब दिलाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह आक्षेप नहीं है। मैंने आर० एस० एस० का नाम नहीं लिया है। मैंने यह पूछा कि क्या इस तरह की शिकायतें मिली हैं, अगर मिली हैं, तो वह क्या हैं और क्या उसी आधार पर इनको भंग किया गया ? यदि नहीं, तो दूसरा आधार क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी केवल इतना बता दें कि इसका कारण क्या है, जिसके कारण यह भंग की गई ?

श्री मलिखान सिंह—

इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूं। व्यापक और सुचारु रूप से चलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुछ सदस्य जिला स्तर पर नहीं रहते हैं और उनके खिलाफ फैसला हो जाता है इसीलिए उनको समाप्त किया गया है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

खाद्य विभाग ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से एक नई एजेन्सी और बढ़ा रहे हैं, तो क्या उसके बढ़ाने के पहले यह समितियां गठित हो जायेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

कौन सी बात आप कह रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेन्ट सारे प्रदेश में करने का प्रोग्राम भारत सरकार का है और वह पहली जुलाई से चालू होगा। क्या उसके पहले समितियां नियुक्त हो जायेंगी ? यह उन्होंने पूछा है।

श्री मलिखान सिंह—

जी हां, उससे पहले बन जायेंगी।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा कि इन समितियों को अधिक व्यापक और जनप्रिय बनाने के लिए भंग किया गया है जिनमें 2400 सदस्यों का मनोनयन हुआ था, तो किस तरह से उन्होंने जान लिया कि वे अधिक लोकप्रिय नहीं हैं ? क्या सभी जिलाधिकारियों से इसके लिए कोई रिपोर्ट मंगायी है ताकि यह मालूम हो सके कि हर सदस्य का वर्ग क्या है और उसका राजनीतिक संबंध क्या है ? क्या वे इन आधारों पर विचार करने की कृपा करेंगे ? तीसरी बात, माननीय मंत्री जी को विदित नहीं है कि इनको व्यापक बनाने की रूपरेखा क्या होगी ? ऐसी स्थिति में इन समितियों को समाप्त करने का क्या औचित्य था ? चौथी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 2–4 सदस्यों की बात नहीं है इस में 2400 लोगों को बर्खास्त किया गया है, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न की मैं इजाजत नहीं देता क्योंकि इसमें सब आक्षेप हैं।

श्री हरिश्चन्द्र —

मान्यवर, आपने कह दिया कि उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन में और सब जगह इससे बड़ी ही विषम परिस्थिति हो गयी है। 2400 लोगों का मनोनयन शासन ने किया था, उनको समाप्त करके बिना सोचे समझे आपने लोकतंत्र पर बड़ी चोट की है, यह शासन के हित में भी नहीं होगा। आप सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगायें और उसे सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें, अगर कोई गलत बात होगी, तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)।

पथकर (टोल टैक्स की समाप्ति)

**3—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मई, 1979 ई0 से प्रदेश में वाहनों से टोल-कर समाप्त किया गया है ? यदि हां, तो उस कर के हटाने से स्थानीय संस्थाओं की जो आर्थिक हानि होगी उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामाधार पाण्डेय)—

1 मई, 1979 ई0 से उत्तर प्रदेश के केवल टाउन एरिया कमेटी एवं नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा लिए जा रहे टोल–कर तथा उनके बैरियर्स को समाप्त कर दिया गया है। नगरपालिका द्वारा तुरन्त निर्यात वाले सामान से लदे वाहनों तथा सवारी वाहनों पर से पथकर (टोल टैक्स) भी 1 मई, 1979 ई0 से समाप्त कर दिया गया है।

इस निर्णय से स्थानीय निकायों की होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति निम्न स्रोतों से प्राप्त धन से शासन द्वारा अनुदान प्रदान करके की जायेगी :

(1) गुड्स टैक्स में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी;

(2) पैसेन्जर टैक्स में एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी ;

(3) अन्य प्रदेशों के परमिट पर बाहर से आने वाली ट्रकों एवं बसों पर प्रदेश में प्रवेश होने के स्थान पर टोल (एन्ट्री टोल) लगाकर।

विचाराधीन फसल बीमा योजना

**4—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्र सरकार ने देश के बारह प्रान्तों में फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय अभी हाल में ही लिया है ? क्या प्रदेशीय सरकार इस योजना को प्रदेश में लागू करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या होगी ? यदि नहीं लागू करेगी, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

राज्य सरकार को जानकारी नहीं है। राज्य में फसल बीमा योजना लागू करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि केन्द्रीय सरकार ने देश के 12 क्षेत्रों में कृषि फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय अभी हाल में ही लिया है, तो क्या प्रदेशीय सरकार इस योजना को प्रदेश में लागू करेगी। केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया, तो इस संबंध में प्रान्तीय सरकार से कोई सुझाव केन्द्रीय सरकार ने मांगा है या नहीं ? यदि हां, तो वह सुझाव क्या है ? और क्या प्रदेश की सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ले लेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मैंने निवेदन किया कि केन्द्रीय सरकार ने यदि कोई ऐसा निर्णय लिया, इसकी जानकारी प्रदेशीय सरकार को नहीं है। 11 अप्रैल, 1979 को हर प्रदेश के प्रतिनिधियों की बैठक फसल बीमा योजना पर विचार करने के लिए बुलायी गयी थी, उसमें विचार विमर्श हुआ था लेकिन कोई निर्णय ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए इसका कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री मित्रसेन—

माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक बैठक बुलायी थी और उस में कुछ सुझाव भी आये, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना लागू करने के संबंध में प्रदेशीय सरकार की ओर से क्या-क्या सुझाव गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

11 अप्रैल, 1979 ई0 को जो मीटिंग हुयी थी उसमें इसके परिपेक्ष्य में जो फैसले हुए थे, वे बता दीजिए।

श्री शिवमंगल सिंह—

मान्यवर, उसमें कोई फैसले नहीं हुये ।

फसल बीमा योजना लागू करना, यह राज्य सरकार का कार्य है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार से कोई निर्देश नहीं आ सकते हैं। वे केवल सुझाव दे सकते हैं। जो बैठक हुयी थी, उसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया था। लोगो ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए थे लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न की भावना को देखते हुये इस संबंध में मंत्री जी की स्वयं की क्या राय है ?

श्री शिवमंगल सिंह—

इस फसल बीमा योजना के संबंध में राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि एक उच्च स्तरीय समिति बनायी जायेगी जिसका कि शीघ्र ही गठन हो जायेगा और जो गम्भीरता-पूर्वक इसके सारे पहलुओं पर विचार करके अपनी रिपोर्ट शासन को देगी।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस फसल बीमा योजना को लागू करने में कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, अभी तो उस पर विचार ही नहीं हुआ है, तो कठिनाइयां क्या बतायी जायें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जो मीटिंग अभी इस पर विचार करने के लिये हुई थी, उसमें किन-किन पहलुओं पर विचार हुआ था ?

श्री शिवमंगल सिंह—

मान्यवर, यह जो बैठक हुई थी, उसमें इस पर ही विचार हुआ था कि यह फसल बीमा योजना लागू की जा सकती है अथवा नहीं, यह व्यवहारिक है या नहीं, यह किसानों के लिय लाभदायक रहेगी या नहीं, इस पर खाली विचार हुआ था, कोई निर्णय नहीं हुआ था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री चौधरी चरणसिंह जी ने अपने बजट भाषण में फसल बीमा योजना का जिक्र किया था और उसमें राज्यों के सहयोग की बात कही थी ? इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री शिवमंगल सिंह—

मान्यवर, बजट की जानकारी तो सभी को हो जाती है । मैंने कहा कि यह राज्य सरकार की परिधि में ही आता है और राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी ने फसल बीमा योजना के संबंध में कोई कमेटी बनाने की कार्यवाही की है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया है ।

श्री रघुवरदयाल वर्मा—

पिछले मार्च के अधिवेशन में मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा था कि फसल बीमा योजना के संबंध में शीघ्र ही कमेटी का गठन किया जा रहा है, तो वह कमेटी बनी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

कमेटी के बारे में तो उन्होंने बता दिया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि लगभग 2 साल पहले गन्ने की फसल के बारे में फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय ले लिया गया था और कुछ मिल क्षेत्रों को भी छांट लिया था कि यहां से बीमा योजना शुरू होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, दो साल पहले राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था कि गन्ने के ऊपर कोई विशिष्ठ क्षेत्रों में बीमा योजना लागू होगी, इसकी जानकारी आपको है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फसल बीमा योजना लागू करने के संबंध में गुजरात प्रदेश के कृषि मंत्री या कृषि विभाग से उनकी बातचीत हुई थी और इस निर्णय पर पहुँचे थे कि जिस प्रकार की योजना वहां पर लागू है, उसी प्रकार की योजना इस प्रदेश में भी लागू की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री रियासत हुसैन—

वह उत्तर देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है, इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कमेटी कब तक बन जायेगी और कौन कौन से लोग उसमें लिये जायेंगे और कब तक राज्य फसल बीमा योजना लागू हो जायगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कमेटी शीघ्र ही बन जायगी, लेकिन कौन-कौन से लोग उससे लिये जायेंगे, उसके बारे में विचार किया जायगा ।

श्री बाबू बदरे—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र में जब फसल बीमा योजना के सम्बंध में विचार-विमर्श किया गया था, तो उस समय अपने प्रदेश के जो माननीय मंत्री जी या कोई भी व्यक्ति मौजूद थे, उस समय उन्होंने अपने प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू कराने के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब और अनुपूरक प्रश्न नहीं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

देवरिया जिले में चीनी मिलों के गन्दे पानी से छोटी गंडक नदी के पानी प्रदूषण

*1— श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अप्रैल, 1979 ई0 के प्रथम सप्ताह में जिला देवरिया के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा गन्दा पानी छोड़ने से छोटी गण्डक की लाखों कुन्तल मछलियां मर गयी तथा पानी दुर्गन्धित एवं विषाक्त हो गया है जिससे दर्जनों व्यक्ति एवं सैकड़ों पशु पानी पीने से मर गए और हजारों की सख्या में बीमार हैं ? यदि हां तो मिलों द्वारा जल प्रदूषण को रोकने की दिशा में कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रम मन्त्री (श्री क्रान्ति कुमार)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हरि केवल प्रसाद—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि अप्रैल, 1979 ई0 के प्रथम सप्ताह में जिला देवरिया के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा गन्दा पानी छोड़ने से छोटी गण्डक की लाखों कुन्तल मछलियां मर गयी तथा पानी दुर्गंधित एवं विषाक्त हो गया है, जिससे दर्जनों व्यक्ति एवं सैकड़ों पशु पानी पीने से मर गये और हजारों की संख्या में बीमार हैं ? यदि हां, तो मिलों द्वारा जल प्रदूषण को रोकने की दिशा में कौन सी कार्यवाही की गयी ? मान्यवर, श्रम मंत्री जी यह उत्तर दे रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । मेरा यह 21 अप्रैल का प्रश्न है, आज स्थिति एकदम भयावह हो चुकी है और अब उत्तर मिल रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह सूचना कब तक एकत्र की जायगी ? दूसरा मेरा औचित्य का सवाल है । यह प्रश्न तो श्रम विभाग के अन्तर्गत आता ही नहीं है । इसको तो दूसरे मंत्री को उत्तर देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मिल का पानी छोड़ने की बात है, तो वह तो श्रम में आता ही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

नहीं आता है, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, प्रश्न का एक भाग जो इन्होंने पूछा, यह सूचना जो है, यह कब तक एकत्र हो जायगी, इसके बारे में बता दें :

श्री क्रांति कुमार—

मान्यवर, 15 दिन के अन्दर सूचना आ जायगी। गोरखपुर के अधिकारी को कहा गया है कि वह जाकर सूचना एकत्र करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह प्रश्न मेरे तथा श्री हरिकेवल प्रसाद जी के संयुक्त नाम से था। मेरा नाम इसमें नहीं है। यह श्रम मंत्रालय से संबंधित नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रम मंत्री किससे सूचना एकत्र करना रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नाम बाद में उत्तर में आ गया है। यह शासन को देखना है कि कौन विभाग का उत्तर कौन मंत्री दे। जो फैक्ट्रीज हैं, उनको श्रम विभाग देखता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे थोड़ी जानकारी है। श्रम मंत्री का फैक्ट्री और उसके पानी के निकलवाने का कोई संबंध नहीं है। मवेशी मर गये हैं, यह सामान्य प्रशासन देखता है।

श्री क्रान्ति कुमार—

कारखाना निरीक्षक को कहा गया है कि वह पूरे मामले की जांच करें। मौके पर जायें, पूरी रिपोर्ट दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह प्रश्न पर्यावरण और प्रदूषण विभाग से संबंध रखता है। श्रीमन् एक नया बोर्ड बनाया गया है। यह प्रश्न स्थगित किया जाये और इसको कल लिया जाय।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मेरा निवेदन है .....

श्री उपाध्यक्ष—

बांके लाल जी, आप कृपया बैठें।

श्री बांके लाल—

श्रीमन्, गण्डक नदी का पानी खराब हो गया। सैकड़ों गांव इससे प्रभावित हैं। मछलियां मर गयी हैं, सवाल पूछे इतने दिन हो गये, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूचना एकत्र की जा रही है। जो जवाब आया है उससे स्पष्ट है कि प्रश्न स्थगित है और 15 दिन के अन्दर इसका उत्तर देना चाहिये। इसके अन्दर जितनी जल्दी हो सकेगा, मंत्री जी उत्तर दे देंगे।

श्री देव बहादुर सिंह—

जिस प्रश्न के उत्तर में यह आये कि सूचना एकत्र की जा रही है, उसको पहले ही स्थानान्तरित कर देना चाहिये । यह कोई उत्तर नहीं है कि सूचना एकत्र की जा रही है । इस परम्परा को तोड़ा जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर मंत्री जी जवाब नहीं दे पाते हैं, उनके पास सूचना नहीं आ पाती है, तो यह कहा जाता है । ऐसा हमेशा ही हुआ करता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इस प्रश्न को अगले दिन पुनः ले लिया जाये । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मुख्य कारखाना निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह शासन के देखने की बात है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप उत्तर को संशोधित कराइये ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, जहां तक इस बात का प्रश्न है, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा, यह मामला किसी भी विभाग के अन्तर्गत आता हो, उत्तर कोई भी दे सकता है । जहां तक इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में विभाग का सवाल है इसमें यह दिया हुआ है कि फैक्टरी का गन्दा पानी डालने से मछली मर रही है । अगर केवल मछली मर रही हैं, होता तो वह प्रदूषण विभाग में आ जाता । चूंकि फैक्टरी के पानी से मछलियां मर रही हैं इसलिये यह श्रम विभाग में ही आयेगा ।

*2—श्री राम सजीवन, श्री राम आसरे वर्मा, श्री जगन्नाथ सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[9 मई, 1979 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ललितपुर जिले में विद्युत् विभाग द्वारा ग्राम नरायनपुर की भूमि का अधिग्रहण एवं श्री राम सुन्दर को दी गयी नौकरी

*1—श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवचरन, गोकुल, राम सुन्दर, भवानी बक्स, शीतला प्रसाद सुतगण पांच, निवासी ग्राम नरायनपुर, तहसील सदर, जिला सुल्तानपुर की भूमि जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 के अनुसार मुकदमा नं0 5, दिनांक 26 सितम्बर, 1971, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के आदेशानुसार 400 के0 वी0 सब-स्टेशन विद्युत् विभाग, सुल्तानपुर के अन्तर्गत अध्याप्ति की गयी ? यदि हां, तो क्या इस परिवार से किसी को भी 400 के0 वी0 विद्युत् विभाग में नौकरी दी गयी ? यदि नहीं,

तो क्यों ? क्या श्री लहूरी प्रसाद सुत राम सुन्दर ने प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित दिनांक 9 फरवरी, 1979 को श्री आर0 के0 सान्याल, मेम्बर टी0 एन0 डी0, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को नौकरी हेतु समस्त प्रमाण सहित प्रार्थना-पत्र दिया था जिसे सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समीशन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, सुल्तानपुर को आवश्यक निर्देश सहित भेजा ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की ?

विद्युत् मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

जी हां, कथित परिवार की भूमि अध्याप्त की गई थी और उक्त परिवार में से श्री, राम सुन्दर को वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में नौकरी भी दे दी गई थी ।

श्री लहुरी प्रसाद पुत्र श्री राम सुन्दर का कथित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे सदस्य टी0 एण्ड डी0 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् प्रेषण खण्ड, सुल्तानपुर को भेज दिया गय था । परन्तु चूंकि इस बीच परिषद् द्वारा नई नियुक्तियां बन्द कर दी गई थीं अतः श्री लहुरी प्रसाद के प्रार्थना पत्र पर विचार करना संभव नहीं पाया गया । अन्यथा भी इस परिवार में लहुरी प्रसाद के पिता श्री राम सुन्दर, जिनकी भूमि अध्याप्ति की गई थी, को परिषद् में नौकरी दी जा चुकी है, अतः मामले में आगे कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

[17 मई, 1979 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न] ।

विद्युत् पर लगाया गया अधिकारी शुल्क

*1—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी) 1 मार्च, 1978 से प्रति यूनिट बिजली की खपत पर दो पैसे निर्धारित की गयी है किन्तु केन्द्रीय सरकार के आदेश के विपरीत प्रदेश के विद्युत् उपभोक्ता से चार से पांच पैसे प्रति यूनिट वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां । दिनांक 1 मार्च, 1978 से केन्द्रीय शासन द्वारा विद्युत् उत्पादन पर दो पैसे प्रति यूनिट की दर से आबकारी शुल्क लगाया गया है । इसके अतिरिक्त इसी तिथि से केन्द्रीय शासन द्वारा कोयले एवं तेल के आबकारी शुल्क में वृद्धि कर दी गई है । इस कारण एवं अन्य कारणों (कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण, विद्युत् गृहों और पारेषण लाइनों में काम आने वाले विद्युत् उपकरणों के मूल्य में वृद्धि इत्यादि) से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के आर्थिक दायित्वों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो गई है । अतः विद्युत् दरों का पुनरीक्षण करना अनिवार्य हो गया था जिसको कि दिनांक 1 जुलाई, 1978 से किया गया है ।

ललितपुर जिले की टाउन एरिया, महरौनी के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री वीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*2—श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया महरौनी के भूतपूर्व अध्यक्ष (श्री वीरेन्द्र सिंह) के विरुद्ध 11 कर्मचारियों का 110 रुपया 50 पैसे प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से 31 माह का फर्जी वेतन का बिल बनाकर अपने हस्ताक्षरों से निकालने एवं अन्य आरोपों का शिकायती-पत्र दिनांक 3 अक्तूबर, 1978 उनको दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामाधार पांडेय—

ललितपुर जिले के टाउन एरिया महरौनी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सम्बोधित टाउन एरिया के निवासियों से दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे जिसमें से पहला पत्र दिनांक रहित था । दूसरा पत्र 27 नवम्बर, 1978 का था । उक्त दोनों पत्रों में निहित शिकायतों की जांच जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जा रही है ।

शिकायती-पत्र दिनांक 3 अक्तूबर, 1978 जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ या नहीं इस पर भी जिलाधिकारी से सूचना मांगी गई है ।

श्री रणवीर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दो पत्र मिले, एक दिनांक रहित और दूसरा दिनांक 27 नवम्बर, 1978 का । 16 महीने बीतने के बाद भी अभी तक जांच कराई जा रही है । इस प्रकार की देर लगने का कारण क्या है ?

श्री रामाधार पांडेय—

कुछ देर जरूर लगी है, मान्यवर । इस बारे में रिमाइन्डर भेजा गया है । मैंने भी मान्यवर, यह आदेश किया है कि अगर 15 दिन के अन्दर वह अपनी आख्या नहीं भेजते, तो इतनी देर होने का कारण बतायें । और मैं यहां से एक विभागीय अधिकारी को भेज कर आख्या मंगा लूंगा ।

श्री रणवीर सिंह—

19 अप्रैल, 1979 को प्रश्न किया गया । एक महीना बीतने के बाद भी, जब कि 15 दिन का आश्वासन आपने दिया था, आख्या नहीं आई । तो जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, जिनके कारण देरी हुई, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामाधार पांडेय—

कोई भी नेगलीजेन्स होगी तो जरूर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मित्रसेन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों पत्रों में जो शिकायतें कही गयी हैं, उससे कोई आरोप बनते हैं या नहीं ?

श्री रामाधार पांडेय—

मान्यवर, शिकायती पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है । वह जिलाधिकारी को भेज दी गयी है ।

श्री रणवीर सिंह—

मान्यवर, जब तक पूर्ण सूचना न आ जाय तब मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कार्यवाही चल रही है । 15 दिन में जांच आख्या भेजने के लिये कहा गया है ।

श्री रणवीर सिंह—

मान्यवर, 31 माह का वेतन जो 33 हजार रुपये के करीब है, लिया गया है । यह संगीन मामला है । कर्मचारियों का गला घोंटा जा रहा है । इसके अलावा दूसरी अनियमिततायें हैं । और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 का पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ या नहीं इस पर भी जिलाधिकारी से सूचना मांगी गयी है, तो यह उत्तर मेरी समझ में नहीं आता । यह विवरण अपूर्ण है इसलिये इसको स्थगित कर दें ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि दो शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जांच का आदेश किस तारीख को दिया गया है ?

श्री रामाधार पांडेय—

मान्यवर, 5 मई, 1979 को पहला पत्र गया है और 9 मई को फिर गया है ।

श्री उपाध्यक्ष —

जांच के आदेश के बारे में बता दें कि किस तिथि को किया है ।

श्री रामाधार पांडेय—

5 मई, 1979 को किया है ।

श्री रणवीर सिंह—

मान्यवर, इसको अगले गुरुवार तक के लिये स्थगित कर दीजिये ताकि पूरी सूचना आ जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

जांच के बारे में कहा गया है । 15 दिन के अन्दर सूचना आयेगी । जब उत्तर आ जायगा तो मंत्री जी आपको सूचित कर देंगे ।

नवयुग कन्या विद्यालय, राजेन्द्रनगर, लखनऊ के प्रबन्धक का जमीन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*3—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित) तथा श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि नवयुग कन्या विद्यालय डिग्री कालेज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ की प्रबन्ध कार्यकारिणी ने 1977–78 में कालेज की चहारदीवारी तथा राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्टरी के बीच की जमीन को लीज पर लेने के सम्बन्ध में दिनांक 14 अगस्त, 1978 को मुख्य मंत्री जी को प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर जनता शौचालय बनाने का प्रश्न महा नगरपालिका, लखनऊ के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे रोकने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामाधार पांडेय—

प्रश्नगत कालेज के प्रबन्धक का 14 अगस्त, 1978 का पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था और उसकी प्राप्ति भी स्वीकार की गई थी ।

कालेज द्वारा जिस भूमि की मांग की जा रही है, वह सार्वजनिक मार्ग होने के कारण उनको देना सम्भव नहीं पाया गया ।

कालेज के दक्षिण में 50 फिट चौड़ी सड़क पर शौचालय बनाने का प्रश्न नगर महापालिका के विचाराधीन है । उसके निर्माण को जो बीच में रोक दिया गया था, अन्तिम रूप से त्याग देने का कोई विचार नहीं है ।

झांसी मण्डल के जल निगम द्वारा बनायी गयी सर्वे रिपोर्ट

*4—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या झांसी मण्डल में उत्तर प्रदेश जल निगम की कुछ ऐसी भी सर्वे शाखाएं हैं जिन्होंने अपने आरम्भ काल से गत विगत वर्ष तक एक भी योजना (स्कीम) पूर्ण कर प्रस्तुत नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे अधिशासी अभियन्ताओं का अपने पद पर बने रहने का क्या औचित्य है ? क्या शासन उनके विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री रामाधार पांडेय—

जी नहीं ।

श्री जगन्नाथ सिंह—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि झांसी मण्डल में उत्तर प्रदेश जल निगम की कौन-कौन सी सर्वे शाखायें हैं जिन्होंने एक भी स्कीम प्रस्तुत नहीं की है ?

श्री रामाधार पांडेय—

मान्यवर, बात यह है कि स्कीमें बन रही हैं और 5 शाखायें हैं—प्रकल्प शाखा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और उरई । सब में जो सर्वे का प्लान है वह निकला है । पांचों ने 1,736.98 लाख रुपये का सर्वे प्लान सब्मिट किया है और अब उसके बाद की प्रोसीडिंग चल रही हैं । इसलिये यह कहना कि शाखाओं ने काम नहीं किया है, गलत है ।

श्री रणवीर सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सर्वे कब से आरम्भ हुआ और कहां-कहां सर्वे पूर्ण हो चुका है और कहां अवशेष है ?

श्री रामाधार पांडेय—

मान्यवर, दिसम्बर, 1977 में यह निश्चित हुआ कि इस मण्डल की स्थापना करके सर्वे हो । सितम्बर, 1977 में इसके सम्बन्ध में कहा गया था, लेकिन मार्च, 1979 तक किसी अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति नहीं हुई । अप्रैल, 1979 में 5 प्रकल्प शाखायें बनीं जिसके सर्वेक्षण की रिपोर्ट कीमत सहित आ गयी है और यह रिपोर्ट अभी हाल में आयी है जिसके ऊपर डिजाइन और प्लानिंग सेक्शन काम कर रहा है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि झांसी मण्डल में जहां जल निगम द्वारा काम हो रहा था वहां उसकी निर्माण शाखा और रख-रखाव शाखाओं द्वारा सर्वे होता था क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं था । इसलिये यह तीसरी प्रकल्प शाखा पैसे के अभाव होते हुये कैसे खोली गयी ?

श्री रामाधार पांडेय—

मान्यवर, जो प्रकल्प शाखा है उसके आदेश विभाग ने 1977 में कर दिये थे, परन्तु यह कार्य वहां का जल निगम पहले अन्य शाखाओं द्वारा लेता था लेकिन यह कार्य उनके द्वारा आगे नहीं चल पाया और मार्च, 1979 तक कोई अधिशासी अभियन्ता वहां नहीं नियुक्त हो पाया, इसलिये इस शाखा का अभी तक निर्माण ही नहीं हुआ था। अधिशासी अभियन्ता के नियुक्त होते ही काम हो रहा है और आगामी दो महीने में इसकी प्लानिंग भी हो जायेगी।

*5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

केन्द्रीय सरकार की मद्य-निषेध योजना से अलग की गयी भांग

*6—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकारी मद्य-निषेध योजना से भांग को अलग कर दिया है। यदि हां, तो प्रदेश की सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

भांग को मद्यनिषेध योजना से अलग कर दिये जाने के संबंध में शासन को केन्द्रीय सरकार से कोई गाइड लाइन्स प्राप्त नहीं हुयी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मान कर जैसा कि अखबारों में निकला है कि केन्द्रीय सरकार भांग को मद्य निषेध योजना से अलग कर रही है, तो क्या इस पर प्रान्तीय सरकार भी विचार करेगी। दूसरा प्रश्न क्या इस संबंध में जो हजारों लोग इस व्यवसाय में तराई में लगे हुए हैं, उनकी जीविका को ध्यान में रख कर जनता सरकार क्या धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनको गारन्टी देगी कि जो शंकर के भक्त लोग हैं और शंकर भगवान की भांग से पूजा होती है इसलिये धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा करनेके लिये सरकार आश्वासन देगी कि भांग को मद्य निषेध योजना से अलग रखेगी?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, प्रश्न के पहले भाग के संबंध में जो अखबारों में खबर निकली थी कि भारत सरकार का समाज कल्याण विभाग ऐसी योजना बना रहा है कि जिसमें भांग को मद्य निषेध से अलग करने की बात है। इसमें विभाग के जरिये एक पत्र 23 मार्च, 1979 को लिखा था और उसके बाद 24 अप्रैल, 1979 को अनुस्मारक भेजा और कल भी एक पत्र भेजा है लेकिन अभी तक तक कोई जवाब नहीं आया।

जहां तक पूजा के प्रश्न का सवाल है, उसमें तो बहुत से लोग शराब से भी पूजा करने की बात कहते हैं; लेकिन जहां तक भांग का प्रश्न है, जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, इससे कोई पब्लिक न्यूसेंस जैसी घटना नहीं होती है। इसलिये भांग को मद्य-निषेध से निकाला जाय, उनकी यह बात कुछ तर्कसंगत प्रतीत होती है। तो जहां तक समाज कल्याण विभाग के तहत जो योजना लागू की है, उसमें अगर वहां से कोई इस प्रकार का निर्देश मिलता है, तो अवश्य ही माननीय विधायक की इच्छा की पूर्ति कर पायेंगे।

श्री नैम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी वाराणसी और मथुरा की भांग पर तो ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा उनका कोई विचार नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी के उत्तर से ज्ञात हुआ है कि मद्य निषेध योजना से भांग को निकाल दिया जाय, ऐसा कुछ विचार है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार सहमत है और क्या माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि मद्य निषेध लागू करने के बाद शराब की जो कमी है, उस कमी को जनता पार्टी के मंत्री भांग से पूरा करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी जरूरत नहीं पूछने की।

नगरपालिका एवं नगरमहापालिकाओं के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*7—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं और महानगरपालिकाओं में कितने केन्द्रीयित और अकेन्द्रियित ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सेवा करते 10 वर्ष बीत चुके हैं किन्तु अस्थायी हैं ? उनकी सेवायें स्थायी न होने के कारण क्या है ? क्या इन लोगों के पेंशन नियम बन चुके हैं ? यदि हां, तो कब बनाये गए और कब तक लागू किये जावेंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

मान्यवर, इसमें सूचना की तो कोई आवश्यकता है नहीं कि उनकी सेवाओं के स्थायी न होने का क्या कारण है और क्या उनके पेंशन के नियम बन चुके । प्रश्न केवल है कि नियम कब बनेंगे और कब लागू करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने 30 अप्रैल, 1979 को प्रश्न पूछा है। फिर यह 1 मई, 1979 को मंत्री जी के पास गया। तो 'सूचना एकत्रित की जा रही ह' यह जो उनहोंने उत्तर दिया, यह नाजिब नहीं है। लेकिन आप इससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

यह जो पेंशन के नियम बन चुके हैं, इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है? और बन गये, तो कब तक लागू होंगे?

श्री उपाध्यक्ष (स्वायत्त शासन मंत्री जी से)—

क्या इन लोगों के पेंशन के नियम बन चुके हैं ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

ये जो कर्मचारी हैं, इनके बारे में कार्मिक विभाग के कर्मचारी नियम बना रहे हैं। जब नियम बन जायेंगे तो उनको एडाप्ट कर लेंगे। हम खुद ही उसमें जागरूक हैं और कार्मिक विभाग नियम बनाकर भेज देंगे, तो इसको कर देंगे।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

कब तक नियमों के बन जाने की आशा है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

मान्यवर, अभी मेरे यहां हड़ताल भी हुयी जिसमें हमने आश्वासन दिया कि तीन साल तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर देंगे साथ ही साथ पेंशन और प्रावीडेंट फण्ड के मामले में भी काफी पैसा बांट दिया गया। तो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कार्मिक विभाग को खुद ही लिखा है कि नियम जल्दी बनायें ताकि हम इस काम को समाप्त करें।

आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों की जीवन बीमा निगम की किश्त की कटौती

*8—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक अस्पताल, टूडियागंज, लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (आया महिलाएं, सफाई कर्मचारी व वार्ड ब्वाय) अपने व्यक्तिगत जीवन बीमा की माहवारी किश्त अपने मासिक वेतन से लगभग तीन वर्ष से बराबर कटवाते रहे हैं? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों की अब तक की किश्तें जीवन बीमा निगम में जमा नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों? इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी हैं?

श्री रमाशंकर कौशिक—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी विगत तीन वर्षों से जीवन बीमा की मासिक किस्तों की कटौती नियमित रूप से अपने वेतन से नहीं कराते रहे हैं। जिन कर्मचारियों ने जीवन बीमा की किश्तें अपने वेतन से कटवाई है, उनकी किस्तें जीवन बीमा निगम में जमा करा दी गयी हैं। यह सही नहीं है कि जीवन बीमा की मासिक किश्तों की कटौती कराने वाले कर्मचारियों की अब तक की किश्तें जीवन बीमा निगम में जमा नहीं की गई हैं? इसमें किसी व्यक्ति को दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतन से बीमे की रकम की कटौती की जाती है और कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतन से कटौती नहीं की गई?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज और चिकित्सालय में कुल 152 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। उनमें से जो सूचना हमें मिली है, और वह बीमा निगम के जरिये से भी मिलती है, 51 व्यक्ति ऐसे है जिन्होंने अपना जीवन बीमा करा रखा है। इसमें हर महीने का अलग-अलग हिसाब रहता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 51 के 51 ने ही अपनी किस्त वहां कटवाई हो। जिनकी किस्त वहां कटती है, उनको रसीद दे दी जाती है और उसके बाद जीवन बीमा निगम को वह राशि भेज दी जाती है। जीवन बीमा निगम के जरिये से जो रसीदें आती हैं वह सम्मिलित रूप से आती हैं। हो सकता है कि किसी कर्मचारी की ऐसी शिकायत हो। यदि माननीय सदस्य किसी के बारे में ऐसी सूचना देंगे, तो उसकी जांच करा ली जाएगी।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर, कि कर्मचारी अपने वेतन से बीमे का पैसा जमा करते थे लेकिन अधिकारियों ने जानबूझ कर उनके पैसे की बीमा कटौती नहीं की, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, ऐसे किसी व्यक्तिगत कर्मचारी की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। यूनियन के पदाधिकारी ने यह बात जरूर कही है कि तीन कर्मचारियों ने जो किस्त जमा की थी, वह जमा नहीं हुई। उसकी जांच हो रही है और उस जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया जायगा, तो उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा।

श्री रामआसरे वर्मा—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 3 कर्मचारियों के बारे में यूनियन की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनका पैसा बीमा में जमा नहीं कराया जा रहा है, इसी तरह से मेरी जानकारी को सही मानकर कि अन्य भी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी रकम बीमें में जमा नहीं कराई जा रही है, इसकी पुनः जांच करायेंगे ? और संबंधित अधिकारी, जो दोषी पायें जायेंगे, उन्हें दंडित करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री रमाशंकर कौशिक—

यह दो, चार, पांच या दस हजार लोगों का प्रश्न तो है नहीं। मात्र 152 कर्मचारी हैं और वे सारे कर्मचारी एक ही जगह पर आयुर्वेदिक कालेज या अस्पताल में रहते हैं। अगर किसी कर्मचारी को शिकायत हो तो हमारे जो प्रिंसिपल है या सुपरिन्टेंडेंट है, उनको शिकायत दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसी शिकायत करेगा, उसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और बाहर के व्यक्ति से भी जांच करा ली जाएगी।

लक्ष्मी शुगर मिल्स हरदोई के कर्मचारियों का अनशन

*9—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल्स, हरदोई के श्रमिक दिनांक 29 जनवरी, 1979 को क्षेत्रीय संराधन अधिकारी, लखनऊ के समक्ष हुए समझौते का पालन मिल प्रबन्धकों द्वारा न किये जाने के विरोध में दिनांक 19 फरवरी, 1979 से मिल गेट पर क्रमिक अनशन चला रहे हैं जिसे दिनांक 12 मार्च, 1979 से आमरण अनशन में बदल दिये हैं जिसके फलस्वरूप स्थिति विस्फोटक हो गयी है ? यदि हां, तो श्रमिकों की मांगें क्या हैं तथा समझौते का पालन न करने वालों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

प्रश्न के अन्तर्गत उल्लिखित क्रमिक एवं आमरण अनशन चल रहा था परन्तु शासन के अधिकारियों के प्रयास से दिनांक 2 अप्रैल, 1979 को एक समझौता हो गया है जिसके फलस्वरूप अनशन तुरन्त समाप्त हो गया। समझौते के अन्तर्गत पूर्व मांगे विलीन हो गई और पुरान समझौते के पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं रहा।

गाजियाबाद की जैन शुद्ध वनस्पति व्यापारिक संस्थान द्वारा मंगाया गया कथित पाम आयल

*10—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद में कार्यरत जैन शुद्ध वनस्पति व्यापारिक संस्थान ने वर्ष 1977 और वर्ष 1978 में करोड़ों रुपये का पाम आयल बाहर

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

से मंगा कर सरकारी आदेशों की अवहेलना करके अस्वास्थ्यकर रूप में बड़े पैमाने पर बिक्री कर दिया है ? क्या उक्त फर्म का जनवरी, सन् 1978 में उक्त वस्तु का भेजा हुआ नमूना नं0 1241 और फरवरी, सन् 1978 में 7000 टन माल का भेजा हुआ नमूना लखनऊ विश्वविद्यालय के डा0 एस0 बी0 सिंह द्वारा "पब्लिक एनालिसिस" की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अब तक उक्त फर्म के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

स्वास्थ्य विभाग को इस आशय की जानकारी नहीं है कि जैन शुद्ध वनस्पति व्यापारिक संस्थान ने वर्ष 1977 और 1978 में करोड़ों रुपये का पाम आयल बाहर से मंगाकर सरकारी आदेशों की अवहेलना करके अस्वास्थ्यकर रूप में पड़े पैमाने पर बिक्री कर दिया है ।

प्रश्नगत संस्थान से रिफाइंड पाम आयल का नमूना सं0 1241 जनवरी, 1978 में लिया गया था जो जन विश्लेषक, उत्तर प्रदेश द्वारा जांचोपरान्त विशुद्ध पाया गया । इसी प्रकार जनवरी, 1978 से अप्रैल, 1978 के बीच संस्थान से प्राप्त किये गये पाम आयल के सभी नमूने विशुद्ध पाये गये अतः फर्म के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*11—श्री राम आसरे अग्निहोत्री,—

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित] ।

मेसर्स मोहन मिकिन ब्रिवरीज, गाजियाबाद, व मेसर्स गोल्ड वाटर ब्रिवरीज, लखनऊ पर बकाया आबकारी शुल्क

*12—श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत मोहन मीकिन ब्रेवरीज लिमिटेड, मोहन नगर, लखनऊ के विरुद्ध कितने लाख रुपए के वसूली के आदेश हुए हैं ? उपरोक्त ब्रेवरीज पर 31 मार्च, 1979 तक बियर वेस्टेड आबकारी शुल्क तथा जुर्माने की दन्ड के रूप में कुल कितना रुपया बकाया था तथा उसकी वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए मेसर्स मोहन मीकिन ब्रिवरीज गाजियाबाद तथा मेसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज, लखनऊ के विरुद्ध 1963 से 73 के बीच दस प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अतिरिक्त अधिक उत्पादन छीजन के ऊपर आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर लगाये गये 83.35 लाख रुपये की पेनाल्टी की धनराशि उक्त इकाई के रीवीजन पीटिशन शासन द्वारा निरस्त किये गये । इसके फलस्वरूप उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही चालू की गयी ।

उपर्युक्त ब्रिवरीज पर बियर वेस्टेज आबकारी शुल्क तथा जुर्माने की दन्ड के रूप में बकाया धनराशि के संबंध में 31-3-77 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं । इस अवधि तक 1, 77, 14,639.93 रुपया बकाया था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त सभी धनराशि को वसूल करने के संबंध में

[श्री रामाशंकर कौशिक]

स्थगन आदेश दे दिये हैं। उच्च न्यायालय का मामले में अंतिम निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्णय के अनुसार निहित धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।

शाहजहांपुर की आई० टी० आई० में पिछड़े वर्ग के छात्रों का आरक्षण

*13—श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) —

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में स्थित आई० टी० आई०, रौजा में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु कोई आरक्षण रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों मदों में आरक्षण कराएगी ?

श्री क्रान्ति कुमार—

इस प्रकार के सभी संस्थानों में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये केवल प्रवेश हेतु 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं परन्तु इनके छात्रवृत्ति हेतु कोई आरक्षण नहीं है।

छात्रवृत्ति के आरक्षण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

*14–20—[नियम 47 (1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]।

संयुक्त चिकित्सालय, गोरखपुर के औषधि भंडार से लिया गया दवा का नमूना

*21—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि 7 अप्रैल, 1979 को गोरखपुर के सयुक्त चिकित्सालय, के औषधि भन्डार से लाखों की नकली दवाएं बरामद हुई हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ?

श्रीरमाशंकर कौशिक—

दिनांक 7 अप्रैल, 1979 को संयुक्त चिकित्सालय, गोरखपुर के औषधि भंडार में लाखों रुपये की नकली दवाएं बरामद नहीं हुई वरन् कुछ व्यक्तियों की शिकायत पर हेमासूल नामक कैप्सूल जिसे खराब कहा गया था, का नमूना क्षेत्रीय औषधि निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा लिया गया और उसे जांच हेतु भेज दिया गया है। परीक्षण रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। उक्त कैप्सूल की कीमत कुल 2000 रुपये हैं।

अधिशासी अभियंता, जल निगम, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*22—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन, मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 फरवरी, 1979 के प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर जो आदेश मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को अधिशासी अभियन्ता अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर के स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता द्वारा लगाए गए विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोपों के जांच के संबंध में भेजा गया था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और जांच का परिणाम क्या रहा ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

अधिशासी अभियन्ता गोरखपुर का रायबरेली स्थानान्तरण करने का आदेश दिनांक 20 मार्च, 1979 को जारी कर दिया गया तथा शिकायतों की जांच का भी आदेश अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी को दिया गया । जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पाई गयीं । बाद में प्रशासनिक आधार पर उक्त अभियन्ता का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया ।

जल निगम, लखनऊ के अवर अभियन्ताओं की कथित पदोन्नति के विरुद्ध शिकायती-पत्र ।

*23—श्री कृष्णा राय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के अन्तर्गत माह फरवरी, 1979 में अवर अभियन्ता (विद्युत यांत्रिक) की सहायक अभियन्ता (विद्युत यांत्रिक) के पदों पर पदोन्नति में की गयी विभिन्न अनियमितताओं से संबंधित प्रश्नकर्त्ता तथा 6 अन्य विधायकगण के हस्ताक्षर-युक्त पत्र, जो दिनांक 22 मार्च, 1979 को मुख्य मन्त्री कार्यालय में दिया गया था, पर क्या कार्यवाही की गयी तथा सुपरसीड अवर अभियन्ताओं में से किन-किन की पदोन्नति कर दी गयी है ? यदि नहीं की गयी तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जांचोपरान्त शिकायतें गलत पाई गयीं । अवक्रमित (Superseded) अवर अभियन्ताओं में से अभी तक किसी की पदोन्नति नहीं की गयी है क्योंकि फरवरी, 1979 में किये गये चयन के पश्चात् पदोन्नति हेतु चयन समिति की कोई और बैठक नहीं हुई है ।

*24—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

[5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

अतारांकित प्रश्न

श्री एच० एन० लाल, अवर अभियन्ता विद्युत, सिसवा बाजार, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र ।

1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता पार्टी, धुधली के कार्यालय मंत्री (श्री राम आसरे जायसवाल) ने शासन को एक शिकायती-पत्र इस आशय का दिया है कि लाइन इन्सपेक्टर, सिसवा बाजार (गोरखपुर) (श्री एच० एन० लाल) ने वर्ष 1978 में विभाग द्वारा सर्विस लाइन एवं उपभोक्ताओं के सड़े-गले तारों को बदलने हेतु जो धनराशि दी गयी थी उसे उन्होंने हड़प लिया ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, उक्त आशय का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर जांच कराई गई थी किन्तु श्री एच० एन० लाल, अवर अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो पाये ।

फतेहपुर जिले के ग्राम खजुहा को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

2—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि 3 दिसम्बर, 1978 को सम्पन्न हुए फतेहपुर जिले में चुनाव प्रचार दौड़े के दरम्यान तत्कालीन मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश तथा स्वायत्त शासन मंत्री, उत्तर प्रदेश ने बिन्दकी में जनता के समक्ष घोषणा किया था कि फतेहपुर जनपद का ग्राम खजुहा शीघ्र ही टाउन एरिया बना दिया जायगा ? क्या यह सही है कि अभी तक खजुहा टाउन एरिया गजट नहीं हुआ है ? विलम्ब के क्या कारण हैं।

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी नहीं।

फतेहपुर जिले के खजुहा ग्राम को टाउन एरिया में परिवर्तित करने के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। आबादी और आय कम होने के कारण उक्त गांव को टाउन एरिया में परिवर्तित करना उचित नहीं समझा गया है।

फतेहपुर जिले के ग्राम मिराई व हरदौरपुर की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग।

3—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि फतेहपुर जनपद के 286 उत्तर बिन्दकी क्षेत्र के ग्राम व पोस्ट मिराई व हरदौरपुर के हरिजनों ने मंत्री जी व अधिशासी अभियन्ता विद्युत, जनपद फतेहपुर को कोई प्रार्थनापत्र गत वर्ष हरिजन बस्ती में बिजली दिये जाने के संबंध में दिए थे ? यदि हां, तो सरकार इन ग्रामों को हरिजन बस्ती में शीघ्र प्रकाश की व्यवस्था करावेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह—

फतेहपुर जनपद के प्रश्नगत दो ग्रामों में से केवल मिराई ग्राम के हरिजनों से ही हरिजन बस्ती में बिजली दिये जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खन्ड, फतेहपुर को प्राप्त हुआ है।

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत प्रति हरिजन बस्ती 3000 रु0 तक लागत आने पर ही, कुल लागत पर उपलब्ध राजस्व प्रति लाभ को न देखते हुए, हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जा सकता है। ग्राम मिराई की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण पर लागत 5661 रु0 (लगभग) आ रही है, अतः इसका विद्युतीकरण इस नीति के अन्तर्गत संभव नहीं है। इस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण उस स्थिति में ही संभव है यदि इसमें कनेक्शन हेतु इतनी संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो जायं कि विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर 15 प्रतिशत राजस्व प्रतिलाभ उपलब्ध हो जाय।

ग्राम हरदौरपुर की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण पर लागत 1451 रु0 (लगभग) आ रही है तथा इसके विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आशा है कि इस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण का कार्य एक माह के अन्दर पूरा हो जायेगा।

लखनऊ में माल की चुंगी की चोरी

4—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आजकल लखनऊ आने वाली ट्रकों पर माल की चुंगी की चोरी अधिक मात्रा में बढ़ गयी है ? यदि हां, तो इस चुंगी चोरी को बचाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी नहीं ।

डा0 के0 एस0 रस्तोगी, होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी झांसी के वेतन का निर्धारण

5—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 1965 से कार्यरत मेडिकल आफिसर इंचार्ज, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, डाक्टर, (के0 एस0 रस्तोगी) जो इस समय झांसी में हैं, के वेतन निर्धारण के संबंध में डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल एन्ड हेल्थ सर्विसेज (होम्योपैथिक) द्वारा आदेश संख्या 17 एफ–606, दिनांक 27 जनवरी, 1976 जारी करने के बाद भी वेतन निर्धारण न किए जाने का क्या कारण है और इस विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनका वेतन निर्धारण एवं अवशेष वेतन (एरियर) का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1976 द्वारा डा0 रस्तोगी के पिता को डा0 रस्तोगी के वेतन निर्धारण के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया था ।

डा0 रस्तोगी के कई जिलों में सेवारत रहने के कारण उनकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों की संबंधित जिलों के अधिकारियों से पूरा कराये जाने के कारण उनके मामले में विलम्ब हुआ । इस संबंध में अभी भी कुछ सूचनायें अपेक्षित हैं । जिन्हें अधीक्षक जिला अस्पताल झांसी से मांगा गया है। वांछित सूचनाओं के प्राप्त होने पर डा0 रस्तोगी के वेतन का निर्धारण अन्तिम रूप से करने तथा अवशेष वेतन के भुगतान के संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

लखनऊ मेडिकल कालेज में हुई आत्म हत्याएं

6—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या शासन को जानकारी है कि विगत तीन वर्षों से लखनऊ मेडिकल कालेज (किंग जार्ज अस्पताल तथा क्वीन मेरी अस्पताल) में कई आत्म हत्याएं हुई हैं ? यदि हां, तो इन आत्महत्याओं के रोक–थाम के सम्बन्ध में सरकार कोई ठोस मनोवैज्ञानिक उपाय खोज रही है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुर्वेदिक अस्पताल, टूरियागंज, लखनऊ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति की आया

7—श्री बिहारी लाल हंस तथा श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक अस्पताल, टूरियागंज, लखनऊ में कितनी अनुसूचित जाति व कितनी जन–जाति की आया महिलाएं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आज तक कार्यरत हैं तथा कितनी अवधि से कार्य कर रही हैं? इनमें से कितनी आया महिलाए स्थायी हैं व कितनी अस्थायी हैं?

श्री रमाशंकर कौशिक—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय, टूरियागज, लखनऊ में वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जन–जाति की कोई आया कार्यरत नहीं है। फलतः कोई अन्य प्रश्न नहीं उठता है।

विकास खण्ड भदैया, जिला सुल्तानपुर के स्वास्थ्य सहायक, श्री कृपा शंकर के विरुद्ध शिकायती–पत्र

8—श्री सुन्दर लाल (जिला उन्नाव)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृपा शंकर, स्वास्थ्य सहायक, विकास खण्ड, भदैया, जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध दिनांक 22 व 26 मार्च, 1979 को शिकायती–पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमाशकर कौशिक—

जी हां, प्रश्नगत शिकायती–पत्रों में निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं:—

(1) अराजक तत्वों को बढ़ावा देना।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करना।
(3) अधिक समय से गृह विकास खण्ड में कार्यरत रहना।
(4) राजकीय कार्य न करके हमेशा अपने घर पर ही रहना।

उक्त आरोपों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

9—श्री रवीन्द्र सिंह—

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर में समाचार–पत्रों के कार्यालय–भवन के निर्माण हेतु तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा दिया गया कथित आश्वासन

10—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री ने गोरखपुर नगर में समाचार–पत्रों के कार्यालय हेतु कमरा बनवाने, चौराहों पर शहीदों की मूर्तियां स्थापित करने का आश्वासन वर्ष 1978 में गोरखपुर में एक सम्वाददाता सम्मेलन में दिया था? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामाधार पांडेय—

वर्ष 1978 में किसी सम्वाददाता सम्मेलन में तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा दिए गए ऐसे किसी आश्वासन की जानकारी नहीं है अतः उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के ग्राम भौवापार पिपरौली व गजपुर को टाउन एरिया बनाने की मांग

11—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर जिले के भौवापार, पिपरौली बाजार एवं गजपुर कस्बों को टाउन एरिया बनाने की मांग प्रश्नकर्ता ने वर्ष 1977 व 1978 में किया था? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने सर्वे भी कराया था? यदि हां, तो इन्हें कब तक टाउन एरिया घोषित कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामाधार पांडेय—

जी हां। गोरखपुर जिले की भौवापार, पिपरौली बाजार एवं गजपुर को टाउन एरिया बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया। प्रश्नगत गांवों की आय तथा आबादी बहुत कम होने के कारण इन्हें टाउन एरिया में परिवर्तित करना उचित नहीं समझा गया।

पण्डित नेहरू इण्टर कालेज, बांसगांव, गोरखपुर में स्टेडियम निर्माण की मांग

12—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1976 में गोरखपुर जिले के जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालेज, बांसगांव में कोई स्टेडियम बनाने की योजना थी? क्या उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने 1 फरवरी, 1976 को खेल-कूद निदेशक, उत्तर प्रदेश को कालेज द्वारा 6 एकड़ भूमि हस्तान्तरित करने की सूचना भी दिया है? क्या क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी से जमीन की उपयुक्तता के विषय में आख्या भी मांगी गई थी? अब तक स्टेडियम न बनने का क्या कारण है? क्या इस स्टेडियम के शीघ्र निर्माण का सरकार आदेश देगी?

खेल-कूद मन्त्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)—

पण्डित नेहरू इन्टर कालेज, बांसगांव से कालेज की भूमि पर स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

यह पत्र 1-2-76 का न होकर 9-2-76 का है, जिसमें कालेज द्वारा भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव की सूचना दी थी।

जी हां।

भूमि का खेलकूद विभाग के नाम औपचारिक स्थान्तरण अभी तक कालेज द्वारा नहीं किया गया है।

भूमि प्राप्त हो जाने और धन की व्यवस्था होने पर ही विचार किया जा सकेगा।

आयुर्वेदिक अस्पताल, टूरियागंज, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का धुलाई भत्ता

13—श्री बिहारी लाल हंस तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक अस्पताल, टूरियागंज, लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, चपरासी, फर्राश, सफाई कर्मचारी व आया महिलाओं को वर्दी की सुविधा व वर्दी धुलाई की माहवार सुविधा दी जाती है? यदि हां, तो किस प्रकार और किस दर से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी हां।

[श्री रमाशंकर कौशिक]

वर्दी की धुलाई एक रुपया पचास पैसा प्रति माह की दर से दी जाती है और इसका भुगतान उनके वेतन बिल के साथ किया जाता है।

14—श्री जगन्नाथ सिंह—

[22-3-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित]

अलीगढ़ विश्वविद्यालय की घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

(श्री रवीन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

301 में आप जो सूचना ले रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में रहने वाले छात्र हैं उनके छात्रावास खाली हो गए हैं, वहां पर हिन्दू छात्रों का पता नहीं चल रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कोई भी सूचना नहीं दी है। मैं इस विषय में चर्चा की मांग करता हूं। इसके लिए समय निर्धारित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। श्री रवीन्द्र सिंह, अब नियम 301 के अन्तर्गत अपनी सूचना पढ़ेंगे।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, जब काम रोको प्रस्ताव आया है तो उस में.....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी उसका नम्बर नहीं आया है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा अचानक व्यक्तिगत परीक्षा पर प्रतिबन्ध लगाने से परीक्षार्थियों में रोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय नें अचानक इस वर्ष व्यक्तिगत परीक्षा पर प्रतिबन्ध लगा दिया। फलस्वरूप गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और बलिया के एक लाख से भी ऊपर युवक युवतियां परीक्षा नहीं दे पा रही हैं। पिछले वर्षों तक हर साल एक लाख के लगभग परीक्षार्थी व्यक्तिगत रूप में परीक्षा देते रहे हैं।

एक ओर जहां सरकार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या को नियन्त्रित एवं कम करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत परीक्षा पर रोक लगाना अदूरदर्शिता है। सरकार सब को प्रवेश दे नहीं सकती है। ऐसी सूरत में यदि कोई युवक घर पर ही से पढ़ कर परीक्षा देना चाहता है तो उसे अवसर मिलना चाहिए। साथ ही व्यक्तिगत परीक्षा से पूर्वांचल के उन गरीबों को भी परीक्षा में बैठ कर उच्च डिग्री हासिल करने का अवसर मिलता था जो आर्थिक विपन्नता के कारण, शिक्षा महंगी होने के कारण विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते थे। इस पिछड़े एवं गरीब इलाके में ऐसे छात्रों की संख्या बहुतायत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालय के इस निर्णय से लाखों लोग प्रभावित हुए । युवकों, छात्रों में अत्यन्त रोष है। विश्वविद्यालय का यह कदम शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए नहीं बल्कि परीक्षा के बोझ से छुटकारा पाने के लिए उठाया गया है।

अनुरोध है कि सरकार लाखों युवकों, युवतियों के हित साधन के लिए हस्तक्षेप करे।

नैनीताल के धीरे-धीरे धसने की आशंका के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, प्रकृति के सुरम्य स्थली नैनीताल के धीरे-धीरे धरती में समा जाने की आशंका पैदा हो गई है।

देश के प्रसिद्ध भू-वैज्ञानिक एवं शान्ति स्वरूप भटनागर, पुरस्कार विजेता डा0 किशन सिंह बल्दिया ने उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के आदेशों पर नैनीताल शहर के स्थायित्व के सम्बन्ध में अपने शोध कार्य के बाद जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उनसे नैनीताल नगर के विनाश की आशका बलवती होती है। डा0 बल्दिया ने अपने सर्वेक्षण द्वारा यह ज्ञात किया है कि नैनीताल की भूमि में एक गहरी दरार पड़ गयी है जो शहर को दो भागों में विभक्त करती है। इस दरार की चौड़ाई प्रतिक्षण बढ़ रही है जिससे एक दिन सारा शहर भूगर्भीय दरार में विलीन हो जायगा।

इस रहस्योद्घाटन से नैनीताल शहर के लोगों में तथा उस के समीप बसने वाले लोगों में आतंक एवं भय का वातावरण हो गया है।

अतः मैं माननीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आकर्षित करते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि तथ्य क्या है इससे सदन को अवगत कराया जाय।

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सारे नैनीताल में आतंक फैला है, पर्यटक वहां पर नहीं आ रहे हैं। मैंने नियम 51 में भी इसे दिया है। इस पर वक्तव्य सदन में दिला दें तो सब अवगत हो जाते।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में सदन को सूचित करेंगे।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जब सूचना देंगे तो वक्तव्य हो जायगा।

साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, फैजाबाद के सामने बम विस्फोट की घटना के विषय को नियम 801 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान फैजाबाद अयोध्या मार्ग पर स्थित का0 सु0 साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के सामने दिनांक 14 मई, 1979 के बम विस्फोट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस बम विस्फोट की घटना से करीब दर्जन भर छात्र बुरी तरह घायल हुए हैं जिन में से कई छात्र राजकीय चिकित्सालय, फैजाबाद में अपनी चिकित्सा करा रहे हैं। इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री जय शंकर पाण्डेय]

घटना से जनपद के शान्ति प्रिय नागरिकों तथा विधायकों में आतंक एवं भय का वातावरण व्याप्त हो गया है।

यह घटना विद्यार्थियों के यातायात तथा कालेज में बढ़ते हुए अराजक तत्वों के कारण घटी है । पिछले कुछ महीनों से साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में नित्य की घटने वाली घटनाएं शान्ति प्रिय विद्यार्थियों के लिए सिर दर्द बन गई हैं। आम नागरिकों, मोटरकार, ट्रक, रोडवेज की बसों का चलना सुचारू रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। यदि इसका निदान सरकार द्वारा तत्काल न किया गया तो दर्जनों हत्यायें साकेत महाविद्यालय के प्रांगड़ में होंगी जिससे आम नागरिकों तथा शान्तिप्रिय विद्यार्थियों का जीवन संकटमय हो जायगा।

मान्यवर, मैं आप से आग्रह करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह अराजक तत्वों से कड़ाई से निपटते हुए तत्काल का0 सु0 साकेत कालेज के विद्यार्थियों के लिए एक सिटी बस तथा रियायती टिकट की सुविधा उपलब्ध कराए जिससे आवागमन विद्यार्थियों के संकट से मुक्त हो सके।

लखनऊ वाराणसी आदि कुछ नगरों के अस्पताल में निम्न स्तर की दवाइयां तथा ग्लूकोज के वितरण के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

महोदय, सम्प्रति सम्पूर्ण प्रदेश के कुछ हिस्सों में अब ऐसी एवं निम्न स्तर की दवाइयां तथा ग्लूकोज सरकारी अस्पतालों में मरीजों को वितरित किये जा रहे हैं। जिन्हें उत्तर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग ने लाइसेंस दिया है। मुझे यह निश्चित जानकारी मिली है कि जनपद लखनऊ, वाराणसी सहित कई नगरों में निम्न स्तर का ग्लूकोज अस्पतालों में मरीजों को दिया जा रहा है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इसके बारे में मैंने स्वयं स्वास्थ्य मंत्री को निजी तौर पर अवगत करा दिया था । दिनांक 24 मार्च, 1979 को लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल में करीब 6 मरीजों को ग्लूकोज पानी दिया गया उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और जब ग्लूकोज का पानी बदला गया तब जा कर मरीजों की दशा अच्छी हुई और किसी तरह उनकी जान बचाई गई जिसकी सूचना लिखित रूप से बलरामपुर अस्पताल के वरिष्ठ अधीक्षक ने शासन को भी प्रेषित कर दी है। मुझे यह निश्चत रूप से जानकारी मिली है कि एक ही लेबोरेज केमिकल्स फर्म के ग्लूकोज का उच्च स्तर पर परीक्षण कराया और परीक्षण रपट में ड्रग निरीक्षण एवं अन्य कई परीक्षणकर्ताओं ने शासन को यह अवगत करा दिया है कि ग्लूकोज पानी निम्न स्तर का है किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाइसेंस निलंबित नहीं किया गया और वह ग्लूकोज पानी सरकारी अस्पतालों में रखा हुआ है।

मान्यवर, यह स्पष्ट रूप से आम आदमी की जान से खिलवाड़ करना है जिसकी जितनी भी निन्दा की जाय, कम है।

नागरिकों में व्यापक रूप में सरकारी अस्पतालों में प्रयुक्त होने वाले ग्लूकोज पानी के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया है जिसके कारण बड़े पैमाने पर रोष व्याप्त है।

अतः इस गंभीर सूचना पर शासन को खेद प्रकट करते हुए तत्काल कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद चमोली में गुप्तकाशी चोप्ता से गोपेश्वर तक बसें न चलाई जाने के कारण वहां के निवासियों द्वारा भूख हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन के संज्ञान में निम्नलिखित तथ्य लाना चाहता हूं:—

जनपद चमोली में गुप्तकाशी चोप्ता, गोपेश्वर मोटर मार्ग को बने 10 साल से ज्यादा हो गये हैं। इस पर अब तक 6 करोड़ के लगभग धन व्यय किया जा चुका है। इसकी दूरी 72 किलोमीटर है किन्तु इस पर गाड़ियां नहीं चलाई जातीं। राजकीय परिवहन वालों का कहना है कि उनके पास इस सड़क पर गाड़ी चलाने के लिये कोई परमिट नहीं है। प्राइवेट मोटर कम्पनियों का दावा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में गाड़ियां नहीं हैं जिससे कि वे इस मार्ग पर गाड़ियां चला सकें। इस खींच तान एवं धांधली का साथ आयुक्त, गढ़वाल, पुलिस विभाग एवं आर0 टी0 ओ0 कार्यालय खुल कर दे रहे हैं। इस उपेक्षा के विरुद्ध कुछ दिनों से जनपद के प्रतिनिधियों ने परगनाधिकारी उखीमठ (चमोली) के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू की हुई है। उनकी इस न्यायोचित मांग को दबाने के लिये पुलिस उनको डरा धमका रही है और गोलियां चलाने की धमकी दे रही है। यह स्थान यहां से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे संदेह है कि यदि सरकार ने तुरन्त हस्तक्षेप नहीं किया तो प्रदेश के इस शांतिपूर्ण क्षेत्र में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इस समय बद्री केदार यात्रा जोरों पर है जो अधिकारी अपना स्थानान्तरण कराना चाहते हैं वह जनता सरकार को बदनाम करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। नवीनतम जानकारी के अनुसार उखीमठ तहसील एवं परगनाधिकारी के कार्यालय को दो हजार आदमियों ने घेरा हुआ है। भूख हड़तालियों की हालत नाजुक है। एक भूख हड़ताली तो बेहोश भी पड़ गया है। इस तरह वातावरण तनावपूर्ण होता जा रहा है।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर तुरन्त जानकारी कर हस्तक्षेप करें अन्यथा उत्तर प्रदेश की सरकार की बदनामी तीर्थ यात्रियों द्वारा भारतवर्ष के कोने कोने में फैला दी जायगी।

मान्यवर, गत साल अपने भूतपूर्व मंत्री जी वहां गये थे। उन्होंने जनता से एक वायदा किया था कि इस मार्ग पर निश्चित रूप से बस चला दी जायगी लेकिन अभी तक उनके आश्वासन पर इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं इसलिये चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अब इस पर तुरन्त कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

ग्राम सिंहपुर, जिला रायबरेली के निकट एक प्राइवेट बस में विद्युत् का करेंट दौड़ जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु तथा कई व्यक्तियों के घायल हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:—

दिनांक 9 मई, 1979 को लगभग 1.30 (पी0 एम0) ग्राम सिंहपुर जिला रायबरेली के निकट एक प्राइवेट बस (करेंट) विद्युत् प्रवाह दौड़ जाने के कारण तीन यात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 व्यक्ति घायल हो गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री गनेशीलाल चौधी—

प्राप्त सूचना के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी जाती है कि बस रायबरेली से इन्हौना जा रही थी। जब वह ग्राम सिहपुर के निकट पहुंची तो बस पर लदी साइकिल उतारते समय उनका हैंडिल बिजली के तारों से छू गया जो कि सड़क को क्रास कर रहे थे। जिससे बस में करेंट फैल गई तथा उक्त दुर्घटना घटित हो गयी। यहां यह जानना अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि यह घटना किस विभाग की लापरवाही से हुई। बिजली के तार विभाग द्वारा क्यों इतने नीचे लगाये गये जिससे यह घटना घटी। मेरी सरकार से मांग है कि इस मामले की जांच करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय और मृतक के परिवारों को अविलम्ब सहायता दी जाय। मान्यवर, इसमें सरकार से एक स्टेटमेंट दिलवाने का आप आदेश दे दें। बिजली के करेन्ट से लोगों की मृत्यु हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार इसमें जांच कराये और सहायता देने की कार्यवाही करे।

पिछड़ा वर्ग, हरिजन एवं अल्पसंख्यक युवा छात्र संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा विधान भवन के सामने अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, पिछड़ा वर्ग, हरिजन एवं अल्प संख्यक युवा छात्र संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश की ओर से ठीक विधान सभा के सामने गत 8 दिनों से आरक्षण एवं विभिन्न क्षेत्रों में सुविधायें दिये जाने के सिलसिले में क्रमिक अनशन चल रहा है। समिति के अध्यक्ष, श्री राम लाल पटेल एवं श्री चन्द्रबली यादव अनिश्चित कालीन अनशन पर है। श्री पटेल की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस अविलम्बनीयलोक महत्व की सूचना की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

अलीगढ़ के दंगे के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव टालने की आशंका के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, अलीगढ़ दंगे के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी का यह बयान आया है कि वहां पर स्थिति सामान्य है और नियंत्रण में है। दूसरी ओर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने परसों फैजाबाद में यह बयान दिया है कि प्रदेश में नगर महापालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को टाला जा सकता है और इस कारण....।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

हमने इस सम्बन्ध में कार्य-स्थगन दिया है..।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने तो नियम 56 के अन्तर्गत भेजा है और यह दूसरी बात कह रहे है।

श्री शतरुद्र प्रकाश —

मान्यवर, उन्होंने चुनावों को टालने का कारण अलीगढ़ का दंगा बताया है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने ही सदन को यह आश्वासन दिया था कि जून में चुनाव होने वाले हैं और अब वे टाले नहीं जायेंगें, चुनाव करा लिये जायेगें। मुख्य मंत्री जी ने भी बयान दिया है कि अलीगढ़ में स्थिति नियन्त्रण में है। तब मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य द्वारा यह कहा जाना कि वहां पर दंगे के कारण ऐसी स्थिति हो गई है कि चुनाव टाले जायेंगें। मान्यवर, यह निश्चित तरीके से संयुक्त जिम्मेदारी का हनन है कि सदन में उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे और सदन के बाहर कहा कि चुनाव टाले जायेंगे जब कि मुख्य मंत्री कहते हैं कि स्थिति सामान्य है। यह अलग-अलग बयान किस तरह से दिये गये। इस संम्बन्ध में आप व्यवस्था दें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) —

श्रीमन्, मैं स्वयं भी इस विषय को उठाना चाहता था, माननीय सदस्य, वाराणसी ने मेरा भार हल्का कर दिया, इसलिये मैं उनका आभारी हूं। यह विषय अत्यन्त चिन्तनीय है कि जिस बात का आश्वासन सदन में दिया जाय, उसे पूरा करने की कोशिश की जाय। हमारे मुख्यमंत्री जी उसे पूरा करने की कोशिश कर भी लेते हैं। आज सारे प्रदेश में इस बात की अनिश्चितता है कि स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे या नहीं होंगे।

जब सदन में बिल्कुल स्पष्ट घोषणा हो चुकी है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कह दिया गया है। जब माननीय गणेश दत्त बाजपेयी मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी कि अगले सेशन में चुनाव अवश्य होगें। अपनी बातों में कायम रहने वाले मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद अब टालने की बात हो रही है। नोटिफिकेशन की तारीख निश्चित हो चुकी है, 26 मई को नामांकन पत्र लिये जायेगें आज से 9 दिन रह गये है 24 जून को चुनाव की तिथि निश्चित हो चुकी है। सारे प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं इस अनिश्चितता के कारण कंडिडेट तय नहीं कर पा रही हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर आश्वस्त कर दें कि चुनाव हर हालत में होगें और जो निर्णय उन्होंने पहले लिया है उस पर कायम रहेंगे। बाहर मंत्री लोग कुछ कह देते हैं मंत्रियों की कुछ आदत हो गई है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक करें और स्पष्ट कर दें ताकि सारे प्रदेश को मालूम हो जाय कि चुनाव अवश्य हो रहे हैं और लोग तैयारी करें।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास) —

माननीय उपाध्यक्ष, जो यह प्रश्न उठा है यह स्वायत्त शासन मंत्री जी को इस संम्बन्ध में सदन में वक्तव्य देना चाहिये था। सरकार ने चुनाव कराने के लिये एक कार्यक्रम बनाया और अलीगढ़ के विवाद के बाद अलीगढ़ जिले से अवश्य यह प्रार्थना आई है कि वहां पर चुनाव कराना सम्भव नहीं होगा। और अलीगढ़ की वजह से यह भी आशंका है कि आसपास के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर कुछ ऐसे स्थानों में जहां पर प्राय: तनाव की स्थिति होती है वहां पर चुनाव कराना संम्भव न हो। अभी तक मंत्रिपरिषद् ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। 21 मई को इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति होने की तारीख है। इस सम्बन्ध में सरकार अवश्य विचार कर रही है और विचार करने के बाद यदि वर्तमान परिस्थितियों को देखने के बाद यह मत हुआ कि चुनाव मुलतवी करना प्रदेश के हित में होगा तो अवश्य ही शीघ्राति-शीघ्र स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने के बाद) आपका दूसरा औचित्य का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह क्या जवाब हुआ, श्रीमन...

नियम 301 के अन्तर्गत सदन में दी गयी सूचनाओं का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध, में औचित्य का प्रश्न

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

इनका (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का) औचित्य का प्रश्न हमारे संज्ञान में आ चुका है, इन्होंने लिख कर भेजा है। इसलिये इनको मैंने पहले इजाजत दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

दुखी अन्तःकरण से मुझे आपका ध्यान आपकी व्यवस्थाओं की ओर दिलाना है। इसी आदरणीय सदन में नियम 301 की सूचनाओं के संबंध में अनेक बार चर्चायें उठ चुकी हैं . . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो उसी मीटिंग में थे जब सब नेताओं की बैठक हुई थी और मुख्य मंत्री जी ने ये आदेश दिये थे कि विभाग के सचिव जो हैं इसके लिये जिम्मेदार होंगे और फिर दुबारा उन्होंने सख्ती के साथ यह निदेश दिये हैं कि नियम 301 की जितनी सूचनायें हैं उनके बारे में कार्यवाही की सूचना जल्दी से जल्दी दे दी जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं जब वह वहां पर बैठे थे तब अनेक बार उन्होंने निदश दिये थ लेकिन उनका पालन नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो चार-पांच दिन ही हुए, बैठक हुए ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

2 तारीख को गन्ने की निरीह समस्या के बारे में मैंने ध्यान आकृष्ट किया था। अभी तक न अंतरिम उत्तर आया और न ही अंतिम। 5 तारीख को हरिजन बस्ती में आग लग जाने के संबंध में था जिसका भी कोई उत्तर नहीं आया। इसी आदरणीय सदन में नगरपालिकाओं के हड़ताली कर्मचारियों के बारे में बात आई थी और कहा गया था कि जब हड़ताल से कर्मचारी वापस आयेंगे उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। मैंने 301 के माध्यम से ध्यान दिलाया था इन सबकी उपेक्षा की जा रही है और 20-20 साल के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की जा रही है

इस सदन के बैठने वाले तमाम सदस्य शिकायत करना चाहते हैं कि उन्हें अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाओं पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। उसका कभी पालन नहीं होता है। अतः आज अंतिम रूप से फैसला हो जाये और इस समय मुख्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। आपके द्वारा और आपके पूर्व अध्यक्ष बराबर निर्देश दिया करते थे और वह व्यक्तिगत रूप से हम लोगों से बात किया करते थे कि सदन की मान मर्यादा के लिये संघर्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहिये। यह हमारा और आपका, सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष का प्रश्न नहीं है बल्कि संसदीय परम्पराओं को सम्मुन्नत बनाये रखने का प्रश्न है। यह दशा रही तो हमारी भावी पीढ़ी इसे पढ़ेगी तो वह हमें क्या कहेगी। भगवान के लिये आप नियम 301 की परम्परा को या तो खत्म कर दीजिए या उसका भली भांति पालन कराइये। इस सदन के अधिकारों की रक्षा के लिये श्रीमन्, आपको खड़ा होना पड़ेगा और मैं मुख्य-मन्त्री से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह खड़े होकर इस बात पर साफ-साफ खेद प्रकाश करें कि जो नियमों की अवहेलना हो रही है और स्वयं उनके द्वारा अध्यक्ष पीठ से दिये हुए निर्देशों का अवहेलना हो रही है। मैं आपके कक्ष में वार्ता करने गया था। इस प्रकार इन नियम 301 का क्या महत्व रह जाता है। पुनः मैं दोहराता हूं कि या तो आप 301 को समाप्त कर दीजिए, अन्यथा इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिये कि 7 दिन अथवा एक महीने में उत्तर मिल सके। मुख्यमंत्री को आप निर्देश दें ताकि स्पष्ट स्थिति हो जाए।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि बावजूद मेरे प्रत्यक्ष आदेशों के कुछ विभागों में माननीय सदस्यों द्वारा नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर आपके निर्देश के मुताबिक नहीं दिया जा रहा है। आपके कक्ष में इसी संबंध में एक मीटिंग हुई थी और वहां पर यह निर्णय लिया गया था कि अन्तरिम उत्तर 7 दिन के अन्दर दे दिया जाय और अन्तिम उत्तर 1 महीने में दिया जाय और यदि अन्तिम उत्तर देने में कोई कठिनाई हो तो पुनः माननीय सदस्यों को सूचित किया जाये। इस मीटिंग्स के बाद सभी सचिवों और मंत्रियों को सख्त आदेश दे दिये गये हैं कि वह नियम 301 की सूचनाओं को महत्व दें और उनके उत्तर वह समय पर दें। मैं इस देरी के लिये कोई औचित्य नहीं समझता हूं और खेद प्रकट करता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मुख्य मंत्री ने खेद तो प्रकट कर दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे आदेशों के बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा है, तो उनको यह भी मालूम होगा कि कौन-कौन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अतः उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का भी उनका इरादा है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप यह उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उसे वह देखेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा लघु सिंचाई मंत्री के विरुद्ध दर्ज कराई गई रिपोर्ट के संबंध में श्री सोहन बीर सिंह तोमर द्वारा दी गयी नियम 301 की सूचना के संदर्भ में सदन का ध्यान आकर्षण

(श्री संगम लाल के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपका कोई औचित्य का प्रश्न है। आप क्यों खड़े हैं?

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

जी हां, मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न है। मैं बराबर खड़ा हूं, लेकिन आपने देखा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, अब आप तोमर जी के बाद कहियेगा।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

आपने नियम 301 में तो उस सूचना को स्वीकार कर लिया है। एक विधायक की जान खतरे में है। माननीय हर गोविन्द सिंह ने बताया है कि यदि हमारी ओर कोई ध्यान न दिया गया तो हमारी हत्या हो सकती है। 9 तारीख को उनके साथ घटना घटी थी। वह सदन में है, उनके गांव में लघु सिंचाई मंत्री जाने वाले थे, क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री नहीं थे, इसलिए दोनों उप मुख्य मन्त्रियों, माननीय नारायण सिंह और माननीय रामनरेश यादव को उन्होंने स्थिति बताई।

श्री उपाध्यक्ष—

यह.....।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

सुन लें। रिपोर्ट दर्ज हुई है एक आदमी के मरने का खतरा है। बावजूद दोनों उप मुख्य मन्त्रियों की सलाह के लघु सिंचाई मन्त्री जोया गांव पधारे। उसमें माननीय सदस्य का घर है। उन्होंने और जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि यह आदमी तीन लाख के गबन के केस में ग्राम पंचायत की प्रधानी से सस्पेन्ड किया गया है, स्मगलर है, उन्होंने प्रदर्शन किया कि दावत नहीं होने देंगे। माननीय हरगोविन्द सिंह की रिपोर्ट थाने में दर्ज है। इल्जाम नम्बर 228, धारा 147/323 के अन्तर्गत। उसमें मुलजिम लघु सिंचाई मन्त्री हैं। इसमें आक्षेप लगाया है कि लघु सिंचाई मन्त्री और उनके साथियों ने माननीय हरगोविन्द सिंह पर और उनके साथियों पर प्राण घातक हमला किया जिसमें कई लोगों को चोटें आयीं और एक आदमी मरणासन्न है। यही नहीं 20 हजार रुपए की थैली माननीय मन्त्री को भेंट हुई। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। यह फोटो मेरे पास है जिसमें माननीय लघु सिंचाई मन्त्री को 20 हजार की थैली भेंट की। गिनता हुआ सरकारी कर्मचारी मौजूद है।

यह दोनों माननीय सदस्य मौजूद हैं। अगर माननीय हरगोविन्द सिंह ने माननीय मन्त्री के खिलाफ गलत रिपोर्ट दर्ज कराई है तो इस सदन को उनकी निन्दा करनी चाहिए और अगर माननीय लघु सिंचाई मन्त्री ने यह व्यवहार किया है, रुपया इकट्ठा किया है, उनके गांव में जाकर विधायक को पिटवाया और दूसरे आदमियों को पिटवाया तो उस मन्त्री के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यदि ऐसी घटनाएं इस सदन के दो माननीय सदस्यों में घटेंगी तो किससे फरियाद करेंगे? यह तो माननीय हरगोविन्द सिंह से सदन के सामने पूछें कि उन्होंने गलत रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई या माननीय मन्त्री इस्तीफा दें। दोनों का निर्णय आपको करना पड़ेगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय सोहन वीर सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। माननीय मन्त्री जी भी सदन में मौजूद हैं, माननीय हरगोविन्द सिंह भी मौजूद हैं। यह उचित होगा कि दोनों का वक्तव्य माननीय सदन के सामने आ जाय कि क्या बात है, तो ज्यादा उचित होगा। माननीय सदन पूरा अवगत हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी श्री ख्याली राम शास्त्री।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसके पहले कि माननीय मन्त्री कुछ कहें, माननीय सदस्य हरगोविन्द सिंह को पहले अपनी बात कहनी चाहिए। यह माननीय सोहन वीर सिंह तोमर कह रहे ह। माननीय हरगोविन्द सिंह से सम्बन्धित घटना है, उनको सुन लें पहले। बिना उनको सुने माननीय मन्त्री को कैसे सुन सकते हैं?

एक सदस्य—

पहले माननीय सदस्य को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय मन्त्री जी को बुलाया है। पहले वह अपनी बात कह लें, हालांकि नियम 301 में इसे स्वीकार नहीं किया था। उसमें बहुत आक्षेप थे। मैंने कहा था कि उसको ठीक कर के दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आपकी व्यवस्था के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जैसा सोहन वीर सिंह जी ने प्रश्न उपस्थित किया, किस नियम के अन्तर्गत उठाया यह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 में अस्वीकार किया था। लेकिन अस्वीकार करते हुए यह कहा था कि इसमें आक्षेप निकाल दें, उसके बाद कल मैं इसकी आपको इजाजत दे दूंगा, आक्षेप वाले अंश निकाल कर दिखला लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हम लोग रहेंगे नहीं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उन्होंने जो बात कही वह माननीय हरगोविन्द सिंह से सम्बन्धित है और माननीय लघु सिंचाई मन्त्री से सम्बन्धित है। दोनों में कोई नहीं खड़ा हुआ सफाई देने के लिए। या तो दोनों को बुलवाइए। एक ही आदमी को बुलायेंगे तो दूसरा पक्ष नहीं प्रस्तुत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

शास्त्री जी पहले खड़े हो चुके थे।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

सदस्य को पहले बुलवा दीजिए। एफ0 आई0 आर0 हरगोविन्द सिंह जी ने दर्ज कराई है। पहले उनको सुन लीजिए। बाद में माननीय मन्त्री जी को बुलाएं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मन्त्री जी खड़े हैं।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हरगोविन्द सिंह ने रपट लिखायी है। उनका पहले बयान दिलवाना चाहिए। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि और 3 विधायकों ने आपके सामने यह बात कही है, लेकिन जो रपट हरगोविन्द सिंह ने लिखायी है उसके बारे में जान लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वह कुछ स्पष्टीकरण करना चाहेंगे तो मैं उनको बाद में मौका दे दूंगा।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अपना निर्णय इस पर दे चुका हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

जो माननीय सोहनबीर सिंह तोमर जी ने कहा है वह श्री हरगोविन्द सिंह से शुरू होता है। जब वह मौजूद हैं तो पहले उसकी पुष्टि हो जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

वह यहां पर मौजूद हैं तो बाद में मैं मौका दे दूंगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

आपके सामने माननीय मन्त्री जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

लघु सिंचाई मन्त्री (श्री ख्याली राम शास्त्री)—

जो शिकायतकर्ता हैं वह पहले अपनी बात कह दें, जिससे कोई बात रह न जाए। मैं सारी स्थिति बता दूंगा उनकी सब कलई खोल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री हरगोविन्द सिंह से) आप कोई ऐसी बात न कहें, जिससे उनके चरित्र पर आक्षेप हो।

*श्री हरगोविन्द सिंह (जिला मुरादाबाद)—

दिनांक 7 मई, 1979 को माननीय लघु सिंचाई मन्त्री जी के दौरे का प्रोग्राम मुझे देखने को मिला। जहां पर मैं रहता हूं वहीं पर दो आदमी मोहम्मद यासीन और हाजी भोला रहते हैं। मोहम्मद यासीन के विरुद्ध साढ़े तीन लाख रुपए के गबन का आरोप है और जिला पंचायत अधिकारी ने उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराया और जिसके कारण उनको ससपेन्ड ही नहीं, बल्कि उनकी सर्विसेज टरमिनेट भी कर दी गई। मन्त्री जी उनके यहां पर दीवाली को गए थे और उन्होंने एक जन सभा में 1,100 रुपए और एक जोड़ी कपड़े माननीय मन्त्री जी को दिए। मैंने माननीय मन्त्री जी से कहा कि ऐसे व्यक्ति के यहां पर जाना उचित नहीं है जिसके विरुद्ध गबन का मामला हो। मैंने फिर 9 मई, 1979 को उनका प्रोग्राम देखा तो मैं डी0 एम0 से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह बदनाम व्यक्ति है। गबन का मुकदमा चल रहा है। उसने तमाम प्रार्थना-पत्र इस बात के दिए हैं कि हरगोविन्द सिंह जनता पार्टी के हैं और मैं कांग्रेस का हूं इसलिए यह वह उसको परेशान करते हैं। अगर आप गए तो वहां पर जनता पार्टी में रोष उत्पन्न होगा और कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मैंने डी0 एम0 से भी कहा और शास्त्री जी के कक्ष में भी गया। जब मैंने शास्त्री जी से यह बात कही थी कि यह अनुचित होगा उस समय भूतपूर्व विधायक श्री शफायत हुसैन भी वहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

पर उपस्थित थे। शास्त्री जी ने कहा कि मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया है और मैं अब ब्लाक के कार्यालय में मीटिंग करूंगा अब तो आपको कोई एतराज नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर उपस्थित नहीं थे।

मैंने कई बार उनसे दिल्ली में फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके निजी सचिव जो खरे हैं उनके कारण 20-20 मिनट बाद दो बार लाइन में लगा, लेकिन उनसे बात न कर सका। तब मैंने जो दो उप मुख्य मन्त्री—माननीय श्री नारायण सिंह और राम नरेश यादव को लिखित अप्रोच किया और कहा कि माननीय मन्त्री जी को वहां पर जाने से रोका जाय क्योंकि वहां पर जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष उत्पन्न होगा और कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मैं समझता हूं कि दोनों उप-मुख्य मन्त्रियों ने, एक ने तो लिखित रूप से भेज दिया था, दूसरे, श्री नारायण सिंह जी ने भी भेज दिया होगा। मुझे ऐसा आभास हो गया था कि माननीय मन्त्री जी का वहां जाना वर्जित हो गया होगा लेकिन जब सुबह को मैं वहां गया और मन्त्री जी भी वहां गए तो उन्होंने वहां पर कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना प्रोग्राम नहीं बदलेंगे और जो निश्चित है वही होगा। जब हमें यह मालूम हुआ तो हमने सोचा कि हम प्रदर्शन करेंगे और अगर कोई गबन करने वालों के यहां पर जायगा तो हम काले झंडों से उसका स्वागत करेंगे लेकिन इसी बीच मेरे पास क्षेत्र विकास अधिकारी, जोया (मुरादाबाद) का लिखित पत्र आया, जिसमें उन्होंने कहा था :

सूचना

महोदय,

"जिलाधीश महोदय, मुरादाबाद के मौखिक आदेशानुसार आप लोगों को सादर सूचित किया जाता है कि माननीय लघु सिंचाई मन्त्री श्री ख्याली राम जी शास्त्री का कार्यक्रम आज जोया में अन्यत्र न होकर मात्र क्षेत्र विकास कार्यालय, जोया के प्रांगण में होगा।

आप लोगों से सानुरोध निवेदन है कि कार्यक्रम में ठीक 9-30 बजे पधार कर माननीय मन्त्री जी के विचारों से अवगत हों तथा सभा की शोभा बढ़ायें।"

तो मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ ब्लाक कार्यालय में पहुंच गया। सारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मन्त्री जी के गले में हार डाले और बहुत स्वागत किया। उस सभा का सभापति भी मुझे बनाया गया। मैंने माननीय मन्त्री जी को आश्वस्त किया कि आपका और मेरा क्षेत्र एक है। अगर आप चाहते हैं कि अपने इस जिले में जो पार्टी बाजी चल रही है अगर आप चाहें तो हम सारी पार्टीबाजी तोड़ सकते हैं और जो रुपया वकीलों के पास जाता है, उसको न जाने दें तब आपका इससे भी ज्यादा स्वागत होगा। जब हम जलपान के लिए ब्लाक के एक कमरे में थे तो उस समय मुझे कहा कि हरगोविन्द जी केवल 3 घरों में से मुझे एक घर जाने दो।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहिए?

श्री हर गोविन्द सिंह—

तो मैंने कहा कि वहां पर आपको वोटों का लालच होगा। मैंने यह भी कहा कि उसने साढ़े 3 लाख रुपए का गबन किया है। अगर आप वहां पर जायेंगे तो आपको किसी लालच से प्रभावित करेंगे। तो माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अपने निजी ताल्लुक भी कुछ होते हैं। तो मैंने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई ताल्लुक नहीं होते हैं। ये कार में बैठ कर और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर गया। इनका 50 बन्दूकों से स्वागत हुआ। हमारे कार्यकर्ता काले झंडे लेकर गए। तब शास्त्री जी ने कहा कि मारो सालों को उनके

[श्री हरगोबिन्द सिंह]

कार्यकर्ताओं ने उनको हार डाले और हमारे कार्यकर्ताओं ने मुरदाबाद के नारे लगाए। वहां के फोटो मौजूद है जबकि एक सरकारी कर्मचारी नोटों को संभाल रहे हैं। फिर कार्यकर्ताओं में मार पीट हुई। मैंने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन कोई जांच नहीं हुई। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि माननीय मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में पूछा जाय और दूसरे अगर शासन के एक भी मन्त्री को किसी जगह भी नोटस दिए जायं तो उसको उनका स्वागत न कहकर यह कहा जाय कि यह रिश्वत दी जा रही है। अगर इस तरह से नोटों का हार मन्त्री जी पहनेंगे तो प्रदेश का यह शासन गर्त में चला जायगा।

श्री ख्याली राम शास्त्री—

अभी माननीय तोमर साहब ने और माननीय विधायक जी ने जो लम्बी चौड़ी बातें कही हैं उसमें अधिकांश बातें असत्य हैं। 21 प्रोग्राम मेरे 9 तारीख के लिए थे और उसमें जोया ग्राम का भी था। माननीय विधायक जी तभी से मुझ से द्वेष करने लगे हैं जब से मैं मन्त्री बना हूं। इन्होंने एक महीने पहले अपने यहां एक मीटिंग भी बुलाई थी

(व्यवधान—शोर)

और उसमें यह कहा था कि भाई शास्त्री जी को हटाओ। जब मेरा 9 तारीख का प्रोग्राम वहां जाने का बना तो विधायक जी ने मुझ से कहा कि मैं वहां न जाऊं। मैंने कहा कि जिनके खिलाफ केस चल रहा है मैं न तो उनके घर जा रहा हूं, न कोई और ऐसी बात है जो वे कह रहे हैं, मैं तो कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहा हूं.....

(व्यवधान)

वहां लोगों ने स्वागत की तैयारी कर रखी है। उसके बाद मैंने सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक मीटिंग भी बुला रखी है। उन्होंने इस पर सहमति दे दी। ब्लाक में जो पब्लिक मीटिंग हुई उस मीटिंग का मैंने इनको ही अध्यक्ष बनाया।

(व्यवधान)

यह विधायक जी उसके अध्यक्ष बनाए गए।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्ति से सुनें।

श्री ख्याली राम शास्त्री—

उसके बाद मैं हाजी भोलू के मकान पर आयोजित सभा में भी गया। वहां जैसे आप हैं, वैसे ही आदमियों को लेकर पहुंचे.....

(व्यवधान)

इनका प्लान यह था कि वहां झगड़ा हो। मैं यह भी बता दूं कि जोया ग्राम की आबादी जो है उसका 25 प्रतिशत ही इनके साथ है, वहां के 75 प्रतिशत लोग इनके विरोधी हैं। यह आपस में वहां लड़ाई कराते रहे हैं।

(व्यवधान)

इनके आदमियों ने कई वहां पर मर्डर कराए हैं, एक ब्लाक प्रमुख का मर्डर कराया है.....

(शोर—व्यवधान)

बहुत से नाजायज हथियार भी पकड़े गए हैं, इनका प्लान यह है कि उस गांव के जितने भी बड़े-बड़े किसान लोग हैं उनका मर्डर करा दिया जाय।

(व्यवधान)

लोग वहां के बहुत घबराए हुए हैं। इन्होंने वहां पर पार्टीबन्दी पैदा कर रखी है। केवल 25 फीसदी आबादी वहां की इनके साथ है और 75 फीसदी इनके खिलाफ है। इन्होंने पूर्व नियोजित योजना बना रखी थी झगड़ा कराने की। इनकी मंशा यही रही है कि वहां दोनों फिरकों में लड़ाई हो ताकि वहां दुश्मनी पैदा हो और मैं बदनाम हो जाऊं। मैंने वहां लोगों को काफी शान्त किया। उनसे कहा कि विधायक जी झगड़ा कराना चाहते हैं, पर आप लोग शान्त रहें, किसी तरह का झगड़ा न करें, अगर वे गाली भी दें तो आप लोग सुन लें, यह मैंने वहां के लोगों से निवेदन किया। इनकी मीटिंग के बाद मैं वहां गया।

(व्यवधान के मध्य)

और कार से उतरा तो तय बात है मेरा स्वागत हुआ, जाने कितने हार पड़े, फूलों के हार पड़े, नोटों के हार भी पड़े। उसको अभी मैंने खोला भी नहीं है, वैसे ही पड़ा है। जो माननीय विधायक के सुपुत्र हैं, जिन्होंने अमरोहा कालेज में प्रिंसिपल का मर्डर किया, माननीय विधायक के खिलाफ भी एक मर्डर में नामजद रिपोर्ट है, सारी दुनिया जानती है कि अमरोहा के प्रिंसिपल का मर्डर माननीय विधायक के लड़के ने किया है, लेकिन चूंकि वह प्रिंसिपल बाहर का था, उसकी तरफ से किसी ने गवाही नहीं दी और केस छूट गया।

(घोर शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, इस जैठानी-द्योरानी के झगड़े को कब तक चलायेंगे ?

श्री ख्याली राम शास्त्री—

मैंने माननीय मुख्य मंत्री को लिखा है कि वहां के सी0 ओ0 को वहां से हटाया जाय। माननीय विधायक के लड़के ने वहां पर लठ चलाये।

श्री उपाध्यक्ष —

आप संक्षेप में कहें।

श्री ख्याली राम शास्त्री—

अबरार साहब ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और इनके लड़के के हाथ में लठिया थी और लठिया उसने चलाई और इन्हीं के आदमियों को भी वह लठिया लगी। एस0 ओ0 ने वहां पर वापसी में रपट दर्ज कराई। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उनकी प्लानिंग पूरी थी और उसमें वह असफल हो गये। इस ग्राम सभा को टाउन एरिया बनाने के लिये उस गांव के तहसीलदार से भी कोशिश कराई, लिखाया कि इसमें 30 प्रतिशत किसान रहते हैं, जब कि 90 प्रतिशत किसान वहां पर रहते हैं। वहां के अधिकारियों से झूठी रिपोर्ट लिखाई कि उस गांव की आबादी 3,632 है, जब कि उस गांव की आबादी केवल दो हजार के लगभग है। मान्यवर, इनकी नियत थी कि मारपीट करायें, लेकिन उसमें वह फेल हो गये। माननीय मुख्य मन्त्री के पास इनकी चिट्ठी गयी। उसमें लिखा था कि इसको देखें। मैंने उसको देख लिया।

(शोरगुल)

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह हाउस है कि यह क्या हो गया है ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका स्पष्टीकरण हो गया, अब आप बैठें ।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मान्यवर, सदन का समय बहुत कीमती है ।

(शोर के मध्य)

एक सदस्य—

यह गुलाबो-सिताबो का झगड़ा है ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री बनारसी दास जी को इस्तीफा देना चाहिये जिसके मंत्रिमण्डल में डकैत, चोर और कातिलों की बात हो रही हो, वह उत्तर प्रदेश जैसे सूबे को क्या चलायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

यह व्यक्तिगत प्रश्नों को सदन में लाना सदन के मूल्यवान समय को नष्ट करना है और यह सदन की गरिमा के भी खिलाफ है । इस सम्बन्ध में श्रीमन्, एक रिपोर्ट मुरादाबाद के डिडौली थाने में माननीय लघु सिंचाई मंत्री, सरीन, मुसर्रफ हुसैन, जाहिद आदि के खिलाफ दर्ज है जिसकी विवेचना चल रही है । यह सदन अदालत नहीं बन सकता है न यहां पर उन पर विचार कर सकते हैं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि केवल सदन में जो सार्वजनिक महत्व के प्रश्न हो उनकी आप अनुमति दें इससे सदन का अपमान होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता सदन ने जो कहा तो सूचना को मैंने स्वीकार नहीं किया था । अब यह जो बात है वह समाप्त हो गई । अब इसको बार-बार नहीं उठायें ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, यह बहुत दुःख पूर्ण बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आपको निर्देश दिया करते हैं.....

(शोर)

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो नियमावली है उसी के तहत सदन का कार्य संचालित होता है । अगर कोई मंत्रिपरिषद् का सदस्य भ्रष्ट है तो उसे रहने का अधिकार नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी नियमों के द्वारा ही सदन के कार्य को संचालित करते हैं तो यहां पर मंत्रिपरिषद् के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव या कोई कार्य के खिलाफ विचार किया जा सकता है लेकिन वह नियम 301 में प्रस्ताव लाकर और इस सदन के अन्दर इसका इस्तेमाल करके मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के खिलाफ विचार हुआ है । तो आप कोई संशोधन करें नियमों में और हर रोज एक घंटा किसी भी मंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ चर्चा हुआ करे लेकिन जब तक नियम नहीं बन जाते तब तक यह शून्य काल में अगर इस तरह की सूचनाओं की अनुमति आप देते रहेंगे तो क्या कोई तथ्य सामने आ पायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक जानकारी तोमर जी ने दी, कि माननीय हरगोविन्द जी और मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया । सदन कोई कमेटी बना रही हो तब तो मान्यवर, समझ में आता है नहीं तो सास बहू का झगड़ा हो, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो तो इससे तो सदन की गरिमा घटेगी ही । मैं आपसे कहूंगा कि जब तक किसी पर कोई चार्ज न हो सदन में कोई कार्यवाही न हो । अगर इसकी पुनरावृत्ति होगी तो कल कहीं से फिर प्रस्ताव लायेंगे, मा० बनारसी दास जी के खिलाफ ले आयेंगे, कल कोई हमारे खिलाफ ले आयेगा और यह सदन इसी प्रकार के झगड़ों का अखाड़ा बन जायेगा । इस प्रकार सदन में कोई भी सार्वजनिक हित के कार्य नहीं हो पायेंगे । आप इस पर कड़ाई बर्तें कड़ाई से कोई कदम उठायें । इसे आप कार्यवाही से निकाल दें । इसमें बहुत से ऐसे शब्द आ गये हैं किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ । माननीय सदस्य ने गाली दे दिया । इस तरह से सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रकार का एक प्रश्न पहले भी आया था जिसमें मैंने अपनी व्यवस्था दे दी थी । हमारी नियमावली में नियम 301 के अलावा और कोई नियम नहीं है जिसमें यह आ सके ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, नियम 103 में भी आ सकता है, आप नियमावली देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

केवल नियम 301 में आ सकता है । कई ऐसी चीजें थीं, व्यक्तिगत आक्षेप भी हुये थे । तोमर जी से मैंने कहा था कि अगर आप संशोधित रूप से इसे लावें तो कल मैं इसके संशोधित रूप पर विचार करूंगा । यह बात हुई थी । आज जब इसको उठाया गया तो मैंने रोका । जब वह बात कही गयी तो माननीय मन्त्री जी की बात आई । इस सम्बन्ध में किसी सदस्य ने नहीं टोका, तो माननीय मंत्री जी को मैंने स्पष्टीकरण देने के लिये कहा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अगर कोई सदस्य आपकी अनुमति के बिना कोई बात कहता है तो आपने व्यवस्था दे रखी है तो वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । अगर वह कार्यवाही का अंग है तो मैं कहूंगा कि 45 मिनट सदन का बहुमूल्य समय इस जनता पार्टी के तान्डव नृत्य में लग गया । क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? क्या सदन को अवगत करायेंगे कि यह क्या हो रहा है मैं चाहता हूं कि आप सदन को बतायें कि क्या इसी प्रकार सदन की कार्यवाही होगी ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, अगर माननीय नेता सदन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते तो ज्यादा अच्छा होता । लेकिन चूंकि उन्होंने एक-दो ऐसी बातें कह दीं इसीलिये मुझे श्रीमन् आपसे आज्ञा लेनी पड़ी । पहली बात यह है कि नियम 105 आप देखें । नियम 105 में प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें लिखी हुई हैं और उसमें जो तीसरा उपनियम है उसमें है कि व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण पर टिप्पणी नहीं होगी । सार्वजनिक हैसियत क्या है । सार्वजनिक हैसियत को लेकर उस पर आलोचना करना हमारा कर्तव्य होगा । मैं, जो कुछ भी विवाद हुआ उसके गुण-दोष में नहीं जाना चाहता, गलत है या सही है, इसमें नहीं जाना चाहता । सदन को अधिकार है, विरोधी दल के प्रत्येक मेम्बर को अधिकार है, चाहे वह किसी दल का हो अपनी बात कहने का । कोई गवर्नमेन्ट का मेम्बर है, उसका आचरण क्या हो, कोड आफ कन्डक्ट बना है । स्टेट एण्ड लाइबेलिटी के बारे में माननीय सदस्य का विवरण आपके पास आता है, कितना बैंक में जमा है, कितना उधार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

है । इसीलिये चूंकि हम पब्लिक सर्वेन्ट हैं, यहां पर शपथ ले रखी है, हमें आलोचना सुननी पड़ेगी । मैं बड़े अदब से सुनता हूं, हम अल्पमत में हैं, हमारी आलोचना होती है, मैं सुनता हूं, सही भी होती है, गलत भी होती है लेकिन लोग समझते हैं कि हम सही कह रहे हैं । तो अगर यह नियम बन गया कि किसी मिनिस्टर के पब्लिक कन्डक्ट, सार्वजनिक आचरण, विचार का विषय नहीं बन सकता तो फिर सदन में क्या कार्यवाही होगी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, प्रश्न तो 301 का है । 103 के अनुसार अगर कोई माननीय सदस्य कहता है तो वह तो होगा ही । यह अनावश्यक बोल रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर किसी पब्लिक सर्वेन्ट के कन्डक्ट पर कोई चीज आती है तो उस पर चर्चा हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसको स्वीकार नहीं किया था ।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, तोमर जी ने जो प्रश्न उठाया था आप उस पर निर्णय दे चुके हैं । माननीय तिवारी जी 103, 105 के बारे में कहने लगे । जिस पर बहस नहीं है उस पर बहस ले आये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बहस इसी पर है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दूसरा सवाल ले आये । नियम 301 में जिस रूप में मेरे सामने यह आया था उस रूप में तो मैंने इसको स्वीकार नहीं किया था । मैंने कहा कि आप संशोधित रूप में जिसमें चरित्र के ऊपर बात न आती हो आप दें, तो मैं विचार कर लूंगा । मैंने यह कहा था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपने ठीक किया लेकिन पब्लिक कन्डक्ट पर बहस हो सकती है ।

(सचिव, विधान सभा को पुकारे जाने पर)

श्री संगम लाल—

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री संगम लाल—

मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, आप खड़े नहीं हुये थे । आपकी तरफ मैंने देखा, आप खड़े नहीं हुये । मैंने सचिव को बुलाया ।

श्री संगम लाल—

मैं खड़ा हुआ था । मैं बराबर खड़ा हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सचिव को बुला लिया है, आप कृपया बैठें । जब आप खड़े नहीं हुये तब मैंने बुलाया ।

श्री संगम लाल—

अब आपका क्या आदेश है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं ।

श्री हरगोविंद सिंह—

[× ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो कहेंगे वह लिखा नहीं जायगा, कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री हरगोबिन्द सिंह—

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1979

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत, "उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979" को उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित सदन के पटल पर रखता हूं । यह विधेयक, विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मई, 1979 को पारित किया गया था और 10 मई, 1979 को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित वापस प्राप्त हुआ है ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्रीके विरुद्ध नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है माननीय सदस्य ने उक्त सूचना में यह कहा है कि वे 3 मई, 1979 को नियम 301 के अन्तर्गत एक विषय सदन के संज्ञान में लाये थे, जिसमें श्रम मंत्री पर भारतीय दंड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत दर्ज हुए मुकदमों का विवरण था । इसके पश्चात् इस विषय पर एक अल्प सूचित तारांकित प्रश्न भी स्वीकृत हुआ था। प्रश्न स्वीकृत होने के पश्चात् एस0पी0, कोआपरेटिव सेल का स्थानान्तरण कर दिया गया है जो आई0 जी0, सी0आई0डी0 तथा सहकारिता मंत्री की इच्छा के विरुद्ध था। माननीय सदस्य अपनी ने सूचना में यह भी कहा है कि "कहा जाता है कि सम्बन्धित एस0पी0 इस मामले को दबाने के लिए तैयार नहीं थे तथा सरकार की इच्छानुसार तथ्यों के विपरीत प्रश्नों का सरकार के लिये सुविधाजनक उत्तर भी देने के लिये तैयार नहीं थे। इसलिये उनके स्थानान्तरण अकारण किये गये" ।

नोट [× × ×]—यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री उपाध्यक्ष]

माननीय श्री तोमर ने अपनी सूचना में यह भी कहा कि सरकार शुरू से ही इस मामले को दबाने का प्रयास करती रही है। प्रथम रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से 3 एस0 पी0 तथा 2 जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी देने के लिये कहा था माननीय मुख्य मंत्री ने बताया कि यह केस दिनांक 20 अप्रैल, 1977 को बिजनौर कोतवाली में रजिस्टर हुआ था जिसकी जांच श्री तेजबीर सिंह, डिप्टी एस0 पी0 द्वारा प्रारम्भ की गयी। तदुपरान्त दिनांक 9 जुलाई, 1977 से श्री गंगावत सिंह, डिप्टी एस0 पी0 तथा दिनांक 3 मई, 1978 से इस केस का इन्वेस्टीगेशन श्री शिवचरन इंस्पेक्टर कर रहे हैं। उक्त अवधि में जो एस0 पी0 इंटेलीजेन्स कोआपरेटिव सेल कार्यरत रहे उनका ब्योरा निम्नवत् है।

1—श्री एस0 के0 ए0 रिजवी, 7–4–1977 से 2–3–1978 तक।

2—श्री ए0 बी0 शुक्ला, 31–3–78 से 3–7–78 तक।

3—श्री आर0 बी0 श्रीवास्तव, 17–3–1978 से अब तक।

श्री आर0 बी0 श्रीवास्तव का स्थानान्तरण आई0 जी0 के प्रस्ताव दिनांक 29 अप्रैल, 1979 पर किया गया था। सम्प्रति इनके स्थानान्तरण आदेश रोक दिये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री का कहना है कि श्री तोमर द्वारा लगाया गया यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि आई0 जी0 इस स्थानान्तरण के विरुद्ध थे। शासन द्वारा मामले को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और नियम 64 की अपेक्षाओं के अनुसार वे लेख्य भी संलग्न नहीं किये हैं जिन पर उनकी सूचना आधारित है। यद्यपि श्री तोमर की सूचना में घटना की कोई तिथि नहीं दी है किन्तु तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सूचना बिलम्बित भी है और नियम 65(1) (ग) की अपेक्षाओं के प्रतिकूल है। माननीय मुख्य मंत्री ने उनके आरोपों को निराधार बताया है और श्री आर0 बी0 श्रीवास्तव, एस0 पी0 के स्थानान्तरण आदेश को रोक दिया है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं इस सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

ग्राम्य विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा ने 9 मई, 1979 को माननीय ग्राम्य विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देशों में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि सदन के संज्ञान में लाये गये विषयों का उत्तर सम्बन्धित सदस्य को 7 दिन में तथा सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर से भेजा जायेगा। यदि जानकारी देना तुरन्त संभव न हो तो अंतरिम उत्तर 7 दिन में तथा अंतिम उत्तर एक माह में अवश्य मिल जायेगा। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह कहा है कि उन्हें गत सत्र में दी गयी सूचना का आंशिक उत्तर 25 अप्रैल, 1979 को मिला और उस पर ग्राम्य विकास मंत्री के स्थान पर श्री एस0 के0 डी0 माथुर, उप सचिव, पंचायती राज के दस्तखत हैं। मैंने इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास मंत्री से जानकारी मांगी, जो 10 मई, 1979 को प्राप्त हो गयी है।

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने सूचित किया है कि श्री एस0 के0 डी0 माथुर, उप सचिव, ने माननीय सदस्य को केवल अंतरिम उत्तर भेजा था क्योंकि पूर्ण सूचना प्राप्त करने में समय लग रहा था। उन्होंने यह भी बताया है कि उत्तर, ग्राम्य विकास मंत्री के हस्ताक्षर से न भिजवाने के लिये उक्त उप सचिव ने खेद प्रकट किया है। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि भविष्य म इस सम्बन्ध में ध्यान रखा जायेगा उक्त परिस्थितियों में इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

जिला फैजाबाद के अकबरपुर स्थित कताई मिल में हो रही नियुक्तियों में धांधली के सम्बन्ध में वक्तव्य

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्रदेश के बुनकरों के लिए सूत उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम एवं उसकी सहायक कम्पनी [यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लि0 कानपुर] द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में 8 कताई मिलों की स्थापना की गई है जिसमें से एक कताई मिल जिला फैजाबाद के अकबरपुर कस्बे में स्थित है। इन कताई मिलों में रुपए 500 अथवा उससे कम अधिकतम वेतन वाले पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में उपयुक्त अभ्यर्थियों की अवसर की समानता के आधार पर निम्नांकित अनुक्रम में वरीयता देने के शासन के आदेश हैं:—

(1) उन व्यक्तियों के आश्रित जिनकी भूमि मिल के लिए अध्याप्ति की गयी है।
(2) सम्बन्धित तहसील के निवासी।
(3) सम्बन्धित जिले के निवासी।
(4) प्रदेश के अन्य जिले के निवासी।

यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लि0, कानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत कताई मिल में रिक्त पदों को भरने के लिए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे जाते हैं। उनके द्वारा नाम न भेजने अथवा असमर्थता व्यक्त किये जाने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अथवा मिल के सूचना पट पर विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन पत्र सीधे आमंत्रित किये जाते हैं। स्थानीय स्तर पर कुशल एवं योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण जिले के बाहर से कुशल एवं योग्य व्यक्तियों को रखना पड़ता है। शासन के आदेशों में प्रदेश के अन्य जिलों के निवासियों की नियुक्ति वर्जित नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की भूमि मिल के निर्माण हेतु ली गई है उन्हें भी नियमानुसार सीधे भर्ती किया गया है। मिल के उच्च प्रशासनिक एवं प्राविधिक पदों पर नियुक्तियां सामान्यतः समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर मुख्यालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा की जाती है। इस प्रकार इस मिल म की गई नियुक्तियां स्थानीय जनता को वरीयता देने के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुये की जाती ह। इस समय अकबरपुर कताई मिल में वृहद स्तर पर भर्ती नहीं की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि श्री बी0 एन0 रक्षित, राज्य कताई मिल, अकबरपुर के चीफ एक्जीक्यूटिव पद पर मार्च, 1979 तक कार्यरत थे और उनके चले जाने पर श्री आर0 सी0 गुप्ता, चीफ एक्जीक्यूटिव, राज्य कताई मिल, रायबरेली को अपने कार्य के अतिरिक्त अकबरपुर कताई मिल का कार्य भी यू0 पी0 एस0 एस0 एम0 कम्पनी (नं0 1) लि0 द्वारा सौंप दिया गया है। यह एक अस्थाई व्यवस्था है जो श्री रक्षित के प्रतिस्थानी की नियुक्ति तक ही लागू रहेगी।

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार यह कथन सही नहीं प्रतीत होता कि 14 अप्रैल, 1979 को मिल गेट पर आयोजित सभा प्रश्नगत मिल में की गई नियुक्तियों के प्रतिवाद करने हेतु की गई थी। वस्तुस्थिति यह है कि अकबरपुर कताई मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष

[श्री रामनरेश यादव]

श्री अकबर हुसैन बाबर ने दिनांक 29 मार्च, 1979 को कई मांगों को लेकर हड़ताल का एक नोटिस दिया था, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंन्ट को 14 अप्रैल, 1979 से हड़ताल करने की धमकी दी थी। श्री बाबर को मिल के प्रबन्धकों द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए नोटिस का उत्तर दिया जा चुका था तथा इस नोटिस पर संराधन अधिकारी/क्षेत्रीय श्रम अधिकारी, फैजाबाद द्वारा वार्ता हेतु 16-4-79 की तिथि निर्धारित की गई थी तथा यह आदेश दिये गये थे कि तब तक सेवायोजक या यूनियन के लोग ऐसी कोई बात न करें जिससे अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हो।

प्राप्त सूचना के अनुसार 14 अप्रैल, 1979 की दोपहर के लगभग 12 बजे अकबर-पुर कताई मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष श्री बाबर तथा सर्व श्री प्रियदर्शी जैटली, फखरूल हुसैन, रमा शंकर सिंह, दीन मुहम्मद तथा गुलाम रसूल आदि बहुत से व्यक्ति मिल के गेट पर एकत्रित हुये। उन्होंने उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये और श्रमिकों को दो बजे दिन से हड़ताल करने के लिये उकसाया। उन्होंने श्रमिकों को काम पर जाने से रोकने का भी प्रयास किया परन्तु श्रमिकों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और काम पर आ गये। इस पर प्रदर्शनकारियों ने मिल पर हमला कर गेट को क्षति पहुचांई, सुरक्षा कार्यालय के शीशे एवं फर्नीचर तोड़ दिये, देशी पिस्तौल से गोलियां चलाई, जिससे मिल के दो सुरक्षा गार्ड घायल हो गये मिल में आग लगाने की चेष्टा की तथा वहां हिंसा का वातावरण बना दिया। जब मिल में जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया तो बचाव की दृष्टि से मिल के सुरक्षा कर्मचारियों ने फायरिंग किया यदि वे ऐसा न करते तो मिल तथा उसमें रखी लगभग 90 लाख रुपये मूल्य की रूई के नष्ट हो जाने की आशंका थी।

परगना अधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी ने पुलिस/पी0 ए0 सी0 की सहायता से स्थिति को शीघ्र ही नियंत्रित कर लिया। उन्होंने 4 व्यक्तियों को घटनास्थल पर ही बन्दी बना लिया। घटना में 13 व्यक्ति घायल हुए जिन्हें तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब वे सभी अस्पताल से मुक्त हो चुके हैं।

इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध थाना अकबरपुर में अभियोग संख्या 121 धारा 147/148/307 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत तथा अभियोग संख्या 121-ए धारा 147/148/307 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, जिनके अन्तर्गत दोनों पक्षों के 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना की मैजिस्टीरिल जांच कराई जा रही है तथा स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है।

श्री उपाध्यक्ष —

आज दिनांक 17 मई को .... ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई) —

मान्यवर, हमको स्पष्टीकरण का तो मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष —

इस पर स्पष्टीकरण नहीं होगा। अगर स्पष्टीकरण की सुविधा होती तो मैं फौरन आपको इजाजत देता।

श्री राम आसरे वर्मा —

मान्यवर, दिन प्रतिदिन वहां स्थिति खराब होती जा रही है। आप समय-समय पर लोगों को स्पष्टीकरण देने का मौका देते आए हैं और आज आप मौका नहीं दें रहे हैं। इस में भी मौका दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष —

जब ऐसा प्रश्न आया होगा तो मैंने पहले ही कह दिया होगा कि यह परम्परा नहीं बनेगी।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जब गोली चली तो मैं घटनास्थल पर मौजूद था। आपने केवल वक्तव्य के लिये इसको स्वीकार किया, बहस होनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष —

आप लिखकर माननीय मंत्री जी के पास भेज दें। मैं इस पर ज्यादा बहस की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा —

यह वक्तव्य खुद अन्तर्विरोधी है, फिर भी आप इस पर स्पष्टीकरण का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष —

अगर आप यह सोचते हैं कि सरकार की जो रिपोर्ट है, उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है तो आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी को लिखकर भेज दीजिये और वे इसकी जांच करा लेंगे।

श्री भगवती प्रसाद सिंह —

मान्यवर, जब वहां गोली चली, तो मैं वहां मौजूद था। सिचुएशन क्या है और रिपोर्ट क्या है, यह सरकार के लिये कलंक है। वहां के नेताओं पर, वहां के मजदूरों पर, राह चलने वालों पर गोली चलाई गई। रिपोर्ट इतनी झूठी है, असत्य है और आप केवल वक्तव्य दिला दें। मुझे एक बात पूछ लेने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप जो कुछ बोलेंगे, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मेरी बात पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उप-मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है, अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई तथ्य तोड़-मरोड़ कर लिखे गये हैं तो आप लिखकर भेज दें माननीय उप-मुख्य मंत्री जी उसके बारे में जांच करा लेंगे और आपको भी उसकी जानकारी दे देंगे।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

आप माननीय सदस्य की बात को झुठला नहीं सकते हैं जब यह खुद वहां मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अनावश्यक रूप से समय न लें। नियमानुसार जब यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार है तो इस पर स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। अब मैं मद संख्या 7 लेता हूं। अब मैं किसी को स्पष्टीकरण की इजाजत नहीं दूंगा। आप फिर सुन लें, अगर आप समझते हैं कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी के बयान में कुछ तथ्य तोड़-मरोड़ कर लिखे गये हैं, तो आप लिखकर उन्हें भेज दें। वे उसकी जांच करा लेंगे और आपको भी उसकी सूचना दे देंगे।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

आप मेरी एक बात तो सुन लें । मैं स्पष्टीकरण नहीं मांगूगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेरे आदेश का पालन करें । मैं आपको कह चुका हूं कि कृपया बैठें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मैं आपका पूर्ण रूप से सम्मान करता हूं लेकिन मेरी आंख के सामने 13 लाशें पड़ी हुई थीं । मैं उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैं इस माननीय सदन का एक सदस्य हूं, मेरी आंखों के सामने घटना हुई, तो मेरी बात पर आप विश्वास करेंगे या मैजिस्ट्रेट की बात पर विश्वास करेंगे । अगर आप मेरी बात पर विश्वास करें तो यह जो घटना की रिपोर्ट आई है यह बिल्कुल उल्टी रिपोर्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आप लिखकर भेज दें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मैं मंत्री जी को कलंकित नहीं कर रहा हूं कि मंत्री जी का दोष है, लेकिन . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कई बार आपसे कह चुका हूं । पहले आपका इस तरह का कोई आचरण नहीं रहा है कि आपने एक बार में आदेश का पालन न किया हो । आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मंत्री जी यह बता दें कि वे मेरी बात पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं ?

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मैंने इजाजत नहीं दी । आप जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री खान मोहम्मद आतिम खां—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है । आप बिना इजाजत बोल रहे हैं । आप बैठें ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

[× × ×]

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । मैंने इजाजत नहीं दी है । जो कुछ आपने कहा है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

अलीगढ़ में हुए दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना तथा मुख्य मंत्री द्वारा जानकारी।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री देव बहादुर सिंह का कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिनांक 10 मई, 1979 को अलीगढ़ में दंगा, हिंसा, आगजनी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इसी के ऊपर नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी का भी है . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मेरा भिन्न है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इसे मैंने अस्वीकार किया है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां हैं, स्थिति से अच्छी तरह अवगत हैं, कल ही वहां गये थे, इसलिये वह वहां की स्थिति के बारे में माननीय सदस्यों को सूचना दे देंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, हमें सुन लें . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा भिन्न है . . .

श्री देव बहादुर सिंह—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव देने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि 10 तारीख को माननीय सदन में दादरी के काण्ड के विषय में चर्चा हुई और माननीय सदस्यों ने इस सरकार को सचेत किया कि इसकी प्रतिक्रिया अलीगढ़ में हो सकती है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कुछ आश्वासन दिये कि वह प्रयास करेंगे कि अलीगढ़ में इसकी प्रतिक्रिया न होने पावे । बावजूद इन आश्वासनों के, जिस दिन यहां पर चर्चा हुई है उस दिन शाम की बात है वहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही और यह निकम्मी सरकार कुछ नहीं कर पाई। दुकानें जला दी गयीं, लोग मारे गये और अन्त में यूनिवर्सिटी बन्द कर दी गयी और वहां पर कर्फ्यू भी अनिश्चित काल के लिये लगा दिया गया । पहले भी महीनों अलीगढ़ कर्फ्यू के अन्दर रहा है । वहां पर जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । एक बात कहूंगा या तो चौधरी चरण सिंह की केन्द्रीय सरकार नपुंसक है या उत्तर प्रदेश की सरकार नपुंसक है । जब आप अध्यक्ष थे तब भी यह आश्वासन देते थे कि सरकार सख्त कदम उठायेगी साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये, मैं नहीं जानता था कि पुलिस इस तरह चुपचाप खड़ी रहेगी । लोगों की लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जायगी । इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार सदन की कार्यवाही रोके और इस पर चर्चा की जाय । शमशाद मार्केट जल गया है, जकारिया मार्केट जल गया है, स्थिति अस्त-व्यस्त हो गयी है । मुख्य मंत्री जी ने अखबारों में बयान दिया है । आज तक की परम्परा को मुख्य मंत्री जी ने तोड़ दिया है । उन्होंने नाम भी दे दिये हैं कि कहां कहां हत्यायें हुई । आज तक इस पर पर्दा डाल दिया जाता था ताकि आपस में साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा न हो । मान्यतायें टूट गयी हैं । इस कदम से आगे इस प्रदेश में साम्प्रदायिक भावना बढ़ेगी, साम्प्रदायिक तनाव बढ़ेगा मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़ कर । मैं चाहूंगा कि सरकार सदन की कार्यवाही रोके और इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्...

श्री उपाध्यक्ष—

आपने भी नियम 56 का नोटिस दिया है। इसे भी शामिल कर लिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा भिन्न है। मेरा आग्रह है कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष—

भविष्य में ध्यान रखा जायगा। आपका अन्त में हुआ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह एक अत्यन्त दुःखजनक विषय है इस पर चर्चा होनी चाहिये। मान्यवर, पहली बात तो यह है कि मैं यह कैसे मानूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया है जो लगातार तीन-चार दिनों से एक दिन छोड़ कर अखबारों में निकल रहा है। एक साथ अखबारों में यदि यह प्रकाशित नहीं होता तो मैं यह मानता कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ऐसा वक्तव्य दे ही नहीं सकते। लेकिन कई अखबारों में लगातार छपा है तो कैसे न माना जाय, यह जरा मुश्किल है।

दादरी में जो हमला हुआ है उसके लिये छात्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। कुछ अखबारों में हेडलाइन्स में इस सम्बन्ध में आया। जिलाधिकारी, बुलन्दशहर का कोई भी वक्तव्य नहीं आया क्या स्थिति है? अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कह रहे हैं। राजनारायण जी ने कुछ, वहां के प्रतिनिधियों ने कुछ कहा है। कुछ लोग दादरी के पक्ष में बोले हैं। विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष ने कुछ और कहा है। फिर कुछ इस तरह की बातें आई जिनसे साम्प्रदायिक तनाव बढ़े। कितने हिन्दू मरे या कितने मुसलमान मरे यह शासन की नीति रही है ऐसी बात मुख्य मंत्री के स्तर से कभी नहीं कही जाती। मेरा भी यह ख्याल था कि मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कभी नहीं कहा होगा लेकिन आज के स्वतंत्र भारत को पढ़ कर लगा कि वह नीति भी समाप्त हो गयी। उसमें छपा है "अलीगढ़ की स्थिति फिर गम्भीर हो गयी है और अब दूसरा सम्प्रदाय उत्तेजित हो उठा है।" आगे फिर लिखा है "धर्म निरपेक्ष व्यवहार सत्य संभाषण से ही संतुलित रखा जा सकता है।" यह सब मुख्य मंत्री के नाम से ही छपा है। जांच रिपोर्ट की अपेक्षा न की जाय और इस तरह की बात कह दी जाय तो इसमें कोई आश्चर्य की बात न होगी कि आगामी म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज तथा जिला परिषद् के चुनावों को स्थगित करने हेतु अलीगढ़ तथा दादरी की घटनाओं को लेकर एक बहाना बनाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में यह स्थिति होने जा रही है। साम्प्रदायिक तनाव बढ़ेगा। पहले कभी नाम लेकर बयान नहीं दिया जाता था। भूतपूर्व मुख्य मंत्री बैठे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कौन लोग कितने मरे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा था कि मुख्य मंत्री जी वहां की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं और इसी-लिये उनसे मैंने वक्तव्य को कहा है। मैं समझता हूं कि संक्षेप में आप कहेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि बारासेनी तथा टीकाराम कालेजों के छात्र भी बहुत उत्तेजित हो चुके हैं। सारे शहर में अफवाह है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अनेक हिन्दू छात्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गायब हैं । इससे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता है । जो नहीं अखबार पढ़ता है वह भी सुनता है कि मुख्य मंत्री कह रहे हैं तो कौन उसे गलत मानेगा । फिर राम नरेश यादव मुख्य मंत्री थे तो एक सिद्धान्त मान लिया था अलीगढ़ के लिये कि दो महीने में जो घटनायें हुई हैं उनकी जुडिशियल जांच रिटायर्ड चीफ जस्टिस शशि कान्त वर्मा करेंगे लेकिन उसी अलीगढ़ में अब जो घटनायें हो रही हैं तो वर्तमान मुख्य मंत्री के आदेशानुसार जुडिशियल जांच नहीं होगी ,बोर्ड आफ रेवेन्यू से जांच करायेंगे । इस तरह से आधी इन्क्वायरी होगी जुडिशियल और आधी बोर्ड आफ रेवेन्यू के जरिये जो कि विरोधाभास है । इससे सारे देश पर ही नहीं बाहर के देशों पर भी प्रभाव पड़ता है और देश बदनाम होता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय नियम 58 के अन्तर्गत नेता विरोधी दल विषय की ग्राह्यता के सम्बन्ध में ही बोल सकते हैं ।

इसे आपने स्वीकार किया है अथवा अस्वीकार ?

श्री उपाध्यक्ष —

मैंने स्वयं अभी नेता विरोधी दल से कहा कि वक्तव्य के लिए मन्त्री जी से इस विषय में कह दिया गया है । तब वे कहने लगे कि एक लाइन और कहना चाहते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उसकी ग्राह्यता पर बोल सकते हैं .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उसको अग्राह्य कर चुका हूं । जब बजट पर चर्चा चल रही हो तो नियम 56 में कोई सूचना स्वीकृत नहीं होती । इसे मैं पहले ही अस्वीकृत कर चुका हूं । लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वह नियम के विरुद्ध नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, नियम 58 में है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि विषय की अग्राह्यता पर विचार नहीं किया जायगा और न ही चर्चा की जायगी । नियम 56 में यह है कि जब आप किसी को बोलने के लिए इंगित करते हैं तो वह ग्राह्यता पर ही बोल सकते हैं नहीं तो वह चर्चा ही समझा जायगा ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आप समझ गए तो तिवारी जी समझ गए ।

श्री उपाध्यक्ष—

संकल्प में यह है कि हम अपनी बात कह सकते हैं । वह नियम के विरुद्ध नहीं है । इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है लेकिन मुख्य मन्त्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे दें ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 तारीख को मैंने दादरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था । 10 तारीख के बाद सदन स्थगित हो गया था । 10 तारीख को अलीगढ़ में दूसरी घटना हुई । माननीय नेता विरोधी दल और माननीय देव बहादुर सिंह

[श्री बनारसी दास]

जी ने मुझे इस बात के लिए सलाह दी है और साथ ही उन्होंने यह भी इंगित किया है कि मैंने वस्तुस्थिति बतलाकर एक भूल की है।

श्रीमन्, झगड़ों की जड़ और दंगों की जड़ अफवाहें होती हैं यदि जनता को सत्य तथ्यों का पता चल जाय तो झगड़ा शांत हो सकता है। अलीगढ़ पहले 2 महीने तक जलता रहा। लखनऊ में शिया–सुन्नी दंगे काफी समय तक चलते रहे और उसकी प्रक्रिया कानपुर के अन्दर तक हुई। मैंने जिन तथ्यों को सामने रखा, यह उसी का नतीजा है कि 10 तारीख के बाद अलीगढ़ के अन्दर कोई घटना नहीं घटी। वहां पर पूर्णतया भ्रान्ति रही। अगर माननीय नेता विरोधी दल अलीगढ़ में जाने का कष्ट करते तो इस तरह की भ्रांति उन्हें न होती। वहां तमाम का तमाम ए0 एम0 यू0 मेडिकल कालेज का स्टाफ जो नान–मुस्लिम था वे मुझे मिले। बार एसोशियेशन के लोग मिले। वहां के वे प्रोफेसर्स जो कि बड़े प्रतिष्ठित मुसलमान हैं, वे लोग भी मुझसे मिले। जिसमें खास तौर से उस्मान आजमी, असलम कदीर रिजवी जफर हवीर, बजात हसन आदि हैं.....

एक सदस्य—

प्रतिष्ठित मुसलमान क्या होता है.....

श्री बनारसी दास—

जरा गौर से सुनिए। इस तरह से लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न कीजिए।

Now, however. following the unfortunate incident at Dadri the campus became witness to the burning of shops of one community, Police firing also took place, resulting in the death of one person and injuries to others, Four persons were murdered in another part of the campus the same night.

दादरी की दुखद घटनाओं के बाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में कुछ एक ही वर्ग की दुकानें जलीं और पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे एक आदमी की डेथ हुई और दूसरों को चोटें लगीं। चार आदमी कैम्पस के दूसरे भाग में मारे गए।

श्रीमन्, अलीगढ़ एक ऐसा नगर है जहां पर बराबर सन् 1947 से पहले से तनाव रहा है और 16 अगस्त, 1946 को बड़ा भारी दंगा हुआ, सन् 1971 के चुनावों में बड़ा भारी दंगा हुआ और फिर यह दंगा 1978 के अन्दर हुआ। मैंने वहां पर जा करके देखा, मैंने पोस्टर देखे एक में लिखा था कि सैकड़ों हिन्दू लड़के गायब हैं और दूसरी तरफ अफवाह थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के गायब हैं। यहां पर यह कहा जाय कि मैं सत्य पर परदा डालूं। तो क्या अलीगढ़ की जनता से यह बात छिपी हुई है या आसपास की जनता से यह बात छिपी हुई है। अगर हम सबको विश्वास में लेकर रोग का निदान करें और उसे दूर करने की कोशिश करें तो क्या बात है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि हमारे दिमागों में सांप्रदायिकता का विष है और जहां जरा आग मिली कि वह प्रज्वलित हो जाता है। यही कारण है कि एक तरफ तो मैंने लोगों को सत्य स्थिति बतलाई और दूसरी तरफ वहां पर कठोर कार्यवाही की। वहां की यूनिवर्सिटी ने मुझको एक मेमोरेन्डम दिया उसमें उन्होंने लिखा है कि 39 लोग अलीगढ़ के अन्दर घायल हुए जिसमें 5 आदमियों को गनशाट इन्जरी थी। इसमें तीन हिन्दू थे और बाकी मुसलमान थे। उन्होंने स्वयं जो मेरे पास पत्र भेजा है इस बात की निन्दा की है.....

We feel deeply humiliated by the insulting behaviour towards senior teachers of the university: Professor D. Kumar, Professor A. Jamil Qadri, Mr. S. A. Abbas, Dr. A. K. Verma.

We further deplore the misdeeds of undesirable elements which have resulted in our so far bright image being tarnished. We have reasons to believe that some outside undesirable elements had infiltrated in the University Campus and indulged in arson and killings.

श्री उपाध्यक्ष—

इसको कृपया हिन्दी में कर दें।

श्री बनारसी दास—

यह वहां के स्टाफ एसोसियेशन का प्रस्ताव है जो उन्होंने 12 मई, 1969 को 10 बजे पास किया है उसका भाषांतर यह है कि हम अपने को अत्यन्त अपमानित महसूस करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ शिक्षकों का अपमान किया गया जिनमें प्रोफेसर डी0 कुमार, प्रोफेसर ए0 जमील कादरी, श्री ए0 एस0 अब्बास, डा0 ए0 के0 वर्मा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस बात की भर्त्सना करते हैं। कुछ अवांछनीय तत्व थे जिनके कारण जो हमारा उज्वल भविष्य था वह कलंकित हुआ। हमारा विश्वास है कि कुछ अवांछनीय तत्व किसी प्रकार बाहर से यूनिवर्सिटी कैम्पस में आ गए जिन्होंने आगजनी और मारपीट की। तो श्रीमन्, यह वाक्यात इस बात के सबूत हैं कि कोई प्रतिक्रिया 10 तारीख के बाद न अलीगढ़ में हुई और न वहां पर हुई।

आज एक फैशन बन गया है, एक तरफ दंगा हो, एक तरफ झगड़ा हो और दूसरी तरफ उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करके वहां पर की पुलिस को दोषी ठहराया जाय। मैं नेता विरोधी दल और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि राज्य के दो खंभे—एक सेना और दूसरी पुलिस है। आप देख रहे हैं कि आज पंजाब में क्या हो रहा है और उनकी छाया हरियाणा में पड़ रही है। तो इस प्रकार से यदि पुलिस फोर्स की आलोचना की गई तो यह न तो उनके हित में होगा और न प्रदेश के हित में होगा। यहां भी एक तरफ उनकी आलोचना की गई, उनके हटाने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ वहां पर जितने दुकानदार मुझसे मिले, जिनकी दुकानें जलीं, जितने बार एसोसियेशन के लोग मिले और जनता पार्टी तथा कांग्रेस (आर०) के पदाधिकारी मिले मुझसे, सभी ने एक स्वर से यह कहा कि यदि 10 तारीख को वहां पी0 ए0 सी0 रहती तो दुकानें किसी हालत में नहीं जल सकती थीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वहां की सी0 आर0 पी0 और पुलिस अधिकारियों ने वहां पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और जब आग जल रही थी, तो उन्होंने आग जलाने वालों पर गोली नहीं चलाई। इस पर मैंने उनसे मालूम किया कि वस्तुस्थिति क्या थी, तो मालूम हुआ कि वस्तुस्थिति यह थी कि 9 तारीख को जब यह घटना हुई, 7 लड़के घायल होकर आए थे। एस0 पी0 से यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने लड़कों के बुलाने के लिए एम्बुलेन्स का प्रबन्ध करने के लिए कहा था। इस बीच लड़के दिल्ली जा चुके थे। 7 लड़कों के आने के बाद अधिकारियों ने सतर्कता बरती—शमशाद मार्केट से होकर जो रास्ता अनूपशहर व नरौरा जाता है, उस रास्ते को डायवर्ट करने का प्रयास किया गया और उसका डायवर्जन जब तक नहीं किया गया, एक बस को आग लगाने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस ने आग को बुझा दिया। पर वहां पर कलेक्टर, एस0 पी0 ने शमशाद मार्केट से जो यूनिवर्सिटी प्रांगण में है और आम रास्ता भी है, जो रास्ता अलीगढ़ से अनूपशहर, नरौरा व बरेली को जाता है, वहां पर सी0 आर0 पी0 को लगा दिया। इस पर वहां के अधिकारियों, कमिश्नर ने आपत्ति की कि शमशाद मार्केट के अन्दर उसे न रखा जाए, पी0 ए0 सी0 को लगा दिया जाए, तो उसको हटाकर वहां से एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज के पास रख दिया गया। दूसरे दिन

[श्री बनारसी दास]

सुबह रेडियो स्टेशन पर एक पेट्रोल टैंकर को जलाने का प्रयास किया गया, इस पर डी0 वाई0 एस0 पी0 ने वहां पर पहुंचकर लड़कों को चेज किया और वह उसे नहीं जला पाए, रेडियो कालोनी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया। उसके कुछ समय बाद, हाईस्कूल के लड़कों ने, जो यूनिवर्सिटी का अंग हैं, एक प्रोसेशन निकाला और पत्थर फेंके। लेकिन घटना साधारण थी, शाम को फिर कमिश्नर से कहा गया कि पी0 ए0 सी0 को हटा लेना चाहिए और उन अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शमशाद मार्केट पर चौबीसों घंटे पहरा रहेगा, लिहाजा पी0 ए0 सी0 को वहां से हटा दिया गया। 10 तारीख को कोई घटना नहीं घटी। साढ़े 10 बजे डी0 वाई0 एस0 पी0 की एक बारात थी, सामने की लाइट तोड़ डाली गई, एक फियेट कार में आग लगाने का प्रयास किया गया। उसके बाद रिपोर्ट मुझको दी गई कि वहां पर साइरन बजा, तीन मर्तबा, लड़के जमा हुए बड़ी तादाद में।

एक रिपोर्ट मुझको दी गई हैं और लोगों ने मुझसे कहा भी कि पांच हजार के करीब लड़के, जब वह आए शमशाद मार्केट में आग लगाना शुरू किया तो उस वक्त में जगह-जगह, तख्त चौकियों से इस तरह से रोड ब्लाक्स थे। मैंने पूछा कि अधिकारियों से, सी0 आर0 पी0 ने क्यों नहीं तत्काल कार्यवाही की तो अधिकारियों ने कहा कि हम लोग आशंकित थे कि अगर इतनी बड़ी भीड़ को हम गोली चला कर हटाते हैं तो इससे बहुत लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए हमने गोली चलाने की कोशिश नहीं की। हम चूंकि रोड ब्लाक्स पर पैदल चले इस तरह से दो घंटे यह आग लगी।

जकारिया मार्केट बिलकुल यूनिवर्सिटी कैम्पस के अन्दर है। वहां पर तीन केमिस्ट की दुकानें जलाई गयीं जिनमें एक क्रिश्चियन की और दो हिन्दुओं की थीं। वहां पर यह भी हुआ कि कैम्पस में पैनिक हो गया। डाक्टर कुमार रात के 10 बजे शहर से अपनी पत्नी के साथ खाना खा कर आ रहे थे। रास्ते में कैम्पस में उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। उनकी पत्नी की गरदन पकड़ ली और उनको बेइज्जत करना चाहा। अगर प्रोफेसर रहमान न आ जाते तो वह मारे जाते। प्रोफेसर रहमान ने उनकी मदद की। जो लोग हमलावर थे वह चले गए। वह रात भर प्रोफेसर रहमान के घर पर रहे। उसके बाद प्रोफेसर रहमान ने कहा कि यहां पर आप का रहना महफूज नहीं है। जितने लड़के थे वह सब मेडिकल कालेज के लड़के पीछे की तरफ दीवार थी उसको छलांग करके भाग गए। वहां पर जिसका जिक्र यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने अपने प्रस्ताव के अन्दर किया है, कोई यूनिवर्सिटी का मुस्लिम लड़का गोली से नहीं मारा गया। प्रवीन सक्सेना जो फिफ्थ इयर इंजीनियरिंग का लड़का था, जिसके चाचा डाक्टर एस0 के0 जौहरी वहीं पर डाक्टर हैं, उनके साथ में रहता था, वह उनकी स्कूटर लेकर चला मार्टुअरी की तरफ। उसका स्कूटर और लाश भी पाई गई। वहां पर तीन चार आदमी बराबर जो दूध वाले बतलाए जाते हैं, वह मारे गए। यूनिवर्सिटी वार्डब्वाय मुस्लिम पुलिस की गोली से मारा गया। मैंने जाकर देखा अस्पताल में 20 लड़के वहां पर जख्मी थे। 15 वह थे जो दादरी से लौट कर आए थे। पांच लड़के जिनको 10 तारीख को चोट लगी थी, जिसमें सी0 आर0 पी0 या पी0 ए0 सी0 पुलिस भी शामिल थी। मुझे वी0 सी0 ने बतलाया कि कुछ लड़के जिनको ज्यादा चोट लगी थीं, छोड़कर चले गए हैं। उस वक्त अस्पताल में केवल 20 लड़के थे। एक कोई इलाहाबाद का अनिल कुमार नाम का व्यक्ति था, वहां का रहने वाला नहीं था, वहां पर घायल देखा। अगर हमको कोई इलाज करना है तो वस्तुस्थिति को समझना चाहिए।

मेडिकल कालेज का जितना स्टाफ है, वह सब छोड़कर चला गया है। सब लोगों ने चाहा, मेरे पास भी लिख कर दिया, हमारा रहना यहां सुरक्षित नहीं है ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि हमको अन्यत्र कहीं काम मिले। मिसेज कुमार और दूसरी महिलाओं ने आकर कहा आंसू भरी आखों के साथ कि किस प्रकार हम लोग पैनिक के अन्दर रहे। इनमें

संदेह नहीं कि वहां पर मुस्लिम प्रोफेसर्स ने उनकी मदद की और साथ ही उन्होंने कहा कि आप महफूज जगह पर जाइए। इस बात की अफवाह थी कि हिन्दू लड़कों की लाशें पड़ी हुई हैं। लिहाजा अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के वी0 सी0 से मिल कर इस बात की व्यवस्था की कि यह भ्रान्ति दूर हो और वह सब जगह गए। कलेक्टर और कमिश्नर ने वक्तव्य दिया, यह सब भ्रान्ति गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सलाह यूनिवर्सिटी को दी। पता लगाया जाये कि लड़के पहुंचे हैं या नहीं, ताकि अफवाह दूर हो। 4 लड़कों ने अपने नाम बताये कि यह मिसिंग हैं, तो उनका पता लगाने के लिये मैंने कह दिया।

शहर में बड़ी भारी तादाद में, जैसा मैंने पहले बताया, शमशाद मारकेट और जकारिया मारकेट को देखा। वहां पर 201 दुकानें थी। कुल 35 दुकानें फुंकी जिनमें एक क्रिश्चियन की भी थी। बाद में बतलाया गया कि चुंगी के पास 2मुस्लिम दुकानें फुंकी। अधिकारियों का अनुमान है कि 10 लाख का नुकसान हुआ है। 3 लाख रुपयेकी सहायता की घोषणा की गयी। नवाब छतारी मुझसे मिले,कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि जिन लोगों की दुकानें फुंकी है उनको मदद करें। मैंने वी0 सी0 से अनुरोध किया। उनके पास सहायता करने के लिए फन्ड है। उन्होंने कहा कि हम इस बात का प्रयास करेंगे कि जो लोग क्षतिग्रस्त हैं, उनकी मदद की जाये। जहां तक जांच का प्रश्न है, 10 तारीख को जब घटना घटी थी, उस दिन यह बात नहीं मालूम थी, 11 तारीख को श्री अश्विनी कुमार, चेयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू को, जब मैंने वक्तव्य दिया था, जांच करने के लिये घोषणा की थी कि वह इस पहलू की जांच करें कि क्या यह पूर्व नियोजित था। डी0 आई0 जी0 ने बतलाया कि 5—6 हजार लड़के दादरी से जाते हैं। और इन्हीं गाड़ियों से दूध वाले भी जाते हैं। तो यह उनका वरजन था। वारिस साहब भी मुझसे मिले। क्या सत्य है और क्या असत्य है इसकी जांच करने के लिये परस्पर कोई विरोध नहीं है। इन्टेलीजेन्स का एक इन्सपेक्टर सफर कर रहा था, स्टेशन मास्टर दादरी की रिपोर्ट है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि जांच बैठा दी गयी है। जहां तक जुडीशियल जांच का सवाल है मुझे कोई एतराज नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कि नवम्बर में घटना हुई, उसकी अभी भी जांच रिपोर्ट नहीं आयी है। बनारस की जांच रिपोर्ट नहीं आयी, तो यह वहां के लोगों की बात मैं कहना चाहता हूं कि साहब यह जांच रिपोर्ट का मतलब क्या है। मैंने कहा, 2—3 हजार लड़कों ने आकर, 6 से 9 बजे तक करफ्यू नहीं था, कहा। बड़ी उत्तेजना में वहां के लोग थे, उनका कहना था कि सबसे पहले नवम्बर का झगड़ा हुआ, हमने अधिकारियों से कह दिया था, अब यह झगड़ा वह एकतरफा हुआ, उन्होंने कहा कि यहां पर उत्तेजना नहीं थी और ना हमारा कोई कसूर था कि इतने लोगों की दुकानें लुटी। तो उनकी यह शिकायत थी। लिहाजा वहां पर पी0 ए0सी0 और सी0 आर0 पी0 दोनों थी। पहले लोगों को एतराज था कि पी0 ए0 सी0 एकतरफा कार्यवाही करती है। शमशाद मारकेट में सी0 आर0 पी0 भी थी, उनके 35 आदमी भी घायल हुए डी0 एम0 को चोट लगी। मैं तो कहता हूं कि इससे बढ़कर क्या सबूत है कि इस प्रकार की घटना के बाद अलीगढ़ में कहीं पर एक पत्ता भी नहीं खटका। तमाम के तमाम अधिकारियों को सूबे में सूचित कर दिया गया और जिस वक्त मुझको 9 तारीख को वी0 सी0 ने कहा कि लड़के वापस आ रहे हैं रास्ते में आशंका है हमला होने की तो उसी वक्त 31/2 बजे आदेश दिया डी0 आई0 जी0 को कलेक्टर्स को खुर्जा में, बुलन्दशहर में, दादरी व गाजियाबाद जहां होकर भी बसें आयें, वहां पर किसी तरह की कोई घटना न हो। स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है और पूरे तरीके से सतर्कता

[श्री बनारसी दास]

बरती जा रहीहै लेकिन यह कहना सदन को धोखा देना होगा अगर मैं यह न कहूं कि वहां पर टेंशन नहीं है या वहां पर लोगों के दिमागों में नफरत समाप्त हो गयी है। अभिभावकों का कहना है कि टीकाराम कालेज व एस० डी० कालेज में और अन्य कालेजों में जितने लड़के पढ़ते हैं, उनकी संख्या उतनी हीहै जितने विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय में भी 3—4 हजार हिन्दू लड़के पढ़ते हैं। तो उनके अभिभावकों में एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है पारस्परिक एक अविश्वास पैदा हो गया है। उनका कहना है कि जब वहां पर एक प्रोफेसर का लड़का मारा जा सकता है उसकी रिपोर्ट तक नहीं की जाती है और उसका आईडेन्टिफिकेशन भी श्री सक्सेना का 12 तारीख को हुआ जब कि वह डाक्टर जौहरी के स्कूटर पर जा रहा था जो कि वहीं पर रहता था तो हम कैसे अपने बच्चों को वहां पर पढ़ायेंगे। उनका यह भी कहना था कि वहां पर एक दूसरा विश्वविद्यालय बन जाय ताकि हमारे बच्चे वहां पर पढ़ सकें। तो इन परिस्थितियों में वस्तु स्थिति से आंख मींचना, उससे अवगत न कराना उचित न होगा। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि ऐसा नहीं है तो वह जांच कर ले और अगर मेरा कहना असत्य हो तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। सबसे पहले हम जिम्मेदारी से काम लें। 2 और 2 चार होते हैं।

मुझे श्री बारी साहब ने कहा कि हमारी गर्दन शर्म से झुकती है। यह प्रश्न हिन्दू और मुसलमान का नहीं है। श्री जावेद हबीब जो सेक्रेटरी थे, मेरे बहुत नजदीक थे, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में 13 हजार में से 12/1हजार विद्यार्थी अमन पसन्द हैं और पढ़ना चाहते हैं। उनका कहना यह था कि ऐसे लड़कों को जो दूसरी जगह दंगों में शरीक थे, उनको यहां पर दाखिल किया गया था। मैंने भी और कालेजों में देखा, बहुत जगहों पर जो अवांछनीय लड़के थे 15—15 साल से दाखिल हैं। तो उनका कहना था कि अमन रेस्टोर करने के लिये पूरी फिजा को बदला जाय। वहां के वाइस चांसलर और सब लोगों को कहना था कि यह बड़ी नागवार घटना थी। यह कहना कि 10 तारीख को जिस वक्त में आग लगी अगर पी० ए० सी० वहां पर न होती तो कुछ न होता, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। तो मैं मानता हूं कि सरकार अगर अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती है तो भूल करती है। अगर आग लग रही हो लूटमार हो रही हो, तो ऐसे समय में अगर सरकार अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करती है तो वह सरकार, सरकार कहलाने लायक नहीं है।

(श्री देवबहादुर के कुछ कहने पर)

आप तो क्रोकोडाइल आंसू बहाते हैं। मैं जानता हूं.....

यह खुशकिस्मती है कि 35 दुकानें जल गयीं, 5 आदमी मारे गये, मगर मुस्लिमयूनिवर्सिटी का लड़का नहीं मारा गया। अगर पुलिस की गोली से कहीं 5—7 लड़के मरे होते तो तूफान उठ खड़ा होता। (व्यवधान) हम साम्प्रदायिकता को समाप्त करना चाहते हैं हिन्दू, मुस्लिम एकता कायम करना चाहते हैं। (व्यवधान) यह तो वही हुआ कि हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सेक्युलरिज्म नहीं है, यह हीपोक्रेसी है। (व्यवधान)।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राजनारायण जी ने क्या कहा है।

श्री बनारसी दास—

मैं आपसे कहना चाहता हूं, वारी साहब मौजूद हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि वह कोई फेवर करेंगे, आप उनसे बात करें, माननीय सदस्य एक एक गांव में जाकर तहकी-

कात करें, उन्हें वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जायेगा, लेकिन एक संकीर्ण दृष्टिकोण से सारी चीज को देखना, गलत होगा। (व्यवधान) किसी को क्या पता था कि दादरी में ऐसी घटना हो जायेगी ? किसी को क्या पता था कि दादरी की प्रतिक्रिया यह होगी ? कौन जानता था कि इस तरह की घटनायें होंगी ? हमें तो इस पर अफसोस करना चाहिये था। मुल्क में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये था जिससे कि साम्प्रदायिकता न भड़के, ऐसी घटनायें न होने पायें। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि इन दंगों के साथ राजनैतिक तिजारत करना, हो सकता है क्षणिक आपके लिये लाभकारी हो, पर यह राजनैतिक तिजारत बहुत महंगी पड़ेगी और मुल्क को बरबाद करने वाली होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज तक उत्तर प्रदेश शासन की जो नीति रही है और केन्द्र की जो नीति रही है और आज है उसको बिलकुल बदल दिया। मान्यवर, केन्द्र के गृह मंत्री जी के कई बयान अलीगढ़ की घटना को लेकर निकल चुके हैं। उनके विचारों को सुन लीजिए और आज माननीय मुख्य मंत्री जी के विचारों को सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या इस तरह से हमको भी समय दिया जायेगा ? यह तो वहां पर गये भी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्हें स्पष्टीकरण या जानकारी करने के लिये मैंने इजाजत दी है।

(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

यह साम्प्रदायिकता को भड़काना चाहते हैं, इनके समय में तमाम इस तरह की घटनायें हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं बयान दिया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिये, बाहरी व्यक्ति का वहां जाना उचित नहीं है।

अलीगढ़ को मैंने टेलीफोन किया, मुझे बताया गया कि इस समय प्रशासनिक नीति है कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जायगा। श्रीमन्, मैं कैसे जाऊं ? श्रीमन्, स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं गये, कल ये गये। श्रीमन्, मुझे मना किया गया कि न जाइये। (शोरगुल) श्रीमन्, अगर यह रहेगा, तो कोई भी नहीं बोल सकेगा। अगर इस परिपाटी को चलाना है यहां पर कि विरोधी दल का नेता न बोले, बिरोधी दल का कोई व्यक्ति न बोले, तो मैं बैठ जाता हूं चलाइये सदन को।

(श्री नारायण दत्त तिवारी अपने स्थान पर बैठ गये)।

(श्री तेज सिंह के खड़े होने पर)।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय रान नरेश यादव, उप मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, पिछले अलीगढ़ के काण्ड में यहां पर कई बार चर्चा हुई थी, कभी उन्होंने यहां पर सत्य का उद्घाटन नहीं किया। उन्होंने हमेशा यह कहा कि व्यवस्था की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

हर समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

एक सदस्य—

ये अव्यवस्था करने वाले व्यवस्था का प्रश्न क्यों उठा रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर सब कुछ मालूम हो गया है, आपने सत्य को बता दिया है, तो जांच फिर ढकोसला मात्र है। श्रीमन्, पहले भी सरकारें ऐसी गलती कर चुकी हैं। एक तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिला? दूसरी तरफ लोकल बाडीज का चुनाव स्थगित करने जा रहे हैं, सारे यू0 पी0 के कि अकेले अलीगढ़ का?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो माननीय तिवारी जी, आप कह चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनता पार्टी के 6 सदस्य श्री सैय्यद मुर्तजा, लियाकत हुसैन, समशुल खां मुसर्रत हुसैन खां, वगैरह जो कि जनता पार्टी के एम0 पी0 हैं, इन लोगों ने हल्ला किया और उन्होंने दंगे में जिलाधिकारी को दोषी ठहराया और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निलम्बन की मांग की। वाइस चान्सलर की बात मुख्य मंत्री ने कहा, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। सारा दोष प्रशासन पर ठहराया है। यह वाइस चांसलर की बात है, तो फिर मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा मेहरबानी करके यह मत समझिये कि आज अलीगढ़ में शांति है। बदले की भावना आयेगी इसीलिए शासन की नीति ही है कि इस प्रकार की बातों को जांच के जरिये होना चाहिए। मुख्य मंत्री को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रो0 कुमार की लड़की का ऐसा हुआ। श्रीमन्, क्या मैं मान लूं कि राजानारायण जी गलत कह रहे हैं जो मुख्य मंत्री जी के कट्टर समर्थक हैं। मैं, राजनारायण जी और तेज सिंह जी जो बयान देंगे, मान लूंगा। इनको साथ-साथ भेज दीजिये।

(शोर)

मेरा निवेदन यह है कि मैंने अखबार में पढ़ा कि जनता पार्टी के अलीगढ़ के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। मैं, नहीं जानता कि वे सदन में आये हैं या नहीं? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने बात की है?

एक सदस्य—

आप राजनैतिक लाभ की बात कर रहे हैं श्रीमन्, आप वहां जायें वहां इन्दिर कांग्रेस का दफ्तर भी जला पड़ा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अलीगढ़ में शान्ति रहे, इसके जितने हामी मुख्य मंत्री जी हैं उतने हम भी हैं।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर काफी हो चुका है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

त्याग-पत्र तो हमने मांगा ही नहीं, उनको इसका ध्यान आ गया। श्रीमन्, जिस चीज की मांग ही नहीं हुई उसके लिए मेज थप-थपा दी। हम इतनी आसानी से नहीं मांगने वाले हैं। वह ऐसी भूल न करें क्योंकि अगर जुडिशियल इन्क्वायरी में अगर कोई दूसरा तथ्य निकल पड़ा तब तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी फंस गये। इसमें रामनरेश यादव जी देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सजग हैं सचेत हैं, सतर्क हैं। अब मैं मुख्य मंत्री को सलाह दूं, वे मानेंगे, मेरा विश्वास नहीं है। मैं, उन से यह कहना चाहता हूं कि शशिकान्त वर्मा की जांच चल रही है, केन्द्र ने भी उसको माना, जितने भी तथ्य हैं सही हो सकते है लेकिन प्रशासन के मुख्य से नहीं, एक जज के मुख्य से बात आनी चाहिए। शशिकान्त वर्मा की जांच खत्म कर दें। कितने मुसलिम मरे, कितने हिन्दू मरे, कितने घायल हुए, पूरी बात बता दीजिये। शशिकान्त वर्मा कमीशन काम करे या न करे। और करेगा तो इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी की जाय, वह इसकी भी जांच करें। मुझे मालूम हुआ है कि वहां का गृह विभाग भी यह चाहता है कि जुडीशियल इन्क्वायरी हो तभी काम चलेगा। इसलिये मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अपनी भावनाओं को आपके माध्यम से सदन तक पहुंचाना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी और इस सदन के लोग बापू की शिक्षाओं को मानने वाले है। मजहब नहीं सिखाता . . . . । जब तक हम इन भावनाओं से ओत प्रोत नहीं होंगे तब तक हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।

मैं कहूंगा श्रीमन्, मा0 मुख्य मंत्री जी फिर विचार कर लें, वह इतना सत्यवादी न बनें जितना वह कह रहे हैं। सबको सच्चाई बरतनी पड़ेगी। दूसरे वर्ग के कहेंगे ऐसा हुआ है, तीसरे वर्ग के करेंगे कि ऐसा हुआ है। सभी मेमोरेन्डम पढ़ने पड़ेंगे। जितने भी मेमोरेन्डम प्राप्त हुये हैं सभी को पढ़ना पड़ेगा, तभी सच्चाई पता चलेगी। अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स ने कहा, उन्होंने भी मेमोरेन्डम दिया। अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स ने क्या कहा, बनारस यूनीवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स ने क्या कहा। कितने मेमोरेन्डम आपके पास आये होंगे, उन सभी से तय करना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। मेरा मत है कि मुख्य मंत्री जी पिछले इतने शासनों की नीतियां, जो रही हैं, उन्हें न बदलें, केन्द्र की नीति न बदले और जुडीशियल इन्क्वायरी करावें।

श्री फजलुलवारी (जिला गोण्डा)—

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में दो बार मेरा नाम लिया है। हो सकता है कि उन्हें कुछ भ्रम पैदा हो गया हो कि उन से जो मैंने बात की है वह क्या है। मुझे दो मिनट का मौका दें जिससे कि मैं कह सकूं कि उनसे मैंने क्या कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप वक्तव्य न दें। संक्षेप में, अगर स्पष्ट करना चाहें तो कर दें। बदला के बारे में न कहें।

श्री फजलुलवारी—

मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है। मैंने कोई बात कह दी हो और उसे कुछ समझा गया हो। मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी बात साफतौर पर कह दूं। मैं दो दिन अलीगढ़ में रहा। मैं चाहता हूं कि मुझे आप इस बात का मौका दें ताकि मैं अपनी सफाई दे सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—

घटना के बारे में आप न कहें। जैसा कि आपने कहा कि दो मर्तबे आपका नाम आया, उस पर कहें तो ठीक है। घटना के बारे में अगर आप कहेंगे तो उसकी अनुमति न होगी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं माननीय सदस्य ने कहा है कि मेरे ऊपर मुख्य मंत्री जी ने कोई आरोप नहीं लगाया है फिर आप सफाई का कैसे मौका दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

तो फिर आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, एक व्यवस्था की बात पूंछना चहता हूं, निर्देश उस कुर्सी से मिल रहे हैं या माननीय मैनेजर सिंह जी दे रहे हैं?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय नेता सदन ने बहुत विस्तार के साथ और फिर माननीय नेता विरोधी दल ने बड़े विस्तार के साथ कहा। अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

इसको यहीं पर ठप कर देना चाहिए।

(श्री फजलुल बारी के खड़े होने पर)।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री फजलुल बारी—

मैं बैठ जाऊंगा। आप मेरी बात सुन लें। आप मुझे इजाजत दे चुके हैं। भ्रम पैदा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कहा कि उन्होंने मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं कही है। आप अब बैठें।

श्री फजलुल बारी—

मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा है तो कार्यवाही में दिखवा लें। उन्होंने कहा कि मुझसे मिले। शर्म से मेरी गरदन झुकी हुई है तो क्यों, किस वजह से, किस प्रास ऐंड कांस से। यह बात मुख्य मन्त्री को कहनी चाहिए।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, क्या आप इसको आगे चला रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कार्यवाही देख लूंगा और अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको मौका दे दूंगा अब आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैंने एक सूचना आपको दी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कामरोको प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

किस आधार पर अस्वीकार कर दिए हैं ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

गढ़वाल में इस समय अशांति है। आप सक्षम हैं नियम 51 में ले लें।

1979–80 के आय– व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको अवसर दिया इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष —

आज इस पर सवा 4 बजे तक चर्चा चलेगी। इसलिए मैं 7 मिनट बोलने के लिए निश्चित करता हूं।

श्री राजकिशोर तिवारी—

मान्यवर, मैंने बजट को देखा है, माननीय वित्त मन्त्री जी का जो भाषण हुआ उसको भी मैंने बड़े गौर से सुना । वित्त मन्त्री के भाषण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वह एक ऐसा भाषण था जिसे हम चुनाव मैनिफेस्टो कह दें या चुनाव भाषण कहें तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बार–बार अपनी सरकार की प्रशंसा की। "अपने मुंह से अपनी करनी, भांति अनेक बार बहु करनी।" उन्होंने अपनी बड़ाई बार–बार की। इस बजट के सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं और जो आलोचना की है उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। सारी बातें सदन के सम्मुख आ चुकी हैं। मैंने इस बजट में एक चीज यह देखी कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने इसमें गांवों में जाने की चर्चा नहीं की। विगत वर्षों में उन्होंने कहा था चलो गांव की ओर लेकिन इस बार उन्होंने यह कहने का साहस नहीं किया है। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वह समझदार आदमी हैं। वह समझ गए ह कि इन दो वर्षों में जो गांव की ओर जाने का उनका संकल्प था उसका गांवों पर क्या असर हुआ है । गांव की जनता यह मानने लगी है कि मन्त्री जी के नेत्र में शनि का प्रकोप है। अगर वह गांव की तरफ जाते हैं तो गांवों का विनाश होता है।

आप देखिए जब से उन्होंने गांव की ओर जाने की चर्चा किया, विगत वर्ष सारे प्रदेश के 56 जिलों में एक को छोड़कर सबमें भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ और उस प्रकोप से किसान तबाह हो गया। (इस समय 2 बज कर 32 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए)। तो जब यह गांव की ओर चलते हैं तो इनके नेत्रों से ज्वाला निकलती है और उससे शनि की तरह विनाश होता है। पिछले साल जब गांव की ओर चले तो इन्होंने गांवों में हरी–भरी ईख देखा जो कि किसानों के परिवार की जीविका का एक प्रतीक है तो उस पर जब इनके नेत्रों की ज्वाला पड़ी तो सारी ईख पूर्व और पश्चिमी जिलों में खेतों में खड़ी रह गई, कुछ जलाई गई और कुछ फेंक दी गई और उसका कोई ग्राहक न मिला। तो अब मन्त्री जी ने यह अच्छा किया कि गांव की ओर जाने का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इस वर्ष भी उसका असर गांवों की आलू पर पड़ा है। जब ईख पर तबाही हुई तो किसान ने सोचा कि आलू बोया जाय जिससे उनका उद्धार हो। तो मान्यवर, आपको याद होगा कि

† 10 मई, 1979 की कार्यवाही से।

[श्री राज किशोर तिवारी--]

जब आलू पर बहस चल रही थी तो गन्ना मन्त्री ने जवाब दिया था कि जिस चीज का उत्पादन ज्यादा होता है तो उसका भाव सस्ता हो जाता है। आलू की भी गन्ने वाली दशा हुई। इसलिए इस बात पर मुझे बड़ा दुख हुआ कि गन्ना मन्त्री जी, एक बहुत बड़े किसान हैं इस देश में श्रीमन्, उत्पादन तो बिजली का बढ़ा, सीमेन्ट और लोहे का बढ़ा तो सरकार ने इन चीजों के दाम क्यों महंगा कर दिया इस तरह की दलील देकर किसानों को समझाना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें।

श्री राजकिशोर तिवारी--

जब मैं बोलता हूं तो आप कहते हैं कि बैठ जायं अभी मेरा बोलने का समय है।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राजकिशोर तिवारी--

मान्यवर, टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं पहले यहां निवेदन करूं कि जौनपुर गरीब जनपद है। वहां के 2 लाख आदमी बाहर जाकर काम करते हैं, रोजी हासिल करते हैं। इसलिए यदि आप वहां कोई उद्योग लगाने की बात करें या केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलेगा उससे वहां कोई उद्योग लगावें तो अच्छा होगा। जौनपुर जिले में कोई उद्योग नहीं है। श्रीमन्, गरीबों पर जो टैक्स सिनेमा आदि पर लगाया है उसका मैं विरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विनाशकारी, देशद्रोही, प्राणहीन बजट का विरोध करता हूं।

*श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, वित्त मन्त्री ने और जनता सरकार ने जो लिंक रोड बनाने का काम किया है वह एक अच्छा काम है। लेकिन उसमें मिट्टी का तो काम हो गया है किन्तु उन सड़कों को पक्का करने की कोई बात इस बजट भाषण में नहीं की गई है। मान्यवर, दूसरी बात केन्द्र से और प्रान्त से किसानों के बारे में बड़े जोर शोर से उनके भला और उत्थान करने की बात कही जाती है लेकिन उनकी हालत आज उतनी ही खराब होती चली जा रही है जैसे कि उन्होंने जो आलू पैदा किया है तो उसको मिट्टी के भाव कोई पूछने वाला नहीं है। इस सदन में कृषि मन्त्री जी कहते हैं कि गन्ने की खरीद हो रही लेकिन देवरिया में कहीं पर गन्ने के खरीदने की कोई दूकान नहीं खोली गई। अधिकारियों ने गन्ना बेचने के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई।

मान्यवर, देवरिया से बैतालपुर केवल दो मील है। मान्यवर, एक करोड़ 36 लाख रुपया इस साल का बाकी है और गन्ना मन्त्री जी से बात किया तो कहते हैं कि हम क्या करें; वह तो दिल्ली पैसा देगा। तब आप काहे को गन्ना मन्त्री बने हुए हैं। कहते हैं कि गन्ने का दाम दिलाने में असफल हैं।

दूसरी बात, छोटी गण्डक में करोड़ों मन मछली मर गई। छोटी गण्डक में मिल वाले गंदा पानी छोड़ते हैं। यहां पर सवाल आता है तो जवाब श्रम मन्त्रीजी देते हैं। जवाब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो स्वास्थ्य मन्त्री जी को देना चाहिए। जो मछली मर गई, आदमी मर गए या पशु मर गए तो इस पर तो स्वास्थ्य मन्त्री जी जवाब देते या तो मुख्य मन्त्री जी जवाब देते। लेकिन सवाल का जवाब भी ठीक तरह से नहीं दिलाते। जिलाधिकारी मिल के प्रभाव से जवाब नहीं देते कि आदमी मर गए, पशु मर गए, मछली मर गई और लाखों आदमी जो मछली मार कर जीविका चलाते थे, उनकी जीविका भी चली गई।

सिंचाई के बारे में कोई व्यवस्था नहीं। गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है और न उसके लिए कोई दूकान है कि लोग जाकर अपना गेहूं बेच सकें। आज किसान की हालत यह है कि कुर्क अमीन जाकर लोगों को बन्द कर रहे हैं। किसानों के पास पर्ची है, गन्ना गिराया है, लेकिन पैसा नहीं है। उनका गन्ना ले लिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। न उनका गेहूं खरीदवा रहे हैं, न आलू खरीदवा रहे हैं और न उसके गन्ने का पैसा ही मिल रहा है। इस पर तो कोई बात बजट पर है नहीं।

स्वास्थ्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं। पूर्वी जिलों में आयुर्वेदिक हास्पिटल खोले जा रहे हैं लेकिन हमारे देवरिया जिले में कोई आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं खुला। तो मेरा, आपके माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि इसकी ओर कृपया ध्यान दें।

अन्त में, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आलू की बिक्री करवायें, गेहूं के उचित दाम दिलवायें और तत्काल गन्ने के दाम दिलवायें। यही मुझे कहना था।

*श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट रखा है, इसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं। समय बहुत कम है, इसलिए अपनी जो बात कहूंगा, उस पर शासन से उम्मीद करता हूं कि शासन उस पर पूरी कार्यवाही करने की कृपा करेगी।

मान्यवर, अपने बजट में, जो कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन के पटल पर रखा है, किसानों के बारे में बड़ी चर्चा की है। किसानों के ऊपर काफी पैसा भी (करीब 75/75 प्रतिशत) रखा है। लेकिन मेरा निवेदन है और इस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी भी मौजूद हैं कि किसानों के जो गन्ने की हालत हुई, आलू की जो हालत हुई और दूसरी चीजों की जो हालत हो रही है, उससे बदतर हालत और कोई नहीं हो सकती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से गुजारिश करूंगा कि जनता पार्टी जब से बनी है। किसानों का नाम बड़े जोरशोर से लिया जाता रहा है जनता पार्टी को बनाने में किसानों का योगदान काफी रहा है लेकिन कहा भी यही जा रहा है कि उनके लिये कुछ नहीं हो रहा है।

अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहूंगा कि शासन का जो बजट होता है उसमें यह देखना पड़ता है कि यह शासन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ क्या करने वाला है। अगर बजट संतुलित होता है तो प्रदेश का विकास होता है यदि असंतुलित होता है तो गरीबी और बेकारी फैलती है। माननीय वित्त मंत्री जी समाजवादी रहे हैं। समाजवाद का नाम लेना इस युग में फैशन बन गया है। समाजवाद कहने में अपने लोग को गर्वित महसूस करते हैं। मैं बार बार इस सदन में देख रहा हूं कि जो लोग अपने को समाजवादी कहते रहे हैं वे भी आज उस ढर्रे पर चलने से कतराते हैं। इसका तो फैसला वक्त ही करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीप नरायन—]

अधिष्ठाता जी, मेरे सामने बजट की कापी है, माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण है । इसमें मैं यह देखता हूं कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बराबर कम होती जा रही है और अन्य प्रदेशों के मुकाबले हम गिरते जा रहे हैं । हमारी कोई आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है । उसका क्या कारण है ? निजी और प्राइवेट सेक्टर में भी यह प्रदेश पिछड़ा है । यहां पर बड़े उद्योग नहीं हैं ।

बेरोजगारी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में पहली पंच वर्षीय योजना में बेकारों की संख्या 53,00,000 थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 71 लाख थी, तीसरी पंच वर्षीय योजना में 1 करोड़ 56 लाख थी, चौथी पंच वर्षीय योजना में 2 करोड़ 80 लाख थी और पांचवीं पंच वर्षीय योजना में यह लगभग 5 करोड़ होने जा रही है । इतनी बड़ी संख्या बेरोजगारों की जो निकलने जा रही है इसकी व्यवस्था इस बजट में समुचित रूप से मुझे कोई नहीं दिखायी पड़ी । इसके बारे में सारा देश प्रदेश चिन्तित है । मुख्य मंत्री जी इस विषय से अनभिज्ञ नहीं हैं परन्तु इसको दूर करने के लिये क्या किया जा रहा है यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अब अपने जिले और अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । मान्यवर, हम लोग गोण्डा जिले से आते हैं । वहां की आबादी उत्तर प्रदेश के जिलों के चौथे नम्बर पर है । 25 लाख आबादी वहां की है । आजादी के बाद से आज तक वहां पर कोई उद्योग नहीं लग सका है । जनता पार्टी के शासन में लिंक रोड बनी, कच्ची सड़कें पक्की बनायी जा रही हैं जैसी कि शासन की नीति भी है । मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारे जिले की जन संख्या को देखते हुये, वहां के क्षेत्रफल को देखते हुये, 7,431 लगभग वर्ग किलोमीटर में यह गोण्डा जिला है, हमारे जिले को आप क्या देने जा रहे हैं, इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं दर्शायी गयी है ।

इन शब्दों के साथ मैं शासन का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की ओर दिलाना चाहता हूं । पूर्वी और पश्चिमी जिलों के बटवारे की बात की जाती है । यह गलत है । मैं इसका विरोध करता हूं और मैंने विरोध किया भी है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो जिले पिछड़े हुये अधिक हैं उनकी तरक्की पोलिटिकल प्रेशर अधिक होने से हुई है । यदि पोलिटिकल प्रेशर के ही कारण जो जिले पिछड़े रह गये ह उनको नेगलेक्ट किया गया है या किया जा रहा है तो यह ठीक बात नहीं है । इससे उस जिले के लोग आन्दोलन भी कर सकते हैं और आगे भी कदम बढ़ा सकते हैं । इस टेन्डेन्सी को रोका जाय । जिलों के आकार, पापूलेशन तथा बेरोजगारी को देखते हुए इस कार्य को किया जाना चाहिये और शासन वही सफल होगा जो ब्यूरोक्रेसी पर अपना असर रखेगा । कौन मुख्य मंत्री नहीं जानता कि कितना पैसा सरकारी अधिकारी खा जाते हैं । गरीबों पर अंत्योदय पर जो पैसा खर्चा हुआ उसका अधिकांश सरकारी कर्मचारी खा गयें और गेहूं के जो क्रय केन्द्र खोले गये हैं उनमें किसानों का शोषण किया जा रहा है । अगर आप चेक अप न कर पाये तो प्रदेश की जनता का विकास असंभव हो जायगा और मैं उम्मीद करता हूं कि शासन इस पर कार्यवाही करेगा ।

(श्री राम प्यारे का नाम पुकारे जाने पर) ।

श्री भगवती चरण 'निर्मोही' (जिला गढ़वाल)—

मेरा भी नाम है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है । सबसे पहले मैं खड़ा हुआ था ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको जरूर मौका मिलेगा, लेकिन एक दफा में एक का ही नाम पुकारा जा सकता है । एक दफा में चार, छः सदस्य नहीं बोल सकते ।

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा, सुना व समझा है । आज की परिस्थितियों में इससे बढ़कर कोई दूसरा बजट हो ही नहीं सकता था लेकिन कुछ विषय ऐसे छूट गये ह जिनकी ओर मैं सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारा प्रदेश खेती प्रधान प्रदेश हैं और अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं । कृषि की उन्नति प्रदेश की उन्नति हैं । कृषि की उन्नति के लियें सरकार प्रयत्नशील है चाहे वह उन्नति सिंचाई विभाग,विद्युत् विभाग अथवा कृषि विभाग के माध्यम से हो । लेकिन जो भी मौलिक बात है वह यह ह कि जमीन म जितनी अधिक ताकत होगी उतनी ही अधिक उपज होगी लेकिन इस ओर सरकार ने इस बजट म कोई ध्यान नहीं दिया है । कृषि की उन्नति के लिये गोबर गैस प्लान्ट्स का बढ़ाना नितान्त आवश्यक था । जितने अधिक गोबर गैस प्लान्ट्स प्रदेश म हम लगायेंग उतना ही अधिक लाभ प्रदेश को होगा । उससे उर्जा शक्ति भी पैदा होगी और उससे खाद भी ऐसी बनेगी जो सबसे अधिक ताकतवर तथा प्राकृतिक होगी । जब तक भूमि को प्राकृतिक खाद नहीं जायगी तब तक भूमि की उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ सकती । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर अधिक से अधिक धन खर्च किया जाय सरकार की तरफ से । छोटे-छोटे गोबर गैस प्लान्ट्स भी ईजाद किये जायं । ताकि छोटे-छोटे और कम मवेशी रखने वाले किसान भी उसका सदुपयोग कर सकें । दूसरी चीज है कम्पोस्ट खाद । बहुत दिनों से इस कम्पोस्ट खाद की तरफ से सरकार का ध्यान हट गया है । यह ऐसी खाद है जिससे भूमि को बहुत बड़ी ताकत मिलती है । यह खाद कूड़ा, करकट, वेहया, जल कुम्भी आदि से बनती है । अगर इन चीजों का इस्तेमाल हो तो काफी खाद तैयार हो सकती है और हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति और बढ़ सकती है । तीसरी चीज है हरी खाद । यह खाद बड़ी शक्तिशाली होती है । यदि किसी खेत में हरी खाद डाल दी जाय तो उसका असर तीन वर्ष तक रहता है । चौथी चीज है ग्रामीण शौचालय । यदि शौचालय गांवों में बनाये जायें तो वे उपयोगी और जरूरी तो सिद्ध होंगे ही लेकिन इससे बहुत अच्छी खाद तयार हो सकती है । इस खाद से जमीन में काफी उपज बढ़ सकती है । इसके द्वारा गांवो में वातावरण भी दूषित नहीं होगा और वायु मण्डल पवित्र होगा और जमीन को अच्छी किस्म की खाद भी मिलेगी । इसके लिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इन चारों चीजों की तरफ जरूर ध्यान दें और अधिक से अधिक धन खर्च करे ।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको देखकर दिल को बड़ा सदमा पहुंचता है । जैसे कहीं पर बालू की भीत लगी होती है, सीमेन्ट बकार हो जाती है, सीमेन्ट गायब कर दिया जाता है, एक नम्बर की ईंट के स्थान पर 3 नम्बर की ईंट का इस्तेमाल किया जाता ह, जितना मैटीरियल लगता है वह दोयम किस्म का लगता है जिससे कोई भी निर्माण ज्यादा दिनों नहीं चल सकता है । जो उससे ट्यूबवेल की नाली बनती है वह दो महीने में टूट जाती ह, पानी का धक्का लगने पर ही वह नाली टूट जाती है । इसलिये प्रदेश स्तर पर, कमिश्नर स्तर पर और जिला स्तर पर सरकार एक शैल कायम करे जो कि ऐसे निर्माण कार्यों की बीच-बीच में जांच कर लिया करे और दोषी पाय गये ठेकेदारों और इंजीनियरों के खिलाफ कार्यवाही करे । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

***श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—**

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जो बजट है वह जन विरोधी है, परस्पर विरोधी है, झूठ से भरा हुआ ह । ऐसे बजट को प्रस्तुत करने वाली सरकार या उसके मंत्री को इस प्रदश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति नहीं दिखाई पड़ रही है । माननीय वित्त मन्त्री ने बजट प्रस्तुत करते हुये बड़े दावे के साथ कहा कि यह सरकार की सामाजिक,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित--]

आर्थिक और वित्तीय नीतियों का एक वार्षिक दर्पण है । अगर इस दर्पण में सरकार अपनी शक्ल देखें तो बड़ी कुरूप दिखाई पड़ेगी । यह सरकार जनोपयोगी समस्याओं का निदान नहीं कर सकती है । इस सरकार ने मनोरंजन कर में वृद्धि की है तथा तमाम टैक्स लगाये हैं इन टैक्सों से बिड़ला का कोई नुकसान नहीं हुआ है । गांव में रहने वाले जो छोटे किसान थे जो मध्यमवर्ग के युवा थे औरजो मजदूर थे उनकी कमर टूट रही है । मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री प्रस्तावित करों को वापस लेकर के अपनी सरकार का चेहरा सुन्दर बनाने का प्रयास करेंगे । जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जनमानस के सामने घोषणा की थी कि बिक्री कर को समाप्त किया जायेगा । मान्यवर, बिक्री कर को समाप्त करने की घोषणा नहीं की बल्कि उसमें वृद्धि कर दी है ।

मैंने इस बजट को गौर से पढ़ा है इसमें कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जो छोटे तबके के किसान हैं या मजदूर हैं उनको राहत मिली है । बल्कि अरमानों में पानी फिर गया है । इसलिये इस बजट का स्वागत कोई भी नहीं कर सकता है । आज सरकार ने विदेशी शराब पर पांच प्रतिशत कर बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, उनके लिये मनोरंजन कर बढ़ा दिया है । यह कर आपको नहीं लगाना चाहिये । इस बजट में जो कर आपने लगाये हैं उनको आपको वापस ले लेना चाहिये ।

कर्मचारियों के लिये आपने घड़ियाली आंसू बहाये हैं और कहा है कि आयोग बैठेगा लेकिन इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि वह कब से काम शुरू करेगा । मान्यवर, यह नहीं आपने बड़े बड़े जो आई० ए०एस० या पी० सी० एस० आफिसर हैं ज्वाइंट सेलेटरी हैं या जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं उनको आपने फायदा पहुंचाया है और रिटायर हो जाने पर भी उनके लिये पदों का सृजन किया है, उनके लिये मोटर गाड़ियां दी हैं और तमाम फैसिलिटी दी हैं जिसमें लाखों रुपया खर्च हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इनमें कटौती कर और जो वसूली बकाया पड़ी है उसे वसूल कर घाटे को पूरा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें । आठ मिनट आपके हो गये ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, बाराबंकी जिले में आज हाहाकार मचा हुआ है । इसी मंत्रिमंडल के एक कारगार मंत्री हैं वह कानून और व्यवस्था तोड़ने से बाज नहीं आते हैं । बाराबंकी में तस्करी करने वालों और गुंडों के यहां जाकर वह जिला प्रशासन के लिये परेशानी पैदा कर रहे हैं । इस तरह से लोगों को वह संरक्षण दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र से चुन कर मैं आया हूं वहां पर संजय गांधी के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वह मुख्य मंत्री जी के खिलाफ, राजनारायणजी के खिलाफ और मोरारजी देसाई के खिलाफ बातें करते हैं । अभी मेरे क्षेत्र में विरोधी दल के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी वहां पर उनके स्वागत के लिये गुंडों और लफंगों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हैदरगढ़ के लोगों ने इंदिरा गांधी को काले झंडे दिखाये और बता दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

श्री भगवती चरण निर्मोही—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं, जो आपने बहुत दिन बाद मुझे बोलने का मौका दिया। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि इसमें जहां छठी पंचवर्षीय योजना का उल्लेख है वहां वर्तमान वर्ष को बजट प्रदेश की उन्नति के लिये और चहुमुखी विकास के लिये कारगर होकर अग्रसर होता रहेगा। मुझे ऐसा विश्वास है। वित्त मंत्री जी का जो बजट भाषण है, उसमें कई चीजों की ओर इशारा किया गया है, लेकिन एक खास चीज जो एक विधायक के लिये महत्व की है, वह प्रशासन को चुस्त और सक्षम बनाने की इसमें बात है। अब यह आदेश विभागों को कर दिया गया है कि विधायकों के पत्रों का अन्तरिम उत्तर दिया जाये और उसके बाद कृत कार्यवाही से उनको अवगतकराया जाय। अब तक यह होता था कि हमारे पत्रों का कोई पता नहीं चलता था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, उसे कोई महत्व नहीं मिलता था।

अब कुछ सच्चाई भी मैं बताना चाहता हूं, सच्चाई कटु होती है, जब बजट के कार्यान्वयन की बात आती है, उस पर ठीक से ध्यान न देकर, उचित तरह से उसका कार्यान्वयन नहीं होता है। उदाहरण के लिये, मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, मेरा निश्चित मत बना गया है कि पर्वतीय विकास मंत्रालय पंगु मंत्रालय है, यह केवल दिखाने के लिये रखा गया है, जिससे वहां के लोगों में असंतोष न फैले। काम के लिये हमें सभी मंत्रालयों में भटकना पड़ता है। स्कूलों का जो प्रान्तीयकरण किया जाता है, उस बारे में हमारे यहां के कोटा इंटर कालेज का बड़ा अजीब मसला है। मैंने इस कालेज के प्रान्तीयकरण के लिये जिसकी बड़ी संपत्ति है, कोई कर्जा नहीं है, लिखा था, किन्तु उसके लिये यहां से लिखा जाता है कि इसकी हालत अच्छी है, इसलिये इसे नहीं लिया जाता है। फिर मैंने एक कमजोर स्कूल दिया, उस पर लिख दिया गया कि कमजोर स्कूल है, इसलिये नहीं लिया जाता है। अब अच्छे को भी नहीं लिया जाता है और कमजोर को भी नहीं लिया जाता है अब कहां जायं, क्या करें? पर्वतीय विकास विभाग क्या है यह लुंज-पुंज बन गया है। आज पहाड़ों पर अस्पताल खोले गये हैं, लेकिन डाक्टर नहीं हैं, स्टाफ नहीं, भवन नहीं और दवायें तक नहीं हैं।

आप परिवार नियोजन की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने परिवार के रूप में प्राइमरी पाठशालाओं, जूनियर हाईस्कूलों रूपी अपने परिवार को बढ़ा लिया है, लेकिन लड़कों के लिये कहीं बैठने की जगह नहीं है, कोई अध्यापक नहीं है और इस समय 42 प्रधानाचार्य नहीं हैं। स्कूलों, कालेजों की हालत बड़ी बदतर है, जो लोग उनमें यहां से जाते हैं, वे अपने तबादलों में ही लगे रहते हैं, स्कूल खाली पड़े रहते हैं। हमारे यहां सड़कों की बड़ी आवश्यकता है, जिसके बिना वहांकोई प्रगति नहीं हो सकती है। आज वहां यातायात के साधनों की कमी के कारण लोगों की आर्थिक हालत खराब है और 15–15 रुपया मन लोगों को सामान की ढुलाई का देना पड़ता है। वहां जन श्रम के अन्तर्गत चौंटकोट में दो सड़क बनी थी, किन्तु आज उनमें धूल लोट रही है। सड़क टूट फूट कर मिट्टी में मिल गई है। खैर यही है कि धूल के कारण वहां के लोगों को क्षय रोग नहीं हुआ।

श्रीमन्, उद्योग धंधों की बात कही जाती है। अगर कोई उद्योग धंधा लगाना चाहता है, जैसा कि कहा गया, लोगों को जिलों में उद्योग धंधे के लिये ऋण मिल जायेगा। लेकिन मैं देखता हूं कि अभी भी लोगों को कानपुर दौड़ना पड़ता है। वह परेशान हो जाते हैं। जितना ऋण नहीं मिलता उससे अधिक खर्चा हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री भगवती चरण निर्मोही—

पर्वतीय भत्ते की बात कही गयी। मैंने पहले भी कहा था यह मीटर या फीट भत्ता नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र जितना है वहां भत्ता मिलना चाहिये। कोटद्वार में यह भत्ता नहीं मिलता है। उनकी केवल एक ही गलती है कि वे जाते हैं काम करने पहाड़ में रात में विश्राम के लिये कोटद्वार आ जाते हैं। पर तब भी उनको पर्वतीय भत्ता नहीं मिलता है। हमारे सामने बड़ी समस्यायें हैं जिससे हम बेहद परेशान हैं। कुटीर उद्योग में जो भी उद्योग थे, वह भी प्रायः समाप्त हो गये हैं। वहां पर पीतल और तांबे के बरतन बनते थे। जो लोग बनाते थे उनको टमटा कहा जाता है। आज कल उनकी स्थिति खराब हो गयी है। वहां नये कुटीर उद्योग स्थापित करना अलग रहा, पुराने कुटीर उद्योग भी समाप्त होते चले जा रहे हैं। सरकार ने यहां से आदेश दे दिया कि इतने स्कूल खुलेंगे इतने उद्योग खुलेंगे। लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं होता। मेरा सुझाव है कि प्रति वर्ष साल भर में अप्रैल या मई में सारे जिले के अधिकारी अपने अपने विभाग की एक पुस्तिका तैयार करें कि कितनी योजनायें बनी हैं, कितनी बनने वाली हैं, किस पर काम लगा हुआ है। यहां घोषणा की गयी कि तीन वर्ष के अन्दर हम प्रत्येक गांव को पीने का पानी दे देंगे पर हमारी सरकार को आये दो वर्ष हो गये। अब तक पानी नहीं आया। गांव वाले तड़प रहे हैं। जैसा कहा गया है—हस्ती दंत कमान सर समरथ वचन प्रवीन। युग काहे पलटत रहे ये ना पलटें तीन।

यह सरकार समर्थ है इसको अपने वचन को टालना नहीं चाहिये। मुझे विश्वास है कि सरकार ने जो वादा किया है वह पूरा करेगी और हमें पेय जल देगी। मैं पुनः बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह प्रदेश की जनता के लिये एक कल्याणकारी बजट है। इसमें सामाजिक कल्याण को बढ़ानेकेलिये हरिजन और कमजोर वर्ग की सामाजिक दशा सुधारने के लिये, प्रत्येक नागरिक में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये, बेरोजगारी को दूर करने के लिये, रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिये, कारखानों की सर्वाधिक स्थापना करने का संकल्प किया गया है। यह संकल्प व्यवहार में सफल हो, यह मेरी हार्दिक कामना है। मान्यवर, प्रस्तुत बजट में जो सरकारी कार्यक्रम बनाये गये हैं, तो अगर उनका अध्ययन करते हैं तो यह निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है कि सरकार के इन संकल्पों की पूर्ति इन कार्यक्रमों से संभव हो सकेगी या नहीं? बजट का गहन अध्ययन करने पर यह नहीं मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार के सहयोग से या प्रदेश सरकार की ओर से 1979–80 में कौन कौन भारी उद्योग किन–किन जिलों में स्थापित किये जा रहे हैं।

मान्यवर, जहां तक मैं समझ सका हूं, बजट में अधिक ध्यान पूर्वी या पश्चिमी जिलों की ओर दिया गया है। मध्य क्षेत्र को शायद उपेक्षित कर दिया गया है। समय कम है इसलिये विस्तृत रूप में न जा कर मैं राजधानी लखनऊ और कानपुर के मध्य उन्नाव जिले की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। पता नहीं क्या कारण है, कौन सा अपराध उन्नाव जिले ने किया है।

पिछली बार भी बजट में कोई नई योजना नहीं थी और इस बार भी उन्नाव की घोर अपेक्षा की गई है जब कि उन्नाव का जनवासी सभी लोगों की तरह से सरकार को सहयोग करता है। हसरत मोहानी, चन्द्रशेखर आजाद तथा स्वर्गीय विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी

का जिला आज उपेक्षित है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्नाव जिले की उपेक्षा क्यों की जाती है जहां तक जनता सरकार के कार्यों का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में उसने अपनी अल्प अवधि में प्रदेश के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए, लेकिन मान्यवर, जैसा पहले मैंने कहा हमारे उन्नाव जिले को उपेक्षित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। काम के बदले अनाज की योजना के अन्तर्गत तमाम रुपया दिया गया। मैंने खुद देखा कि यह अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन आप उन्नाव जिले को ले लीजिए और जानकारी कीजिए तो मालूम होगा कि इस योजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर सड़कें बनी हैं? हम 3 साल बाद क्या जवाब देंगे?

मान्यवर, भष्टाचार का बोलबाला अपनी चरम सीमा पर है। कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जहां पर बिना लिए दिए काम चलता हो। मान्यवर, हमारे मुख्य मन्त्री जी अराजकता की स्थिति को समाप्त करना चाहते हैं। स्वच्छ प्रशासन लाना चाहते हैं और दूसरी ओर थानों की बिक्री हो रही है। एस० ओ० की पोस्टिंग की बिक्री हो रही है और हम अपेक्षा करते हैं कुशल प्रशासन की। हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि जनपदीय स्तर पर अपराध-अनुसंधान शाखायें खोली जायेंगी तो आप उनको खोले और सूचना एकत्र करावें, लेकिन यह काम एस० पी० तथा डी० एम० के माध्यम से न हो, उनकी सूचना सीधे आनी चाहिए।

बाढ़ के सम्बन्ध में भी हमारी सरकार ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन उन्नाव जिले में जो रुपया भेजा गया है उसका दुरुपयोग हुआ है, वितरण ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। हमारे पास तथ्य मौजूद है। जो वितरण के लिए कपड़ा गया है वह अधिकारियों के यहां पर रखा हुआ है, कम्बल रखे हुए हैं। आप इसकी जांच करा लीजिए। अब मैं पुल, पुलियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे उन्नाव जिले में सई, कल्यानी और गंगा नदियां बहती हैं। इनके अलावा नदी और तालाब भी हैं लेकिन सरकार ने पुल और पुलियों को बनाने की आवश्यकता नहीं समझी। भूमि वितरण का कार्य बिलकुल फर्जी हुआ है। हमारे यहां पर गंगा कटरी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है।

मान्यवर, मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं कि जो अन्त्योदय की योजना चालू की गई है उसमें जो रुपया दिया गया है उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है। रुपया गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। अस्पतालों की दुर्दशा की बात कहां तक कही जाय। एक पत्रकार की इकलौती बेटी की जान किस प्रकार से डाक्टरों की लापरवाही से चली गई। जब से वर्तमान माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पद पर आए हैं वह सुधार करने का प्रयास करते हैं परन्तु नौकरशाही उसी ढर्रे पर चल रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह पहला बजट है जिसने गांधी जी के सपने को साकार करने का प्रयास किया गया है। मान्यवर, आज तक जितने भी बजट आते रहे हैं उनका बहुत कम अंश गांवों के विकास के लिए होता था। यह पहला बजट है जो सही मानों में देहात के उत्थान के लिए रखा गया है। इसमें दो राय नहीं हैं कि इस बजट में गरीबों के, पिछड़े लोगों के, हाथ से काम करने वालों के उत्थान की काफी कोशिश की गई है। हमारे सामने बैठे हुए नेता विरोधी दल ने भी, जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, इस बजट की बहुत मानों में तारीफ की है लेकिन उन्हें इस बात का दुःख है कि उनको बहुत सी स्कीमों को ड्राप कर दिया गया है, इस बजट में उनका कहीं भी पता नहीं है। मुझे दुःख है कि समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति डाक्टर लोहिया के साथ रहने वाले विरोधी दल के नेता आज कांग्रेस के साथ आकर कितने बदल गए। उन्होंने

[श्री अब्दुल रऊफ अली—]

गोरखपुर में भी यह बात पहले कही थी कि जनता सरकार जब से आई हमारी विकास की योजनाओं को ही तोड़ दिया है। हमने 5 स्टार होटल का इन्तजाम किया था गोरखपुर में, हमने रामगढ़ झील को विकसित करने के लिए योजना बनाई थी, एक सुन्दर स्थान बनाने के लिए शहरों का सुन्दरीकरण का प्रबन्ध किया था लेकिन इस जनता सरकार ने सब मटियामेट कर दिया है। लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को इस बात का फख्र है कि हमने अइयाशी वाली उनकी स्कीमों को तोड़ कर उस पैसे को ग्रामों के उत्थान के लिए प्राथमिकता दी और उनको बढ़ावा दिया। उनके 5 स्टार होटल आदि में लगने वाले पैसे को बचा कर ग्रामों के विकास में लगाया, सड़कों के जाल बिछाने के लिए पैसा लगाया है और फूडफार वर्क द्वारा सम्पर्क मार्गों को बनाने की कोशिश की है। ग्रामों में उद्योग धन्धों के जाल बिछाने का प्रोग्राम बनाया है। इसकी तरफ खास तौर से ध्यान दिया गया है।

मान्यवर, जितने पिछली सरकार ने 3–4 सालों में छोटे स्कूल नहीं खोले उतने हमने 8 महीनों के बजट में खोले लेकिन यह बात भी अपनी जगह पर सही है कि, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने इस सदन के सामने रखा है, जितनी स्कीमों को कागज के अन्दर हम रख रहे हैं, या दिखला रहे हैं, मौके पर उनका अमल दरामद नहीं हो रहा है। देखने में आया है कि हमारे अधिकारी इस तरफ बहुत ही संकुचित विचार रख कर इस कार्य को कार्यान्वित करने में लगे हैं। जितनी भी सड़कें फूड फार वर्क के अन्तर्गत बनी हैं उन पर मिट्टी तो पड़ गई हैं लेकिन अगर बरसात के पूर्व उनके लिए पुल न बन सके तो वह पैसा व्यर्थ चला जायगा, जैसा कि सूखे के जमाने में 5–6 साल पूर्व तत्कालीन सरकार ने टेस्ट वर्क के द्वारा सड़कें बनवाई थीं, सब बह गईं और कुछ दिनों के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन पर साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया है। इसी प्रकार से अगर पुलों का प्रबन्ध न किया गया तो यह सारा पैसा बह कर नदियों में चला जायगा और उन सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो जायगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने ग्रामों के उत्थान के लिए कोशिश तो की है लेकिन उसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। आपको अधिकारियों को सख्ती के साथ कहना चाहिए कि जिसके कब्जे में जो बजट का रुपया दिया गया है अगर वह उसका पूरा उपयोग नहीं करेगा तो वह उसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके लिए उसे बैड इंट्री मिलेगी या सजा मिलेगी। जब तक उनको इस प्रकार का कोई डर नहीं होगा तो सारी की सारी स्कीम्स वैसी की वैसी ही पड़ी रहेंगी और उनका परिणाम जनता सरकार को भोगना पड़ेगा। मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि अगर कहीं भी किसी जिले में साम्प्रदायिकता भड़कती है तो उस जिले के एस0 पी0 और जिलाधीश को जिम्मेदार ठहराया जायगा। कहने के लिए तो यह बात कही गई थी पर उसके अनुसार अमल नहीं हुआ। जहां यह आग भड़की वहां के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह सही है कि पहले के मुकाबले में कुछ कन्ट्रोल हुआ है, पर कुछ अराजक तत्वों की वजह से आग बराबर भड़कती रहती है। फिर भी हमारी यह जिम्मेदारी है कि अपने अधिकारियों के द्वारा शान्ति स्थापित करें। सम्बन्धित अधिकारियों को सम्प्रदायिक दंगों का जिम्मेदार ठहरा कर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

हमने अपने मैनीफेस्टो में गांव में छोटे–छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की घोषणा की थी और कहा था कि उन्हें पनपाया जायगा। इसके लिए स्कीमें तो बहुत बनीं लेकिन वे सफल नहीं हुयीं। वे कैसे सफल हों उस ओर हमने ध्यान कम दिया। हाथ से बनी हुई चीजों को जब तक हम रियायत नहीं देंगे, मिल के सामान के मुकाबले वह बाजार में नहीं बिक पायेंगे। हमें उनके लिए कुछ रिजर्वेशन करना पड़ेगा। यह करना होगा कि फलां कपड़ा हथकर्घा में ही बनेगा, उसे पावरलूम या मिल में नहीं बनने दिया जायगा, फलां कपड़ा

पावरलूम में ही बनेगा और फलां मिल में बनेगा। अभी तक जनता धोती के लिए एक रुपया मीटर के हिसाब से अनुदान इन छोटे उद्योगों को करघा पर मिलता था और इस कारण लाखों बुनकर परिवार इसमें लगे थे। अब मिलों को एक रुपया 90 पैसे के हिसाब से छूट देकर जनता धोती उनके द्वारा बनवाने का जो निर्णय लिया गया है उससे इस उद्योग को बड़ा धक्का लगेगा और लाखों बुनकर परिवार खाने तक के लिए मोहताज हो जायेंगे। इसलिए मिलों को जो अनुदान देने की यह स्कीम है इसे बन्द किया जाय।

मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि हाथ से बनने वाली जो चीजें हैं उन पर से बिक्रीकर व एक्साइज कर का बोझ खत्म किया जाय ताकि गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके, गरीबी दूर हो सके।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उस पर जो भी आलोचना व प्रशंसा आदि हुई है उसे माननीय वित्त मन्त्री जी ने सुनने के बजाए अपने प्रशासन की फाइल आदि को ही यहां वे पीटते रहे हैं। क्या यहां की चर्चा केवल इस लिए है कि वह कार्यवाही की पत्रिकाओं तक ही सीमित रह जावे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वित्त मन्त्री जी कृपया सुनें।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि जनता पार्टी ने जो घोषणायें बहुत अच्छी सी की थीं उससे उत्तर प्रदेश की जनता को यह महसूस होने लगा था कि जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो उनका जीवन स्वर्णिम हो जायगा। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि किसानों का जो भी कृषि उत्पादन होगा, उसको हम सही कीमत दिलायेंगे। मैं देखता हूं कि आलू और गन्ना से लेकर किसी चीज का भी, आज गेहूं भी जो कि किसानों ने कड़ी मेहनत से पैदा किया है, उसकी भी उसे सही कीमत नहीं मिल पा रही है। वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार और बेईमानी को रोकने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

आपने कहा था कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, लेकिन प्रथम पंच वर्षीय योजना में तो बहुत कम लोग बेकार थे लेकिन आज बहुत से लोग करोड़ों में बेकारी के शिकार हो गये हैं। आपकी योजनायें, आपके सारे वादे, बिलकुल झूंठे हैं। आपने कह दिया था कि बिक्री कर बेकारी वगैरह हम समाप्त कर देंगे, लेकिन आज भी वह लागू है। आपने अनुसूचित जातियों के लिये जो आरक्षण था, उसको पूरा करने के लिये वादा किया और इसके बाद पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण किया, इससे आपने पिछड़े लोगों की तो बिलकुल रेड़ ही मार दिया है। जब से आरक्षण हुआ है उस दिन से बहुत कम ही लोग, नाम मात्र के इस आरक्षण में आ पाते हैं। आपकी सरकार के अभी 4 दिन पहले हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी, बार ऐट-ला, बड़े अच्छे वकील भी कहे जाते हैं स्वायत्त शासन कर्मियों की जो हड़ताल चल रही थी विधान सभा और विधान परिषद् के अन्दर, बड़े उन्मुक्त शब्दों में घोषणा की थी कि हम किसी भी कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं करेंगे और यह जो समझौता 2 मई के लिए हुआ था। उसमें आपने यह भी कहा था कि सहानुभूतिपूर्वक इस बात को निपटायेंगे। आपने यह वादा सदन के अन्दर करने के उपरान्त उन स्वायत शासन कर्मचारियों के लिये जो कि टेम्पोरेरी थे, अस्थायी थे, उनको सेवाओं से निकाल कर और दुबारा उनकी नियुक्ति आपने की है। इससे उनका बहुत बड़ा

[श्री सत्यपाल सिंह यादव—]

नुकसान हुआ है । बहुत से कर्मचारी जो 20–20 साल से काम कर रहे थे, उनकी दुबारा नियुक्ति की गयी । जो स्थायी थे, उनको निलम्बित किया है । मैं कहता हूं कि यह शासन के लिये बहुत ही शर्मनाक बात है । एक बार जो शासन की तरफ से घोषणा कर दी जाय, उसका अमल न किया जाय, तो बहुत ही शर्म की बात है । मैं समझता हूं कि इस शासन को चलाने के लिये अगर इस तरह से मंत्रियों के वादे होंगें और वे पूरे नहीं होंगे, तो यह नौकरशाही को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं । एक आई0 ए0 एस0 अफसर ने मुझसे स्पष्ट कहा कि जनता पार्टियों के मंत्रियों को अधिकार बताना तो हमारा काम है । जनता पार्टी के दो-चार आदमियों को छोड़ कर बाकी लोगों को यह भी पता नहीं हैं कि उनके क्या-क्या अधिकार हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, आपने शान्ति व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस पुनर्व्यवस्था की बात कह दिया, मैं कहना चाहता हूं कि इस पुलिस कर्मियों की, जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने सौंपी है, उनके ऊपर हम सभी आरोप लगाते हैं कि वे रिश्वत लेते हैं, वे अपने कार्य को दक्षता से नहीं चलाते हैं । इनको कोई भी किसी प्रकार की सुविधायें नहीं प्रदान की गयी हैं । इनसे सही रूप में काम लेने के लिये सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिये इनकी सुख-सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिये । आपके इस पुलिस विभाग में जो उप-पुलिस अधीक्षक का पद है, उसका कोई उपयोग नहीं है । इस उप पुलिस अधीक्षक का काम यह है कि वह सिर्फ थानाध्यक्ष से प्रति माह रिश्वत लिया करता है, क्योंकि जिम्मेदारी वगैरह उसकी कोई होती नहीं है । सारी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक या थानाध्यक्ष की होती है । हमारा जिला अपराधिक जिला माना गया है । कुछ जिले अपराधिक जिले माने गये हैं, प्रदेश में । माननीय वित्त मंत्री जी, 7 जिले अपराधिक हैं, शाहजहांपुर में अनेकों ग्राम है जहां एक भी लाइसेन्स शस्त्र नहीं है । वहां पर निहत्थे लूटे जाते है, डकैतियां पड़ती हैं । मैं चाहूंगा कि आप शासन के माध्यम से कम से कम उन गांवों के अन्दर शस्त्र दिलायें ताकि जो ग्रामीण असुरक्षित हैं, वे अपनी सुरक्षा कर सकें खूंख्वार डकैतों से अपने को बचा सकें ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मैं तो अब तक खड़ा भी नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये । एक समय में एक सदस्य ही बोल सकता है ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जो बजट में लिखा गया है उसमें 3–4 बातों की ओर वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । सर्व प्रथम कहा गया कि जन तांत्रिक भागीदारी होगी, जिला परिषद्, पंचायत आदि को सक्षम बनाया जायेगा । अपने प्रदेश के अन्दर ग्राम पंचायतें हैं वे अत्यधिक कमजोर है । उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, 1952 में उसमें जिस प्रकार से प्रदेश की परिस्थितियां बदलीं, शासन के तौर-तरीकों में परिवर्तन हुए उनके अनुरूप उस ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । साथ ही साथ जो ग्राम-प्रधान हैं, उन्हें भी वे सुविधायें नहीं हैं जो होनी चाहिये । मैं दूसरा निवेदन इसी सिलसिले में शासन से करना चाहूंगा, कांग्रेस शासन जब था, उसके बाद संविद सरकार आयी, जिला परिषदों को समाप्त कर दिया गया । उनके भंग कर देने से अनक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, जिलाधिकारियों को इन संस्थाओं के यह अधिकार दिये जाते हैं, साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है, सड़कों के निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिये जिला परिषदों में जो गैंग रखा गया उनको गत 2 वर्षों से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई । इस तरह से जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों में मजदूरों,

कमजोरों और गरीबों के लिये रोजगार दिये जानें, की व्यवस्था की जाय और जिनकी सेवायें जिला परिषदों में थीं, मैं चाहता हूं उन जिला परिषदों को अधिक अच्छा बनाया जाये। मान्यवर, बजट भाषण के इस पुस्तिका में यह बताया गया है कि कृषि उत्पादन में 1977–78 में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जो राज्य की आय है उसमें कृषि से 50 प्रतिशत की आमदनी होती है। प्रदेश का 78 प्रतिशत श्रमिक भी कृषि पर कार्यरत है। यह हम सब जानते हैं कि अपने देश की और प्रदेश की 77 प्रतिशत जन संख्या गांवों में रहती है और 75 प्रतिशत खेती में कार्यरत है। तो इसी अनुपात में इसमें पूंजी का विनियोग भी होना चाहिये। यदि इतना विनियोग किया जाये तो खेती की हालत अच्छी हो सकती है। जनता शासन में यह प्रयास किया गया है कि किसान की माली हालत अच्छी हो सके, खेती में सुधार हो सके। गांवों की स्थिति अच्छी हो सके। कृषि के कार्य में जिस अनुपात में श्रम लगा है अगर इसी अनुपात में पूंजी विनियोग की जाये तो हालत अच्छी हो सकती है। स्थिति में सुधार क्रान्ति के परिणामस्वरूप ही होता है। क्रान्ति के परिणाम स्वरूप ही जनता पार्टी शासन में आई, तो मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी क्षेत्र में समग्र रूप से सभी प्रकार से देखकर सुधार करने का प्रयास किया जाये तो अवश्य ही उन्नति हो सकती है। आलू के बारे में मैं कहना चाहता हूं इस क्षेत्र में समग्र रूप से विचार नहीं किया गया। यदि समग्र रूप से इसके उत्पादन, खपत तथा रखने की व्यवस्था के बारे में विचार किया गया होता तो यह नौबत न आती। (लाल बत्ती जलने पर) मैं दो मिनट का समय चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। लोग भ्रष्टाचार के लिये सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का दोष देते हैं। मैं भ्रष्टाचार के लिये इन कर्मचारियों और अधिकारियों को दोषी ठहराना उचित नहीं समझता हूं। इनके ऊपर राजनैतिक प्रेशर पड़ता है, राजनैतिक प्रेशर के कारण ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं दूसरी कोई योजना अगर लागू की जाती है तो उन्हें सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जब हम योजनायें बनाते हैं तो कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी किन–किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, जो योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो, इस पर विचार ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। बकरी और कुक्कुट पालन की व्यवस्था की गयी है। बकरी के खुरों से भूमि क्षरण होने की बात कही गयी है और पहाड़ों में उनके पालने पर जिलाधिकारियों ने प्रतिबन्ध लगा दिया है, उसे समाप्त किया जाना चाहिये।

*श्री मुकीमुर्रहमान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट को धन्यवाद देने का मुझे मौका मिला। माननीय वित्त मंत्री ने किसानों को और गरीबों को उन्नति के अवसर देने का नारा लगाया है। उन्हें चाहे किसी तरह से भी धन्यवाद दिया जाये देना तो पड़ेगा ही। माननीय वित्त मंत्री हों, माननीय मुख्य मंत्री जी हों चाहे कोई भी मंत्री हों उसका कहना यह है कि किसानों की ओर चलें। दूसरी बात उनका कहना यह है कि नशाबन्दी लागू करो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

माध्यवर, मैं अपनी बात पहले यहां से लेकर चलता हूं कि जिस दिन से नशाबन्दी हुई है उस दिन से चोरी, डकैती, जरायम, राहजनी के आंकड़े पहले से 13 फीसदी बढ़ गये हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, पूरे कुमायूं मण्डल में पहले वह दुकानों में मिलती थी, अब सड़कों में, मुहल्लों में और गलियों में बिकती है। पहले कुछ आदमी ऐसे थे जो 10 की जगह पर 100 रुपये खर्च कर सकते थे, वह भले तरीके से पी सकते थे, अब वह भी सफेद ठर्रा पीते हैं और वह भी सड़कों पर। यह किस प्रकार की नशाबन्दी है, गांधी जी ने यह कब कहा था, लोहिया जी ने यह कब कहा था।

तो स्कीमें वह बननी चाहिये जो हमारे गरीब हैं उनके लिये, किसानों के लिये। अगर किसानों और गरीबों का फायदा होता है तो स्कीम अच्छी है। अगर स्कीम से 10 परसेंट लोगों को फायदा होता है और बाकी 90 परसेंट लोगों को फायदा नहीं होता है तो स्कीम बुरी है। तमाम हिंदुस्तान की आबादी लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर के अंदर नहीं रहती है। हमें देखना होगा कि हमारे ग्राम कितने खुशहाल हैं, हमारे ब्लाक कितने खुशहाल हैं, हमारे पहाड़ कितने खुशहाल हैं। आज पहाड़ों की ऐसी स्थिति हो गयी है कि आप अगर पहाड़ों पर जांय तो वहां पेड़ इतने कट गये हैं कि पहाड़ नंगे हो गये हैं। पहाड़ों के पेड़ वहां के डाक्टर और चौकीदार होते हैं। तमाम पहाड़ के पेड़ काट देने से पत्थर निकल गये, पानी निकल गया। अगर ऐसा होता रहा तो मैं समझता हूं कि लोग प्यासे मर जायेंगे और एक चुल्लू पानी नहीं मिलेगा। सन् 52 में यहां एक क्वेश्चयन आया था, असेंबली के अंदर, कि फी गिलास पानी पर क्या लागत आती है। तो पहाड़ों पर अगर दरख्त कटेंगे, वन विभाग ने दरख्तों का काटना नहीं रोका तो दो रुपये फी ग्लास नहीं, 100 रुपये फी ग्लास पानी नहीं मिलेगा। (लाल बत्ती जलने पर) चूंकि आपने वार्निंग दे दी है कि टाइम कम है इसलिए मैं बहुत मुक्तसर करके बतला रहा हूं।

समाजवाद की बातें होती हैं, समाजवाद कहां से शुरु होता है। समाजवाद ग्राम समाज से शुरू होता है। समाजवाद मुख्य मंत्रालय या विधान सभा से नहीं शुरू होता है। आज जब हम बजट देखते हैं, मिश्रा जी, रियासत साहब, दिघे जी, आप किसी साल का बजट निकाल कर देख लें, हर जीज की नकल मिलेगी। बजट खड़े होकर पढ़ दिया, मंत्री जी ने कह दिया कि सचिव को धन्यवाद देता हूं बजट बनाने के लिये। लेकिन आप देखें पहाड़ों पर नमक चार रुपये किलो बिक रहा है, मिट्टी का तेल 6 रुपये बोतल, डीजल गायब तो यह कौन सा बजट है, कौन सा समाजवाद है, किसान के फायदे की कौन सी बात है, किस बात का धन्यवाद दिया जाय। कुछ समझ में नहीं आता कि कैसा बजट है और किस बात का धन्यवाद दिया जाय। सिंचाई विभाग में 1 लाख 20 हजार कर्मचारी कार्य प्रभारित कर्मचारी हैं। लेकिन उनको रेगुलर नहीं किया गया है। इनको रेगुलर किया जाय। पी0 डब्लू0डी0 में 64 हजार, हाइडिल में 16 हजार, लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट में ढाई हजार वित्त वर्क चार्ज के लोग हटाये गये हैं। यह आंकड़े मैं इसलिये दे रहा हूं कि पहला बजट जो हमारे मंत्री ने पारसाल पढ़ा है उसके बाद क्या तरक्की हुयी है। गंदी बस्ती है तो हटा दी जाये, नाला है पाट दिया जाय कह कर ताली बज जाय, लेकिन न नाला पाटा जाय और न गंदगी हटे तो क्या फायदा है ऐसी बातें कहने से आज ऋषिकेश, हरिद्वार, निर्जापुर, बनारस, बरेली, कानपुर, कालागढ़, नैनीताल, पिथौरागढ़, रामनगर इन सब जगहों पर लेबर का हिसाब दिया जाय, लेबर की जब बात कर रहा हूं तो न हमारे लेबर मंत्री मौजूद हैं, न सिंचाई मंत्री और न बिजली मंत्री मौजूद हैं और जो अधिकारी मौजूद हैं, उनको भी याद नहीं रहता कि पिछले साल के बजट पर क्या एतराज किया गया था और अगले साल उसे कैसे दूर किया जायगा। आप महाराष्ट्र के अंदर जाय तो पायेंगे कि उन्होंने ब्लाक का

आंकड़ा रखा है, लिस्ट बना रखी है कि केश प्रोग्राम में इतनों को काम देना है और इतनों को मिल चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास की स्कीमें आगयी और उसके अन्तर्गत वहां सड़कें भी बन गयी। माननीय श्यामधर मिश्र, पी० ए० सी० के सभापति, वह यहां उपस्थित हैं, जब करेटी म बात आती है तो तमाम इंजीनियर लोग खाना पूरी करके बात को बता देते है जब कि मौके पर वैसा नहीं होता है। आप मान्यवर, कहीं भी जांय तो काम को देखें तो पता चलेगा कि सदन के अन्दर मंत्री जी भी कितना बड़ा ब्लफ दे देते हैं। माननीय लेबर मिनिस्टर ने यहां सदन में कहा है कि 3 साल से जिन कर्मचारियों की ज्यादा सेवा करते हो गया है उनको रिगुलर कर दिया जाय लेकिन ऐसा नहीं किया गया है जिसका उदाहरण राम गंगा परियोजना, कालागढ़ में सिचाई विभाग में देखा जा सकता है कि जिन कर्मचारियों ने 18 साल तक विभाग की सेवा किया है लेकिन आज उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। हमारे शासन के अधिकारी लोग भी नीचे के कर्मचारियों से काम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वह भी जानते हैं कि यदि ठेकेदार हट जायेंगे तो उनकी खातिर में कमी आ जायेगी।

इसके अलावा मान्यवर, गेहूं के बारे में भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गेहूं 95 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बाजार में है जब कि सरकारी रेट 115 रुपये है। इसी तरह आलू का सरकारी रेट 45 रुपये है जबकि वह बाजार में 7 रुपये बोरी बिक रहा है। वाह रे बढ़ते कदम। अधिकारियों ने भी इस दिशा में कुछ नहीं किया है। यदि मैं अधिकारी होता तो कर्मचारियों की हालत को देखकर इस्तीफा दे देता लेकिन पता नहीं अधिकारी कैसे हैं। इसी तरह मान्यवर, गन्ने के बारे में भी हुआ। मान्यवर, रेवेन्यू विभाग आग लगने और बाढ़ आने पर मदद करता है लेकिन 60 प्रतिशत पटवारी लोग किसानों को देते हैं और बाकी 40 प्रतिशत कर्मचारियों की जेब में चला जाता है।

मान्यवर, इसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुये 50 पैसे प्रति व्यक्ति सालाना हमने बजट में रखा है। तो उनको शर्म नहीं आयी ऐसा कहते हुये। इतने से क्या होता है। मान्यवर, मुरादाबाद, बिजनौर आदि में ताड़ी बिकती नहीं देखा था लेकिन अब वह बिकती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री मुकीमुर्रहमान—

लेकिन इन सब चीजों को देखते हुये भी मैं पार्टी के निर्णय के अनुसार बजट का समर्थन करता हूं किन्तु मंत्री जी को ऐसे बजट से घृणा हो जानी चाहिये कि वह आई० ए० एस० के कहने पर अब बजट नहीं बनायेंगे।

गन्ने में आई० ए० एस०, गेहूं में आई० ए० एस० हर जगह आई० ए० एस०। अगर इस तरह से आई० ए० एस० के घोड़े पर दौड़ते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा और माननीय ख्यालीराम शास्त्री और शिव नाथ सिंह जी ने जो कहा है, उसमें क्या फर्क? अगर इस तरह से चलना चाहते हैं और इस तरह से प्रशासन को हैंडिल करना चाहते हैं, तो मैं शासन की इस नीति से इत्तफाक नहीं करता। धन्यवाद।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में पेश किया है; इसकी तारीफ करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। सवाल इस बात का है कि मैं समझता हूं कि यह तीसरा बजट है मंत्रीजी का। मैं सोच रहा था; इसमें कोई खास खबर होगी, लेकिन जब पन्ने खोल

[बाबा राम अवार यादव]

कर देखा तो वैसा का वैसा ही नजर आया। कोई खास बात वजट में नजर नहीं आयी। मान्यवर, मैं इसकें पहले भी ब्यान दे चुका हूं और अखबारों में आ चुका है कि यह बजट जनता के हित का नहीं, वल्कि यह गरीब जनता विरोधी बजट है। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय वित्त मंत्रीजी जो डा0 लोहिया के अनुयायी हैं, इस तरह का बजट पेश करेंगे। मान्यवर, डा0 लोहिया जी ने कहा था कि खर्च की सीमा बांधो, लेकिन फिर क्यों नहीं बांधा और आज अफसरशाही हमारे सरकार पर हावी है। बजट मंत्री जी ने नहीं बना कर दिया, यह बजट मंत्री परिषद् का नहीं, यह बजट अफसरशाहों ने बनाकर दिया है।

जरा देखें, कि शिक्षा पर उपकर लगा दिया जो कि मेरी समझ में नहीं आता। जब एक तरफ दिया हुआ है कि हम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क देंगे तो फिर उसमें उपकल कहां से आ गया। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा और इसको भी साफ नहीं दिया कि यह कर किस तरह से लेंगे—विद्यार्थियों पर लगावेंगे या उनके अभिभावकों पर लगावेंगे—यह भी नहीं समझ में आता।

डा0 लोहिया ने कहा था कि अंग्रेजी स्कूलों को वंद किया जाय। उनको तो बंद नहीं कर पाये जो कि शोषण कर रहे हैं गरीबों का और जो किसी तरह से पढ़-लिख लेते थे, उन गरीब विद्यार्थियों से यह 15 करोड़ रुपया उपकर वसूल करेंगे।

दूसरी तरफ देखिये। डा0 लोहिया कहा करते थे कि इस देश में आदमी घोड़े का काम करता है, जिसको बंद किया जाय। उस तरफ वित्त मंत्री जी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। चिलचिलाती धूप में हमारे देश और प्रदेश में इंसान रिक्शा चलाकर घोड़े का काम करता है और आज तक परिवहन विभाग ने कोई इंतजाम नहीं किया है। आप घोड़ा इंसान को हटाकर उनको इंसान वना सकते थे।

दूसरी बात, इसी तरह से, बताना चाहता हूं जो कि मद्यनिषेध के बारे में है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसा मद्य निषेध है? एक शराब, जिसको शायद वियर कहते हैं, वियर पर इक्साइज डियूटी नहीं है। वियर बनाते हैं वड़े कारखाने वाले और पीते भी हैं वड़े लोग। लेकिन जो ताड़ी है, जिसको गांधी जी ने नीरा कहा था, उसका निषेध कर दिया है। यह बड़े अफसोस की वात है। वड़े आदमी जो वियर बनाते हैं उस पर इक्साइज डियूटी भी लगे। और उसको पियेंगे वड़े आदमी लेकनि गरीब आदमी जो ताड़ी से 2/3 महीने कार्य कर साल भर की अपनी जीविका चला लेता था, उसको भी बंद कर दिया, और बंद ही नहीं कर दिया बल्कि ताड़ी के पेड़ भी कटवा दिये जव कि ताड़ी कोई भी नशे की चीज नहीं है—और हमारे आयुर्वेद ने भी लिखा है कि वह नीरा है, नशा नहीं है। मान्यवर, जव स्वर्णकारों का पेशा छीना गया तो उनको हर तरह की सहुलियत दी गयी, लेकिन जो लाखों की तादाद में ताड़ी वाले हैं, कमजोर लोग हैं, हरिजन हैं, उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे कि मद्यनिषेध तो कर दिया गया, वेश्यावृत्ति का आज तक उन्मूलन नहीं किया गया।

आज भी देश में गरीब महिलाएं मजदूरी से अपना तन बेचती हैं। देश के अन्दर हमारी जो गरीब मां, बहनें अपना तन बेचती हैं उसकी ओर तो तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि हमारी मां, बहनें जो अपनी अस्मत बेचती हैं वह बन्द हो। मद्यनिषेध का फायदा यह नौकरशाही और ठेकेदार उठा रहे

रहे हैं। मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं कि लखनऊ में जब मद्यनिषेध शुरु हुआ तो उसके पूर्व दो करोड़ 10 लाख रुपए का यहां पर नीलाम हुआ था। इलाहाबाद में, जो मद्यनिषेध के बाहर है, वहां पर अबकी बार 90 लाख का हुआ है जबकि इलाहाबाद में लखनऊ से ड्योढ़ी शराब की खपत है। हमारे मन्त्री जी को यह पता नहीं है कि अफसर किस तरह खाते हैं। हमारे यहां इलाहाबाद में एक बड़ा ठेकेदार है, जिस का नाम मैं नहीं लेना चाहता। इलाहाबाद, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ आदि बहुत से जिलों का धंधा उसने अपने कब्जे में कर लिया है। लखनऊ मद्यनिषेध में आ गया है, कानपुर आ गया है मगर तीर्थस्थानों को नहीं किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी लम्बी रकम अधिकारियों को मिली है, वह छिपी नहीं है। मोहन मीकिन के ऊपर कितना रुपया बाकी पड़ा हुआ है ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

बाबा राम आधार यादव—

मैं चिकित्सा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैंने सदन में सल्फा-डाइजीन का मामला उठाया था, आप देखेंगे कि इन्सानों को जानवरों की दवा दी गई। इस पर क्या हुआ केवल उनका ट्रान्सफर कर दिया गया। और कुछ नहीं किया गया। इलाहाबाद में मेडिकल कालेज हैं, तमाम अस्पताल हैं। इलाहाबाद मेडिकल कालेज की जो दुर्दशा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेडिकल चिकित्सालय में बड़े-बड़े डाक्टर हैं जो 15-16 साल से वहां हैं, उनका ट्रान्सफर नहीं हो रहा है। आप यह देखेंगे कि साधारण गरीब रोगियों की चिकित्सा वहां नहीं होती है और छोटे-छोटे डाक्टरों को आप इधर से उधर हटाते हैं।

यह कहते हैं कि गांव की ओर चलो। गांव में चलने की कहां बात रह गई। सब शहर की ओर चल रहे हैं। गांव की ओर कोई नहीं चल रहा है। आप यह देखेंगे कि हमारे यहां जो परगनाधिकारी, एस0 डी0 एम0 या सी0 ओ0 हैं, उनको कह दियागया कि वे अपने हेडक्वार्टर्स पर रहें। परन्तु उनको जीप दे दी गई है, वे जीप से रोज शहर आते हैं और आते रहते हैं। आज पेट्रोल कितना महंगा है, उसका दुरुपयोग होता है। मुख्य मन्त्री जी से मैं कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने जिस प्रकार पेट्रोल के उपयोग में कटौती की है उसी प्रकार यहां भी पेट्रोल के खर्च में कम से कम 25 प्रतिशत कटौती की जाए।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, बजट के ऊपर बोलने की आपने मुझे आज्ञा दी। यह ऐसा विषय नहीं है जिसमें ज्यादा उत्तेजना हो। धन की जहां चर्चा हो, वहां सर्वप्रथम शान्ति बहुत चाहिए। यह कुदरती है जनतन्त्र प्रणाली के अन्दर, वित्त मन्त्री ऐसी शख्सियत हैं जिसके हाथों में प्रदेश की खूबसूरती भी है और बदसूरती भी है। बजट वित्त मन्त्री ने रखा और उसका ध्येय यह है कि उत्थान किया जाय इस प्रदेश का। अब हमें देखना यह है कि यह उत्थान करने जा रहे हैं या यह एक सर्वनाश का नक्शा है। यह जो बजट है, पहले आप धनसंग्रह कर लें, फिर उसका उपयोग समाज के लिए करें। किन श्रेणियों से मन्त्री जी ने धन संग्रह किया है, छोटे उद्योगों से, कृषि वर्ग से, मनोरंजन टैक्स से। यह आप का सोचने का ढंग रहा है। यह मन्त्री जी का राइट है, उनका हक है, धन संग्रह करने के लिए रास्ता निकाले।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

मैंने बजट में सात नुक्ते पढ़े जिन से वित्त मन्त्री जी धन संग्रह करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि यदि माननीय वित्त मन्त्री जी बजट बनाते समय थोड़ा सा वक्त निकाल कर व्यापारी वर्ग के साथ बैठ कर बात कर लेते तो यकीनन इन सात नुक्तों को वे छोड़ देते। बच्चों के स्कूल पर कर, शराब बन्दी करना चाहते हैं लेकिन उस पर टैक्स ज्यादा लगाने की सोचते हैं, (इस समय 4 बजकर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)। यदि बन्द करना चाहते हैं तो टैक्स का लालच भी छोड़ना पड़ेगा। मैं पेश करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो ये इन बड़े-बड़े महलों को बनवाने में, जिनमें शान शौकत से लोग रहते हैं, बड़ा सुख प्राप्त करते हैं, इन में जो सजावट की सामग्री लगती है लाखों रुपयों की, मारवल चिप्स हैं, मारवल की चीजें हैं, पचास हजार, 20 हजार, का जो एक एक गुसलखाना बनता है मारबिलों से, उन पर टैक्स लगाते तो यह टैक्स का बोझ गरीब जनता पर नहीं पड़ता। करीब पचास करोड़ रुपए मन्त्री जी ने टैक्स के रूप में निकाले हैं। मनोरंजन पर टैक्स ठीक नहीं है इस प्रकार की बातें विधान सभा में पहले भी हुई हैं। समाज में यह एक ऐसी चीज है कि दुःख दर्द के बाद, मसक्कत के बाद, पसीना बहाने के बाद, दो घड़ी के लिए आदमी को आराम मिलता है लेकिन उस पर भी टैक्स और वह टैक्स भी किस पर जो दो रुपए देते हैं। बड़ी चीजों पर, निर्माण की सामग्रियों पर टैक्स लगाते, तो आप के पचास करोड़ रुपये निकल आते।

कृषि की तरफ आप ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि नौजवानों को रोजगार कैसे देंगे। नौजवान अपने धन्धों से नौकरी ढूंढ़ता है आप ने उन धन्धों को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया है। टैक्स बढ़ाया है केवल। सेल्स टैक्स पर सरचार्ज बढ़ाना चाहते हैं। टैक्स कम कर के आप सरचार्ज बढ़ाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों को रोका जाय, प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचा जाय, कृषि के ऊपर टैक्स न लगे, व्यापारियों के ऊपर टैक्स न लगे। चीजें आसमान को छू रही हैं महंगाई के कारण और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप उनको नियन्त्रित कर सकें और लोगों को अधिक सुविधा दे सकें। सेल्स की सुविधा बन्द हो गई है जो व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी है और जिससे धन की प्राप्ति होती है। उस ओर प्रदेश की सरकार का ध्यान जीरो है।

यह जो बजट पेश हुआ है यह प्रदेश के सर्वनाश के लिए है। नौजवानों के लिए नौकरी की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, व्यापारियों के लिए व्यापार करने के लिए कोई साधन नहीं है और कृषि की उन्नति के लिए भी किसान के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। नारा तो यह दिया गया कि गांव की ओर चलो लेकिन उल्टे शहर की ओर चल रहे हैं देहात के लोग क्योंकि शहर से उनको पैसा कमाने को मिलता है। मेरा अनुरोध है कि वित्त मन्त्री जी मनोरंजन टैक्स वापस ले लें। इसी प्रकार शिक्षा पर जो टैक्स लगाया गया है उसे भी समाप्त करे। पहले ही छात्रों में काफी असन्तोष है। अब उन पर या उनके वाल्दैन पर यह टैक्स लगा कर उस असन्तोष को क्या सरकार और बढ़ाना चाहती है? जहां तक अल्कोहल का ताल्लुक है, शराब बन्दी का ताल्लुक है। जितना अधिक गन्ना पैदा होगा उतना ही अधिक मुलेसिस पैदा होगा और उसका उपयोग बढ़ेगा तो सरकार की यह पालिसी है कि किसान गन्ना उगाना बन्द कर दे। 60 रुपए कुन्टल सीमेन्ट

के दाम बढ़ा दिए गए और 60 रुपए कुन्टल गेहूं बिक रहा है तो क्या इसी तरह से प्रदेश का उत्थान यह सरकार करेगी, यह मुझे बिश देगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय सदस्य 5 मिनट बोलेंगे।

*श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो बड़ा क्रान्तिकारी तथा जनहितकारी बजट है लेकिन इस बजट को आपरेट करने वाला शासन तंत्र है उसकी थोड़ी सी पिक्चर मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो स्टेट प्लानिंग कमीशन है उसमें जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश प्लानिंग कमीशन के सचिव, श्री भटनागर जी हैं वह माननीय सदस्यों के पत्रों द्वारा बतलाई गई बातों से सम्बन्धित फाइलों को गायब करने में बड़े माहिर हैं जब उनके दफ्तर में विधायक जाते हैं तो कहा करते हैं कि हम तो 20 वर्ष से फाइल गायब कराते आ रहे हैं। इस प्रकार से यह जो क्रान्तिकारी बजट जनता सरकार ने पेश किया है उसको आपरेट करने वाला प्लानिंग कमीशन बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है। इस विभाग के सचिव महोदय बड़े हरिजन विरोधी हैं। हरिजन कल्याण के लिए जो बजट में माननीय मन्त्री ने प्राविधान किया है चारों तरफ से रुपया खींच कर उसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार से इस विभाग के लिए जो 70 करोड़ रुपया आया था उससे सम्बन्धित फाइल को भटनागर जी जो सचिव हैं इस विभाग के इधर-उधर घुमा रहे हैं और इस प्रकार हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं और यह कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है कि यह मन्त्री, गृह मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री इतने अक्षम हैं कि 6-6 महीने से उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और ये अधिकारी मौज उड़ा रहे हैं। मैं सुरक्षित सीट से आया हूं। मुझे केवल 5 मिनट का समय दिया गया है। मैं तो हरिजनों के बजट के संबन्ध में ही ज्यादा कहना चाहता हूं। हरिजनों के लिये जो बजट दिखाया गया है और जो स्कालरशिप उनको दिया जा रहा है, उनको जो प्रोन्नति हो रही है वह बिलकुल न के बराबर है। इस ओर कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। इसी सचिवालय में गृह मंत्रालय के बारे में कहना चाहता हूं कि जो वीकर सेक्शन है उनके साथ कितना विश्वासघात यहां के लोगों ने किया है। 6-6 महीने तक गृह मंत्री के मांगने पर, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी श्री एस० पी० सिंह, जो हरिजन विरोधी हैं, 10 वर्ष से इस विभाग में हैं, हरिजनों की फाइल नहीं भेजते हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

किसी अधिकारी का नाम लेकर न कहें तो अच्छा है।

श्री श्यामदेव—

मैं उसको वापस लेता हूं लेकिन ज्वाइन्ट सेक्रेटरी का नाम अभी भी लेता हूं जो कि हरिजन विरोधी हैं। मान्यवर, मैं बनारस का रहने वाला हूं और उस जिले के हरिजनों के बारे में बताता हूं कि वहां स्कालरशिप हरिजनों और बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट को सेंक्शन कर दिया गया है लेकिन यह मई का महीना है, बहुत से लड़के परीक्षा देकर चले गये हैं, एक भी लड़के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्शोधन नहीं किया।

[श्री श्यामदेव—]

को स्कालरशिप नहीं दिया गया है। वहां यह कहा जाता है कि बजट से पैसा नहीं आया है। अगर अप्रैल, मई तक इन बच्चों का स्कालरशिप का पैसा नहीं दिया जायेगा तो फिर वह पैसा किस काम का है। हरिजन कल्याण मंत्री सुन लें, यदि वे न हों तो दूसरे मंत्री हों, कृपया मेरी बात को सुन लें कि इस स्कालरशिप का पैसा वहां पर हरिजन बच्चों को समय पर उपलब्ध कराया जाय तभी वह उपयोगी होगा। मैं माननीय दिघे जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता ही हूं किन्तु साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि उनको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इधर के बैठे हुये लोग उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कुछ लोग उत्तर प्रदेश का विकास न करके अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। यदि सर्वे कर लिया जाय तो यह पाया जायेगा कि कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम लोग आपसी खींचा-तानी में लगे हुये हैं और अफसर लोग रात-दिन अपने घर भरने पर लगे हुये हैं। मान्यवर, सभी जानते हैं कि बनारस जिला काफी डेवेलप्ड जिला है—बनारसी साड़ियों की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से या अन्य दृष्टियों से यह काफी डेवेलप्ड जिला है लेकिन यातायात, इर्रीगेशन, पी० डब्ल्यू० डी० आदि के लिये जो पैसा इस जिले के लिये बजट में दिया गया है वह कम है...

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। मुझे वित्त मंत्री जी को बुलाना है।

श्री श्यामदेव—

मुझे 2 मिनट में अपने क्षेत्र की बात बतानी है कि हमारे क्षेत्र में एक जगह गौरीहाट में एक पुल बनना था, वह नहीं बना है। वहां यातायात का कोई साधन नहीं है, नहरें नहीं हैं। जो सर्विस रोड्स हैं उनको पक्का किया जाय ताकि किसान अपनी उपज का उचित मूल्य ले सके। वहां अस्पतालों का अभाव है। इसको सरकार पूरा करे। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मुझे 5 मिनट का समय दे दें। मंत्री जी अपने समय में से 5 मिनट मुझे दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसे ही कोई दूसरे माननीय सदस्य भी समय ले सकते हैं... (व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, इसका जवाब अगर माननीय मुख्य मंत्री दें तो अच्छा होगा। उनकी रीति-नीति क्या है।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य मंत्री बोल सकते हैं लेकिन जवाब वित्त मंत्री ही देंगे।

*वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं और माननीय नेता विरोधी दल का विशेष तौर पर कृतज्ञ हूं कि इस दफे बजट की आलोचना में उन्होंने बहुत ही बुनियादी और तकनीकी प्रश्नों की तरफ विशेष ध्यान दिया है। यह बात सही है कि हमारे पुराने मित्र, अनुभवी मित्र जो वर्षों तक वित्त मंत्री रहे, ऐसे नेता विरोधी दल जब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलते हैं, तो वह अपने ज्ञान का उपयोग इसलिये भी करते हैं लोग भ्रम में पड़ जायं, तो एक प्रकार से भ्रम उन्होंने फैलाया है और इस दृष्टि से कुछ बातें जिनकी तरफ ध्यान नहीं जाता उनकी तरफ भी विशेष तौर पर ध्यान देने का मौका मिल जाता है, यदि कोई ऐसी बातें होती हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता होती है उसमें भी सहायता मिल जाती है ।

श्री देव बहादुर जी ने आखिर में एक बात उठाई है तो मैं वहीं से पहले शुरू करता हूं। उनसे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मुख्य मंत्री जी जैसी कि परम्परा रही है इंटरवीन करने वाले थे, उनका भाषण होता और बहुत कुछ मेरा भार वह हल्का कर देते लेकिन यहां से जाने के बाद उनकी तबियत ठीक नहीं रही इस वजह से उन्होंने मुझ से कहा कि अब इस कार्य को आपको ही करना होगा । मैं प्रयत्न करूंगा जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये हैं उनका जितना संभव हो सके समय के अन्दर जवाब दे सकूं । इस बजट की आलोचना और तारीफ करने वाले दो प्रकार के लोग हैं । जिन्होंने बजट को ठीक तरह से पढ़ा, विस्तार से पढ़ा उन्होंने इसकी तारीफ की और सुझाव भी दिये । लेकिन कुछ लोगों ने केवल आलोचना की तो उनके भाषण को जब मैं सुन रहा था तो समझ गया कि उन्होंने बजट भाषण को खोल कर पढ़ा नहीं बल्कि यहां किताब साथ लेकर आ गये । उनकी तरफ मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा लेकिन जो मुख्यतया प्रश्न उठाये गये उनका एक-एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा ।

मैं शुक्रगुजार हूं माननीय रियासत हुसैन साहब का जैसा मैंने कहा बुनियादी तौर पर जो जो बजट के पहलू हैं उसकी तारीफ और आलोचना रियासत साहब ने की और वही तरीका था आलोचना करने का । मैंने पहला बजट जब प्रस्तुत किया था उसमें कहा था कि हमारी जो घोषणायें हैं उनकी तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं । दूसरा बजट जब मैंने प्रस्तुत किया तब मैंने कहा था हम अपने पैरों को मजबूती के साथ टिका रहे हैं । तीसरा बजट जब मैं प्रस्तुत करहा हूं तो इसमें कहा है कि इन दो पैरों पर खड़े होकर हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्य शुरु कर रहे हैं और जो महल हमको खड़ा करना है उसे खड़ा कर रहे हैं ।

सबसे पहले जिन्होंने कर लगाने की आलोचना की है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हों और प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर उठाना है तो इसके लिये साधन जुटाने होंगे। इस बात में सभी की एक राय है कि अपना प्रदेश कई वर्षों से पिछड़ता ही गया उसके जो भी कारण हों । यदि अपने लोगों का जीवन स्तर उठाना है, इसका विकास तेजी से करना है तो हमको कुछ त्याग भी करना पड़ेगा । इस बात को ध्यान में रख कर मैंने प्रयत्न किया और जो अपेक्षा केन्द्र ने हमसे की उसको पूरा करने की कोशिश की और जिसकी अधिक बोझा बरदास्त करने की शक्ति नहीं थी, उनके कंधों पर अधिक बोझा भी नहीं डाला और यह भी प्रयत्न किया कि सुचारुरूप से हम काम कर सकें । इसी दृष्टि से रियासत साहब ने इस बजट के मुख्य पहलुओं पर अपना भाषण शुरु किया इसमें जो उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किये और पिछले जमाने में उनको हमने जो काम किये जिनका विरोधी पक्ष में बैठकर उनको चर्चा करनी चाहिये थी और जिनकी तारीफ करनी चाहिये थी वह इन्होंने की। पिछले 30 वर्षों में और गत दो वर्षों में जो गलतियां हुईं उनको स्वीकार करने में मुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं है और मुझे इसके लिये कोई हिचकिचाहट भी नहीं है कि जिस तरह से हमें प्रशासन में चुस्ती लानी है, भ्रष्टाचार मिटाना है, उसमें हम पूरे तरीके से अभी सफल नहीं हुए हैं। लेकिन हमारा प्रयत्न है कि आने वाले दिनों में यदि हमने इसी तरह से काम किया तो हम भ्रष्टाचार का खात्मा करने में सहायक हो जायेंगे और उसे समाप्त करने में सफल भी होंगे । उन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग विभाग में काफी भ्रष्टाचार है ।

आप हमारे बजट भाषण में देख लीजिये, हमने इसके बारे में साफ-साफ कहा है कि जहां-जहां भी इस तरह के भ्रष्टाचार की गुंजायश है, उसमें हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं ।

[श्री मधुकर दिघे]

में चाहूंगा कि वह उसमें स्वयं पढ़कर देख लें । श्यामधर मिश्र जी, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं और उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अपनी बात से हमको फायदा पहुंचाया है । अपने बजट के पहले पैरा में ही उन्होंने जो सुझाव दिये हैं और जो उस पर कार्यवाही की है, उसका जिक्र किया है । उन्हें मुख्यतः लेखानुदान को लेकर हमारी आलोचना की है । मैं इसको मानता हूं कि बार-बार के अपने तमाम प्रयत्नों के, हम लेखानुदान की उस कुप्रथा से, जो पहले 10–12 वर्षों से हमारे लायक दोस्त तिवारी जी और उनके प्रडेसेशर्स ने डाल रखी है, निकल नहीं पा रहे हैं। इसके लिये मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, इसकी हमको रोक करनी चाहिये, लेकिन हम उसमें अभी कामयाब नहीं हो सके हैं । इसलिये उन्होंने जो आलोचना की है, उसको स्वीकार करते हुए भी इस वर्ष की विशिष्ट कठिनाई को मैं उनके सामने रखना चाहता हूं । इस बार हमारी जो योजना है वह समय से स्वीकार नहीं हो सकी थी । मैं चाहता था कि समय के अन्दर बजट प्रस्तुत करूं और अब तक इस सम्बन्ध में जो आलोचना होती रही है, उससे बच सकूं, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं हुआ हूं ।

दूसरी बात, उन्होंने पूंजीगत खर्चे के बारे में कही है, जो कई वर्षों से कर रहे हैं। दूसरी किताबों में उसकी चर्चा है । अभी तक के प्रयत्नों से जो सूचना हमें मिल पायी है, उसके अनुसार हमारे प्रदेश में 32 सौ करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय हुआ है यानी इन्वेस्टमेन्ट के जरिए पूंजी क्रियेट की ।

इसके अतिरिक्त उनका कहना यह है कि राज्य कर्मचारियों पर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं । यदि राजस्व खर्च के प्रतिशत में इसे हम देखेंगे तो यह जरूर लगेगा, लेकिन कर्मचारियों के बारे में जो धारणा है उसको मैं निर्मूल करना चाहता हूं । अपने प्रदेश में हम दूसरे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की तुलना में उनको कोई ज्यादा सहूलियत नहीं देते हैं । मुझे तिवारी जी के भाषण की इस सम्बन्ध में पुरानी बात याद है, उनका कहना था कि कर्मचारियों के लिये जो हम प्रयत्न कर रहे हैं या उन्हें जो दे रहे हैं, वह दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा नहीं दे रहे हैं । यह बात अवश्य है कि अपनी लिमीटेशन को ध्यान में रखते हुए, धीरे-धीरे हम उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मैं भी उनका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं । इतना निश्चित है कि जितना हम कर्मचारियों को देते हैं, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में, बहुत अधिक नहीं देते हैं, अभी भी जरूरी है कि उनकी लिविंग कंडीशंस को ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिये, वह प्रयत्न धीरे–धीरे मैंने शुरू किया है। मेरा पहला बजट भाषण याद होगा । मैंने कहा था कि शुरुआत कर रहा हूं चौकीदार से । पेंशनर्स के मामलों में भी दो तीन वर्ष में कदम उठा कर राहत दिया है । थोड़ा बूढ़े आदमी को पूछिये । अगर बाबा राम अधार यादव सरकारी कर्मचारी होते तो मेरी आलोचना नहीं करते, अगर वह पेंशनर होते । पेंशनर काफी दुआ दे रहे हैं । अगर ऐसे लोग दुआ दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है जिसके लिये मुझे यहां पर मौका दिया गया है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो, क्योंकि यह भ्रम फैल रहा है । मैंने कदापि नहीं कहा, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि यहां पर अधिकारियों को अधिक तनख्वाह दी जाती है । कदापि मेरी यह मंशा नहीं थी । जो बात कही उसका उत्तर माननीय मंत्री जी दें । क्या यह बात सही नहीं है कि यहां सौ रुपये में 75–80 रुपया राजस्व व्यय हो जाता है, केवल 20 रुपया पूंजीगत व्यय होता है । और उस 80 रुपये में भी आधे से ज्यादा तनख्वाह हो जाती है? यह मैंने कहा था ।

श्री मधुकर दिघे—

वह तो मैंने पहले वाक्य में कहा राजस्व के प्रतिशत की दृष्टि से अगर तुलना की जायगी, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन इसके दूसरे अर्थ निकल सकते हैं। मेरे लिए सफाई हो गयी और आपके लिये भी।

मान्यवर, उसके बाद ऊदल जी ने जो प्रश्न उठाये हैं, उनका कहना है कि बजट की कोई दिशा नहीं। बजट की दिशा में कभी कभी गड़बड़ी होती है। जब मैं उधर बैठता था तो इधर की दिशा नहीं देख पाता था और जब इधर बैठता हूं तो उधर की दिशा नहीं मालूम होती है। तो दिशा में भ्रम होता है। जो लक्ष्य और उद्देश्य है, उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से बजट में जो प्राविधान किये गये हैं, अगर उसकी तरफ देखें और जो हमने प्राप्तियां की हैं, पिछले दो वर्षों में, अगर उनको देखें तो ऊदल जी को हमारे लक्ष्य, उद्देश्य, हमारी दिशा और उसके लिये किये हुए कार्यों की उनकी तारीफ करनी पड़ेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने और विशेषकर माननीय तिवारीजी ने और देवकुमार जी ने एक बात कही कि ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र तो कर दिया जाता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वे वित्त मंत्री रहे हैं। उनको भी अनुभव हुआ होगा। वित्त मंत्री की हैसियत से ढांचा खड़ा कर देते थे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कठिनाई होती थी। इसका जवाब तो जब विभिन्न विभागों के मंत्री अनुदान रखेंगे सदन के समक्ष तो विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत हौसले और हिम्मत के साथ यह कहा था कि लैंड आर्मी इस प्रदेश में बनाना चाहते हैं। मैं स्वीकार करता हूं, मुझे अफसोस है, मैंने मुख्य सचिव और माननीय मुख्य मंत्री के कान में डाला है, जिन लोगों ने उसमें कठिनाई उपस्थित की है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में जो वित्त मंत्री की हैसियत से घोषणा करें, जिस पर मोहर मंत्रि परिषद् द्वारा लगायी गयी हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको वह पसन्द न हो, उसको वह कार्यान्वित नहीं करना चाहता, तो उसको नौकरी छोड़ देना चाहिये। उस मामले में दखल देने का अधिकार उनको नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, मैंने यह बात इसलिये कही कि इस आलोचना को मैं बहुत ही अच्छी आलोचना मानता हूं। क्योंकि जो बजट में प्राविधान हो उसका कार्यान्वयन जरूरी है। अगर हमारे अधिकारी नहीं करते हैं तो हमारा फर्ज है कि उसको छिपाने की कोशिश न करें और सच्चाई के साथ स्वीकार करें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का शासन और जो प्रदेश का मंत्रिमंडल है वह इस प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहता है। जनता का कल्याण नहीं होगा तो हमारे जैसे लोगों का अधिकार नहीं होगा कि वह मंत्री बने रहें मैं कांग्रेसी मंत्रियों की वह पुरानी बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि सभी चीजों को छिपा दिया जाय। जो भी हमें करना है उसे मजबूती के साथ करना है मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में मैं वहां पर बैठता था, तो जितने भी लक्ष्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन्स के इन्होंने रखे थे वह कभी भी पूरे नहीं हुए हैं। हमने उन लक्ष्यों को प्राप्त ही नहीं किया बल्कि उससे अधिक लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की है यह जनता पार्टी के कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण हुयी। जब हम किसी चोर को पकड़ने जाते हैं तो जो होता है वही हालत हमारी हुयी है। यह भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिट रहा है, उसका कारण क्या है। मिश्र जी की जेब कटी होगी तो उनको मालूम होगा उनको इसलिये पता नहीं होगा क्योंकि हम तो जेब काटते नहीं थे हमारे पास रुपया आ गया तो डर लगता है। जब जेब कतरा जेब काटता है तो वह भागता है पीछे से उसके भीड़ चलती है और कहते हैं कि भागो भागो चोर भाग रहा है तो यही बात चोर भी कहता जाता है और वह किसी गली में छिप जाता है और वह पकड़ नहीं मिलता है।

[श्री मधुकर दिघे--]

जब हम आलोचना करते हैं तो इस बात का फैसला करना होगा कि वे कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लक्ष्य में, उसकी पूर्ति के रास्ते में रुकावट डालते हैं। अगर आम लोगों की बात कही जाय कि सभी भ्रष्ट हैं तो उस हल्ला में किसी को पकड़ नहीं पायेंगे। मैं नेता विरोधी दल से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब वह इस तरह की बात करें तो स्पष्ट बात कहें। तो इस शासन की ओर से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देना चाहते हैं। हमारा फैसला है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देना चाहता हूं। इस बात पर मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं। अब मुख्य-मुख्य बातें जो नेता विरोधी दल ने चर्चा की है उन पर आता हूं। माननीय नेता विरोधी दल आंकड़ों के मामले में बड़े जानकार हैं। पहली आलोचना यह की गयी कि मैं और माननीय मुख्य मंत्री जी उस दिन नहीं थे। यह अवश्य है कि मैं और मुख्य मंत्री प्लानिंग कमीशन से बात चीत करने दिल्ली गये थे। अब जिस दिन माननीय नेता विरोधी दल को बोलना था उस दिन वे बोले नहीं। एक दिन का समय भी ले लिया था। जिस दिन वे बोले उस दिन हमको यहां पर रहना चाहिये था। लेकिन उनकी ही सलाह थी कि हमको अपने प्रदेश की योजनाओं के लिये प्रयत्न करना चाहिये तो हमने उनके बताये हुए रास्ते पर ही काम किया है। उनका कहना था कि हमको जो 810 करोड़ रुपये की योजना मिली है वह कम है और इसमें हमने जो 85 करोड़ सेंट्रली स्पौन्सर्ड स्कीम्स को मिलाकर बता दिया उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। चूंकि आंकड़ों का जाल समझ में नहीं आता है इसलिये यह भ्रम डालने की कोशिश की। वर्ष 1978-79 में हमारी जो पूरी योजना थी वह 786 करोड़ थी।

माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात को माना था कि 70 करोड़ की सेंट्रली स्पौन्सर्ड स्कीम थी जिसमें सेंट परसेंट जो अनुदान हमको मिलता है और जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है, जो सेंट्रली स्पौन्सर्ड और जो हमारी योजनायें 856 करोड़ 1978-79 में मिली थी। इस वर्ष 1979-80 में यह 85 करोड़ रुपया मिला है। इस जनता पार्टी के समय में मैं गर्व कर सकता हूं कि 2000 करोड़ रुपया जो प्रोनिधानित योजना में सेंट्रली स्पौन्सर्ड स्कीम्स अलग रही उसमें से हमने अपने फार्मूले के अनुसार प्राप्त किया नहीं तो 2/3 हमको मिलता, इतना ज्यादा न मिलता। यह 85 करोड़ रुपया एन्टारली हमारा है। इसकी योजनायें हमारे यहां पर बनेंगी। इसके अतिरिक्त सेंट परसेंट प्रोनिधानित योजना जो हमको मिलेगी वह 72 करोड़ मिलने की उम्मीद है। तो जो आपने कहा कि 85 करोड़ को हमने मिला दिया है, सही नहीं है। 72 करोड़ जो सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके लिये हमको मिलेगा जिसमें 50 प्रतिशत हमको अपनी योजनाओं में प्राविधान करना पड़ेगा, जैसा कि आपको भी करना पड़ता था और जो सेन्ट परसेंट केन्द्र द्वारा सहायता मिलेगी, उसकी संभावना है मिलेगी, उसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि 85 करोड़ रुपया मिलने पर हमारी जो सेंट्रल स्पौन्सर्ड स्कीम्स है, उनके लिये नहीं मिलेगा।

दूसरा प्रश्न जो नेता विरोधी दल ने कहा कि हम जो प्लानिंग विभाग से बांट मिला उसमें पहले वाली योजना, पिछले वर्ष की योजना में जो था इस वर्ष में प्राविधान कम हुआ है। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। उनका कहना है कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में, शिक्षा में, उद्योग में, बिजली में क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं में कम मिला है। लेकिन यह बात सही नहीं है। जो हमारे पिछले वर्ष का कन्टीन्यूड एक्सपेंन्डीचर हैं वह तो होगा ही। जो पिछले वर्ष होता रहा है उसको उन्होंने छोड़ दिया है।

एग्रीकल्चर पर 1978–79 में जो 14.70 करोड़ रुपया था वह इस वर्ष कन्टीन्यूड एक्स-पेन्डीचर को मिलाकर 17.60 करोड़ का है। 14 के मुकाबले 17 करोड़ कर दिया, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया।

शिक्षा में भी 30 मार्च तक जो ग्रान्ट्स हम देते रहे हैं वे तो देंगे ही। नेता विरोधी दल ने जानबूझ कर कुछ भ्रम पैदा कर दिया है और यह कहा है कि शिक्षा पर खर्चा कम होगा। यह बात भी उनकी सही नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैंने प्लान के बारे में कहा था।

श्री मधुकर दिघे—

286 करोड़ के ऊपर का खर्च है शिक्षा में।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्लानिंग कमीशन के सामने आप मांग रख रहे हैं या नहीं ?

श्री मधुकर दिघे—

प्लानिंग कमीशन ने भी इसको माना है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली पंचवर्षीय योजना में जो बढ़ोत्तरी रही है वह बढ़ोत्तरी अब नहीं है क्योंकि अभी तो पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृति मिली नहीं है। उसके लिए अभी भी हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। यह हमारी पंचवर्षीय योजना 5 हजार करोड़ रुपए की होगी। पिछली योजना को उन्होंने कहा कि वह 2,225 करोड़ की थी, वह भी 2,800 करोड़ की थी। चूंकि योजना अभी फाइनल नहीं हुई है, केवल इसी वर्ष की हुई है, इसलिए अभी और विस्तार से कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही उनकी परेशानी दूर करने के लिए बता दूं कि शिक्षा पर खर्च कम नहीं होगा। शिक्षा पर पहले वर्ष में खर्च कम होता है, दूसरे वर्ष उससे अधिक होता है और आखिरी वर्ष में सबसे ज्यादा होता है। यह उनके समय में भी होता आया है।

मान्यवर, यह जो आपकी योजना के आंकड़े हैं इसको मैं बताऊं तो उसमें भी यह साफ हो जायगा। एक बात मैं रियासत साहब, आप से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल जो मेरे मित्र हैं,वह अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी तो अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूं। 74 से 78 के बीच जो 8.79, 12.31, 17.52 तथा ऐसे क्रमशः हैं, तो यह क्रमशः रहेगा। शिक्षा में जब पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष आता है तो वह आमतौर से खर्च बढ़ जाता है।

मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि नेता विरोधी दल माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को वित्त के मामले में जानकारी नहीं है। केवल यह जानकारी कि इन आंकड़ों के जाल में सदन के लोगों को भड़का देंगे, तो वह समझना कि कुछ गड़बड़ है, तो यह मैं कहता हूं कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। विद्युत् परिव्यय के बारे में उन्होंने कहा, पिछले वर्ष हमने विद्युत् के लिए जो प्राविधान किया था, पिछली योजना में, वह पूरा का पूरा, खर्च हुआ है, उससे ज्यादा ही खर्च हुआ है और विद्युत् में जो यह आलोचनायें होती रहती हैं, उसमें हमारा प्रयत्न कुछ हद तक सफलता के रास्ते की दूरी ही क्यों न हो, अब चल पड़े हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें काफी जांच हो, इसको प्लानिंग कमीशन में तथा और दूसरी जगहों पर स्वीकार करना पड़ता है जो आपने गलती कर दी और इस पर ध्यान नहीं दिया, चूंकि इसका जिक्र आ गया, यह जो हमारा पब्लिक अन्डर टेकिंग है, मिश्रा जी ने और माननीय देव बहादुर सिंह जी ने आलोचना की है, करें, इसमें काफी खर्च करेंगे, तो इसमें कर लगाने की

[श्री मधुकर दिघे—]

आवश्यकता पड़ेगी । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जिस बुनियाद पर इन पब्लिक अन्डरटेकिंग्स को खड़ा करना चाहते थे, उनको खड़ा करने में वह कामयाब नहीं हुए अब हमको प्रयत्न करना है, मैं इस राय का हूं और इसको स्वीकार भी करता हूं कि इसमें काफी गुंजायश है । बहुत कुछ करने के इसमें प्रयत्न भी हमने शुरू किए हैं । कुछ हमको उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हमको कुछ हद तक कामयाबी होगी । हमने कई सेमीनार्स भी किये हैं कौन सी ऐसी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको समाप्त किया जा सकता है, तथा उन पर भी विचार किया जायगा । बहुत से ऐसे जो हमारे उपक्रम हैं, इनमें जो हमने दौलत लगाई है, इसमें हमको रिटर्न मिलना चाहिए, हमारा प्रयत्न इस तरह का है । लेकिन हमें जब तक इसमें फायदा नहीं होता, जब तक ठीक कदमों पर खड़ा नहीं कर पाते तब तक क्या हम अपने प्रदेश के विकास को अवरुद्ध कर दें । मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल और माननीय सदन के सदस्यगण इस बात की मुझे इजाजत नहीं देंगे ।

बहुत से काम करके प्रदेश में धन अर्जित किया जा सकता है, काम किए जा सकते हैं, शासन में चुस्ती लाई जा सकती है, मितव्ययिता की जा सकती है । उस तरफ प्रयत्न तो करना ही है और हम सफल भी हुए हैं । मैंने बता दिया है कि 12 करोड़ रुपए की सेविंग करने में हम कामयाब हुए हैं । यह जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, इनको मुनाफे की अवस्था में लाने के लिए प्रयत्न करना है और अगर हम कर पायेंगे तो मुझे खुशी होगी और मुझको कर लगाने का काम नहीं करना पड़ेगा । दिल्ली की सरकार द्वारा हम से अपेक्षा की जाती है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र, गुजरात आदि दूसरे प्रदेशों ने अपने संसाधन जुटाए हैं उसी तरह से हम को भी जुटाने चाहिए । यहां के लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए उन जगहों पर हाथ फैलाया है ।

मनोरंजन कर की थोड़ी आलोचना हुई । इसके लिए हम अगर ब्लाक लेविल तक सिनेमाघर बना दें तो इसमें मनोरंजन कर में काफी वृद्धि हो सकती है । तो जब तक हम वह प्रयत्न कर रहे हैं तब तक के लिए हमने थोड़ा बोझ लगाया है । यह मनोरंजन कर कोई ज्यादा तो लगाया नहीं । मैंने यह वायदा किया था कि.....।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

लगाया आपने गरीबों पर, मध्यम वाले जो देखते हैं उसमें नहीं लगाया।

श्री मधुकर दिघे—

नहीं, उसमें 50 प्रतिशत है इसमें 25 प्रतिशत ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

सदन में भी आप लगा दें।

श्री मधुकर दिघे—

माननीय उपाध्यक्ष जी अगर आप मुझे इसका मौका देंगे तो यहां पर भी लगाना पड़ेगा।

(हंसी)

मान्यवर, विद्युत् के मामले में थोड़ा जो कर लगाया उसकी भी आलोचना हुई । बनारसी साड़ी पर कर लगा दिया; तो उसे कौन खरीदता है । जुलाहों पर कौन सा

कर लगा दिया। साड़ी बेचने वाले लोगों पर 200 रुपए पर 4 रुपए और 400 रुपए पर 8 रुपए।

मैं नहीं जानता कि माननीय शतरुद्र प्रकाश खरीदते हैं कि नहीं, बनारसी साड़ी।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण दे दिया जाय। मान्यवर, बनारस के कुछ लोग माननीय मंत्री जी से मिले थे और बनारस के समाचार पत्रों में निकला था कि माननीय मंत्री जी वह टैक्स वापस ले रहे ह।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था। मैं यह समझता हूं कि यह जो मैंने कर लगाये हैं, वह प्रदेश के हित में हैं, प्रदेश के विकास के हित में हैं और वह लोग जो इस कर को बर्दाश्त कर सकते हैं उन पर लगाया गया है। ऐसे लोगों के पास जिनके पास अधिक पैसा है, वह रुपया सरकारी खजाने में लाने का प्रयास किया है जिससे हम गांव समाज की, जिला परिषद् की तरक्की कर सकें। तो मैंने जो कर लिया है वह प्रदेश के हित में प्रदेश के विकास के हित में लिया है। जो विभिन्न प्रश्न यहां उठाये गये हैं उनका मैंने जवाब दिया है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे बजट का समर्थन करें, सभी लोग। अन्त में एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने जो वित्त आयोग का प्रश्न उठाया है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि जब यह वित्त आयोग आया था तो वे उसके सामने जाना चाहते थे लेकिन मैंने उनको मौका नहीं दिया। मैं तो चाहता था कि माननीय नेता विरोधी दल वहां जाकर हमारी वकालत कर दें। मैंने तो रोका नहीं था उन्हें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस दिन वित्त आयोग आया था, उस दिन सुबह ही मुझे आपका साहित्य मिला। मुझको उसको पढ़ने का मौका नहीं मिल सका।

श्री मधुकर दिघे—

माननीय नेता विरोधी दल के पास और भी काम हैं। उन्हें और भी काम करने पड़ते हैं, जुलूस निकालते हैं उनमें भी जाना पड़ता है जेल में जाना पड़ता है, दिल्ली में तो तब भी जाना पड़ता है। मैं उनकी मजबूरी जानता हूं। मैंने तो बार-बार कहा है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी चाहे नेता विरोधी दल होने के नाते चाहे वित्त विभाग के बारे में अच्छी जानकारी होने के नाते हमारी सहायता करें। श्री श्यामधर मिश्र, श्री ऊदल, श्री रियासत हुसैन, श्री देव बहादुर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो इस बजट की आलोचना की है, प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्री होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, उनका पुराना साथी होने के नाते मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। हमारी जो अपेक्षायें थी, जो हमने आगणन किया था, उसको वित्त आयोग ने नहीं माना। लेकिन मैं कहूंगा कि यह जो वित्त आयोग है पहला वित्त आयोग है जिसने मेरी पूरी बात नहीं मानी। पुराने वित्त आयोगों के मुकाबिले में अधिक धन मिला है। पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है फिर भी जो कमियां रह गयीं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। इस बजट के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं, उसमें काफी अच्छे सुझाव भी आये हैं, चाहे वे इधर के सदस्यों के हों चाहे विरोधी दल के, इन्हें कार्यान्वित करूंगा। अन्य बातें जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है, उन्हें रखते हुए, जो भी संभव होगा, अपने बजट के इम्प्लीमेंटेशन के समय, उसको करूंगा।

[श्री मधुकर दिघे—]

मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने बजट पर सामान्य चर्चा में हिस्सा लेकर मेरी सहायता की है, उसके लिये धन्यवाद देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि बजट और हमारे अनुदानों को सम्पूर्ण सदन एक राय से, एक मत से स्वीकार करेगा और इसमें विरोधी दल से कट मोशन अब की बार नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा समाप्त हुयी।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करूंगा कि ट्रैक्टर की ट्राली पर कुछ टैक्स लगा है। इसके बारे में लोग आपसे मिले हैं। तो जो यह 50 करोड़ का टैक्स लगा है उसके सामने इसको पासंग समझ कर ट्राली पर जो टैक्स लगाया है उसको माफ करने पर विचार करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, ट्राली तो सबसे बड़े किसान रखते हैं। माननीय रियासत साहब कभी कभी बी0 एल0 डी0 वालों को कुलक होने का चार्ज लगाते हैं। तो मैं समझता हूं कि वह कहीं मुझे फांस तो नहीं रहे हैं। मैं उनकी बात स्वीकार नहीं करूंगा। किसान अब उसका उपयोग अन्य कामों में भी कर सकेगा और शासन को पैसा भी मिलेगा। मैं समझता हूं कि मैंने यह किसान के हित में किया है। माननीय रियासत साहब बड़े किसान हैं, मेरे पास तो जमीन है नहीं, लेकिन अगर वह कुछ सुझाव दे सकेंगे और वह किसान के हित में होगा तो मैं हर समय तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर चर्चा समाप्त हुयी।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मैं एक स्पष्टीकरण आपसे चाहूंगा। बनारसी साड़ियों पर आपने 2 परसेंट का टैक्स लगाया है और इससे 15—18 करोड़ की इनकम दिखाई है। क्या आप इस टैक्स को वापस लेने जा रहे हैं ?

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षा उपकर के बारे में क्या रूप रेखा है इसके बारे में नहीं बताया है। थोड़ा सा इस बारे में बता दें। ताकि प्रदेश की जनता जान सके कि क्या फायदा इस बारे में होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर चर्चा समाप्त हुयी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 में जो सूचनायें आयी हैं उनमें श्री श्याम धर मिश्र की सूचना जो प्रदेश में जहां–जहां नहरें बनाई जा रही हैं, वहां पर चकबन्दी हो और यदि हो गयी हो तो पुनः कराई जाय और इस संबंध में माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन के बावजूद

उक्त कानून न बनाये जायें, के संबंध में है, को मैंने स्वीकार किया है। शेष श्री देव, बहादुर सिंह, श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जगदीश प्रसाद पांडेय श्री मित्रसेन की सूचनायें अस्वीकृत हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, वक्तव्य कब आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

21 तारीख को।

श्री श्यामधर मिश्र—

मेरा निवेदन है कि 19 को रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—

19 को राजस्व मंत्री प्रयास करें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

19 को ग्रांट है, कैसे संभव होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

21 को ही ठीक रहेगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 21 और 22 को मैं यहां नहीं रहूंगा तो फिर 23 को रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—

23 को रख दिया जायगा।

रामनगर टण्डवा, फैजाबाद में हरिजन बस्ती पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा हमला किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, इस घटना के संबंध में वादी श्री राम प्यारे ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15 अप्रैल, 1979 को थाना कोतवाली में दर्ज कराई। क्षेत्राधिकारी तथा एस0 डी0एम0 ने मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच की। तथ्य इस प्रकार ज्ञात हुये हैं कि घटना के 6 दिन पहले श्री साबिर, निवासी मौजा रुदौली, थाना रुदौली, जिला बाराबंकी के ट्रैक्टर को एक लड़का चला रहा था और जिसकी कुछ गाली गलौज रमेश, जो वादी श्री राम प्यारे का भतीजा है और रामनगर–टन्डवा का ही रहने वाला है, से हो गई। इस बात को लेकर 14 अप्रैल, 1979 ई0 को सतीश और राम प्यारे में मारपीट हुई। पुनः सतीश सिंह ठाकुर, बदलू पासी, प्रसाद लोधी, ठुन्नी धोबी इत्यादि अन्य व्यक्तियों के साथ (कुल 8 नामजद व्यक्ति) तथा अन्य 15–20 व्यक्तियों के साथ लाठी, डंडा, फर्सा लेकर आये और गांव में आकर चिल्लाने लगे परन्तु राम प्यारे आदि अपने घर में घुस गये और रात को कोई वारदात नहीं हुई।

[श्री रमाशंकर कौशिक—]

दिनांक 15 अप्रैल, 1979 ई0 को सुबह 5 बजे उपरोक्त अभियुक्तों ने राम प्यारे, रामफेर आदि की तलाश की। रामप्यारे आदि ने घर की छतों से ईंट पत्थर फेंके तथा अभियुक्तगण साहेब दयाल के पुराने मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर गये और एक अन्य मकान से होकर छत पर गये और वहां पर उन्होंने मारपीट की। रामफेर के मकान का दरवाजा तोड़कर उसमें घुस गये तथा मारपीट की। यह बताया जाता है कि दिनेश सिंह जिनके पास नाजायज बंदूक थी, ने बन्दूक से 3–4 फायर किये परन्तु किसी को बन्दूक से कोई चोट नहीं लगी।

मारपीट में 7 व्यक्तियों को चोटें आई जिनमें 5 व्यक्तियों को साधारण चोटें पाई गई। चोट खाये हुये व्यक्तियों में से कोई भी इस समय अस्पताल में दाखिल नहीं है इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राम प्यारे ने 8 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली में दिनांक 15 अप्रैल, 1979 ई0 को 2.30 बजे लिखाई थी। इसकी सूचना थाना खंडासा को उसी दिन दे दी गई। थाना खंडासा को सूचना मिलते ही वहां के थानाध्यक्ष मय दो सब इन्सपेक्टर, 4 कांसटेबिल, दिनांक 15 अप्रैल, 1979 ई0 को ही घटनास्थल पर गये तथा विवेचना प्रारम्भ की।

अब तक की विवेचना से कुल 4 अभियुक्त 24 अप्रैल, 1979 ई0 को गिरफ्तार किये जा चुके हैं। 2 अन्य अभियुक्तों ने 26 अप्रैल, 1979 ई0 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। एक मुल्जिम ने 8 मई, 1979 ई0 को आत्मसमर्पण किया है। इस प्रकार कुल 7 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 12 मई, 1979 ई0 को चार्जशीट न्यायालय द्वारा प्रस्तुत कर दी गई। एक कथित जमदम्बा तथा अन्य अज्ञात अभियुक्तों के संबंध में जांच जारी है।

जांच से यह बात प्रकाश में आई कि मारपीट एवं झगड़ा केवल एक परिवार के सदस्यगणों से हुआ और अन्य किसी भी हरिजन परिवार से कोई मारपीट नहीं की गई तथा किसी प्रकार का सामान अभियुक्तों के द्वारा नहीं लिया गया न लूटा गया। हरिजनों के एक परिवार के विरुद्ध जो मारपीट की गई है उनमें अभियुक्तगणों में ठाकुरों के अतिरिक्त हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के अभियुक्त सम्मिलित हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार भी अभियुक्तों की ओर से 8 नामजद अभियुक्त एवं 15–20 अन्य व्यक्ति बताये गये हैं। उक्त घटना में किसी औरत या बच्चे को कोई चोट नहीं आई है। जांच से यह बात भी प्रकाश में आई कि आक्रमणकारियों ने कुछ घरों के कुछ दरवाजे तो अवश्य तोड़े परन्तु कोई घर उजाड़ा नहीं गया। जांच से यह बात भी स्पष्ट हुई कि यह घटना मुख्यतः मार-पीट किये जाने की नियत से घटी है।

दिनांक 15 अप्रल, 1979 ई0 की घटना के बाद से ही एक सब इंसपेक्टर व तीन कांसटेबिल सुरक्षा की दृष्टि से गांव में लगाये गये थे और बाद को दो सशस्त्र कान्सटेबिल भी रखे गये हैं। इस घटना के बाद किसी हरिजन से कोई झगड़ा नहीं हुआ है और स्थिति सामान्य है। फिर भी एहतियात की दृष्टि से श्री दिनेश सिंह आदि 15 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107 तथा 116 जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी जिसके संबंध में न्यायालय में कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, इस घटना की सूचना आपको देते हुये मैंने जिक्र किया था कि कई हरिजनों के घरों के दरवाजे तोड़े गए और छत पर चढ़कर हाथ पैर तोड़े गये। दूसरी चीज, यह घटना

जब घटी, तो शाम को ही सैकड़ों आदमी (जमींदारों) ने गोलबंद होकर गांव घेर लिया और रात भर घेरे रहे और सुबह हमला किया गया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि शाम को ही 15/20 आदमी आये और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक हरिजन का दरवाजा तोड़ा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो पूरा वक्तव्य दुहरा रहे हैं। कृपया प्रश्न पूंछे।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जिन लोगों पर रिपोर्ट लिखाई गयी है, उन पर किन-किन दफाओं में रिपोर्ट लिखाई गयी है और किस प्रकार चोटें आयी हैं और जो स्थानीय थाना था, वहां रिपोर्ट न दर्ज कराकर कोतवाली में क्यों रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहां तक कोतवाली में क्यों रिपोर्ट लिखाई गयी, इसका सवाल है, तो रिपोर्ट तो वादी ने लिखाया न कि हमने या शासन ने लिखाया। रिपोर्ट कोतवाली में लिखाई गयी। उसके बाद संबंधित थाने को, जहां घटना घटी थी, भेज दी गयी और तद्नुसार कार्यवाही हुयी।

जहां तक हरिजनों के मारपीट का संबंध है, जो पीटे गये हैं, वे एक परिवार से ही संबंधित हैं और अभियुक्तों के जो नाम वादी ने लिखाया है, उसमें पासी हैं जो राम प्यारे की बिरादरी के हैं, धोबी हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं और उस में और भी जाति के लोग हैं। तो यह कहना कि यह हरिजनों और अन्य लोगों के बीच झगड़ा था, सही नहीं है। एफ0 आई0 आर0 से ही इस बात का ज्ञान हो जाता है।

जहां तक किस धारा में रिपोर्ट लिखाई गयी, इसका सवाल है:—ये धारायें हैं 147, 148, 325 और 452 आई0 पी0 सी0। समय रात 8.00 बजे से 5.00 बजे सुबह।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मंत्रीजी ने अपनी रिपोर्ट में पैरा 3 में कहा है कि दिनांक 15 अप्रैल, 1979 ई0 को सुबह 5 बजे उपरोक्त अभियुक्तों ने राम प्यारे, रामफेर आदि की तलाश की। राम-प्यारे आदि ने घर की छतों से ईंट पत्थर फेंके तथा अभियुक्तगण साहेब दयाल के पुराने मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर गये। आगे मंत्री जी ने कहा कि अन्य 8 व्यक्तियों के साथ 15–20 लोग आये और चिल्लाने लगे। परन्तु राम प्यारे आदि अपने घर में घुस गये और रात को कोई वारदात नहीं हुई। सुबह पांच बजे हुयी। इसका मतलब है कि शाम को ही लोगों ने घेर लिया था। लाठी डंडों और फरसा बल्लम लेकर घेर लिया था और सुबह तक कोई हरिजन बाहर नहीं निकला। सुबह जब टट्टी, पेशाब के लिये निकले तो उनके घर पर घुस गये। मंत्री जी ने ही यह बात कही है। मैं, मान्यवर, स्वयं वहां गया था और उप अधीक्षक शुक्ला जी मेरे साथ में थे 17 तारीख को। लोगों ने बताया कि चार लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गये। तो जो वारदात हुयी है, वह शाम को ही सामूहिक रूप से घेर लिया गया था। तो, इस वारदात पर पुलिस ने अब तक क्यों कार्यवाही नहीं की जब कि सामूहिक रूप में घटना हुयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, इस प्रकार की कोई सूचना थाने में नहीं लिखाई गयी कि हम घिरे पड़े थे। वादी ने जो कहा है, उसी के आधार पर बयान है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, पुलिस उप अधीक्षक उनके साथ गये थे और उन्हें इस तरह की बात बतायी गयी। तो क्या माननीय सदस्य को इस सूचना के आधार पर माननीय मंत्री जी फिर जांच करवाने की कोशिश करेंगे ताकि सही तथ्य सामने आ जायं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, विवेचना की जा रही है और तथ्यों की जांच होगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि शाम को ही उस गांव में कुछ लोगों ने जाकर, जो लाठी, डंडों से लैस थे, उस गांव में पहुंच गये थे। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो लोग शाम को ही पहुंच गये थे, उन्होंने गांव को घेर लिया था, वह भी गैरकानूनी था और उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने, शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं कार्यवाही कर सके, तो क्यों नहीं कर सके ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, इन सारी बातों के आधार पर ही कार्यवाही की गई, कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं और चार्जशीट लगाई गई है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि थाना खन्डासा के अधिकारी, अध्यक्ष इत्यादि हरिजनों के विरोधी थे और इसी कारण उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाई ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह हरिजन वर्सेस दूसरे वर्ग के लोगों का झगड़ा नहीं है। इस में जो रिपोर्ट वादी ने स्वयं लिखाई है उस में उसकी बिरादरी के लोग भी शामिल हैं। पासी भी हैं और धोबी भी हैं। जिन लोगों को चोटें आई हैं और जिनके संबंध में यह घटना बताई जाती है, वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। ऐसा लगता है कि यह एक हरिजन परिवार का झगड़ा किसी से है जिसमें हरिजन लोग भी शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मेरे सवाल का जवाब तो आया ही नहीं। मैंने यह पूछा था कि थानाध्यक्ष और अन्य अधिकारी क्या हरिजनों के विरोधी हैं इसलिये कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई गई ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब आ गया। आप तो कल्पना कर रहे हैं। वे पहले ही कह चुके हैं कि यदि इस प्रकार की शिकायत की गई होती कि थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो कार्यवाही की जाती। इस तरह की कोई शिकायत तो है नहीं।

श्री अवधेश प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि दो तरह से दोनों पार्टी में लड़ाई हुई है, चोटें आई हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों तरफ के लोग अस्पताल में एडमिट हुए थे ? दूसरे, क्या दोनों दोनों तरफ के लोगों की नेचर आफ इन्जरीज एक सी हैं ? तीसरे, क्या नम्बर आफ इन्जर्ड परसंस दोनों पार्टी के बराबर-बराबर हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, थोड़ा सा इनके समझने में फर्क है। मैंने यह नहीं कहा कि दोनों को ही चोटें आई हैं। जो वादी ने रिपोर्ट लिखाई है उसके अनुसार उन्हीं के लोगों को चोटें आई हैं। कैसी चोटें आई हैं, यह मैं बता सकता हूं, मेरे पास रिपोर्ट है। कुछ चोटें ऐसी भी हैं जिनमें एक हाथ की हड्डी का फैक्चर भी हो गया है, सूजन है, खरोंचें भी कई लोगों को आई हैं। इसीलिये यह मुकदमा कायम है, विवेचना भी जारी है, अभियुक्त लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मंत्री जी ने बयान के पृष्ठ 2 पर लिखा है कि "इस प्रकार कुल 7 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 15 मई, 1979 ई0 को चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। मैं जानना चाहूंगा कि जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई, वह किस-किस धारा के अन्दर प्रस्तुत की गई ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, रिपोर्ट की सूचना तो मैंने सदस्य को दी। चार्जशीट वाली सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

यदि शाम को जमींदारों ने और उनके लठैतों ने हरिजन बस्ती को घेर लिया और रात भर घेरे रहे, तो क्या संबंधित थाने को इसकी सूचना चौकीदार आदि से मिली ? यदि नहीं मिली तो उसके लिये क्या आप किसी पर जिम्मेदारी निश्चित करते हैं ?

मेरी सूचना के अनुसार वहां के थानेदार ने लापरवाही की और पूरा थाना जमींदारों से मिला रहा और हरिजन बस्ती में गड़बड़ करने में सहयोग दिया। इसी डर के कारण उन्होंने रिपोर्ट दूसरे थाने में लिखाई। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि वहां पर थानेदार भी दोषी है और थाना भी दोषी है।

श्री रमाशंकर कौशिक—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है जो वादी ने रिपोर्ट लिखाई है वह लिखित रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि जाकर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई और वह कुछ लिखाना चाहते थे जो कोतवाली में नहीं लिखा गया। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है उन की तरफ से कि कोई सूचना सम्बन्धित थाने पर दी और थानेदार ने उचित कार्यवाही नहीं की। यह तहरीर में है इसको लिखा है श्याम नारायण सिंह, एच0 सी0 ने। यह उसकी पूरी लिखित रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि इस बात का जिक्र उन्होंने रिपोर्ट में की हो कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई।

श्री रियासत हुसैन—

रिपोर्ट पढ़ा दीजिए। उससे मालूम हो जायगा कि लोकल थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई गई।

श्री उपाध्यक्ष—

(मन्त्री जी से) क्या रिपोर्ट में इस तरह की बात है?

श्री रमाशंकर कौशिक—

धैर्य रखें, मैं पढ़ दे रहा हूं।

श्रीमान्, इन्सपेक्टर साहब कोतवाली शहर, फैजाबाद निवेदन है कि प्रार्थी रामनगर, टंडवा, थाना खन्डासा, जिला फैजाबाद का निवासी है और जाति का पासी है अरसा 6 दिन हुआ कि साबिर के ट्रैक्टर पर चलाने वाले एक लड़के से और मेरे भतीजे रमेश से वार्ता कहानी हुई थी। साबिर के ट्रैक्टर को सदैव जगदम्बा नाम के पंडित चलाते थे। जब यह बात जगदम्बा को मालूम हुई तो वे कल शाम को करीब 7-8 बजे रात को मेरे गांव में आए और कहे कि उस दिन ट्रैक्टर पर नया लड़का था तुम लोग पासी जाति के हो मैं अभी टडवा जाता हूं और वहां के ठाकुर सतीश आदि को लाता हूं और तब देखता हूं कि पासी कैसे रहते हैं। मुझसे व मेरे खानदान वाले से हरी बेगारी न करने के कारण टंडवा के सतीश सिंह, दिनेश सिंह आदि ठाकुरान से मुझ से रंजिश चली आ रही है इसी से जगदम्बा को उनसे बल मिलने का पूरा भरोसा था और जगदम्बा का इन लोगों से काफी मेल भी थी। जगदम्बा तुरन्त तैश में आ कर टंडवा गए और वहां से सतीश सिंह पुत्र उदय प्रताप सिंह और 2-3 आदमी को लेकर करीब 9 बजे रात को आए और मुझे बुला कर मेरे द्वार पर एकाएक एक लाठी सतीश ने मारा मैंने शोर किया मेरे शोर पर मेरा भतीजा रमेश दौड़ा और बचाव में एक लाठी उस ने सतीश सिंह को भी मारा तब वे सब भाग कर टडवा गांव में चले गए। करीब 10-11 बजे रात को सतीश सिंह तथा सतीश सिंह के भाई दिनेश सिंह और उन के रिश्तदार रंजीत सिंह, बदलू बोरासी, परसादे लौध, टुन्नी धोबी, साकिनान टंडवा और सजीवन अहिर साकिन अमानीगंज व जगदम्बा पंडित तथा 15-20 अन्य व्यक्ति जिस को हम सब देख कर पहचान सकते हैं एकाएक मेरे मकान पर पहुंच कर मारकाट की आवाज लगाने लग गये, हम तथा घर के हमारे भाई भतीजे डर के मारे अपने अपने घर में घुस गए। किन्तु वे लोग हम लोगों के घरों को घेरे रहे और घर में से बाहर निकलने के लिए ललकारते रहे। इस प्रकार रात भर हम लोगों के घरों को घेरे रहे। आज करीब 5 बजे सुबह उन लोगों ने अन्धा धुन्ध मेरे और मेरे खानदान के लोगों के घरों पर ईंटें बरसाए। दरवाजे तोड़-फोड़ कर मकान के अन्दर घुस कर मुझे व मेरे भाई साहब दयाल साहब दयाल के लड़के काली चरन, हरिचरन, बाबादीन व कालीचरन के लड़के राम दुलारे व राम फेर के लड़के ललई को डन्डा लाठ, फरसा व ईंटा से आक्रमण कर प्राण घातक चोटें पहुंचाने लगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें तो कहीं भी ऐसा नहीं है.....।

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, सुनाने दीजिए। सुना देता हूं। गांव में चारों ओर से गुहार लगी। गुहार पर मेरे खानदान के ही रामफेर, लालता, फकीरे, शिवदत्त व रमेश दौड़े आए और हम लोगों के बचाव में कुछ ईंटे गुम्मे भी चलाए। लेकिन मुल्जिमान की डर के मारे गांव के और लोग नहीं दौड़े। इस पर मुल्जिमान दल में से दिनेश सिंह ने 3-4 फायर भी किया किन्तु फायर से हम लोग बचाव करने में सफल रहे। बाबादीन, हरिचरन को प्राण घातक

चोटें पहुंचीं। राम कुमार व हरिचरन के दांत भी टूट गए हैं। इसके अलावा कालीचरन, साहब दयाल, ललई और मुझे गम्भीर चोटें आई हैं। गुहारियों के दबाव बढ़ने पर मुल्जिमान भाग निकलने में सफल रहे। मुल्जिमान के डर के मारे मैं थाना खन्डासा न जाकर रुदौली होता हुआ फैजाबाद आया हूं। चोटहिलों को साथ लाया हूं। घटना की लिखित रिपोर्ट देता हूं। कृपया अविलम्ब वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा की जावे। प्रार्थी राम पियारे पुत्र गनपत, साकिन रामनगर टंडवा, थाना खन्डासा, फैजाबाद, दिनांक 15 अप्रैल, 1979 (ह0) राम पियारे।

लेखक एफ० आई० आर० श्याम नारायन सिंह एच0 सी0 15-4-79

श्री अवधेश प्रसाद--

राम प्यारे ने जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है उनमें से भी कोई अस्पताल में भर्ती हुआ और अगर कोई हुआ तो उसके कितनी चोटें आयीं? दूसरे राम प्यारे कितने दिन तक जिला अस्पताल, फैजाबाद में रहे और उनके कितनी चोटें आयीं?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मैंने पहले ही बतला दिया कि जिन लोगों के खिलाफ राम प्यारे ने शिकायत लिखवाई उनमें से कोई घायल नहीं हुआ, न अस्पताल में भरती हुआ। जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है। और जिनके नाम रिपोर्ट में आए हैं वही अस्पताल में दाखिल हुए और उन्हीं के चोटें आयीं। जहां तक राम प्यारे का ताल्लुक है उनके कोई चोट नहीं आई है, बाकी सबके चोट आई। राम प्यारे की पीठ में केवल दर्द बतलाया गया है और चोट का कोई निशान उनके नहीं पाया गया।

श्री राम सजीवन—

जब हरिजन बस्ती घिर गई रात में तो क्या चौकीदार ने सम्बन्धित थाने में कोई सूचना दी? यदि नहीं दी, तो उस दिन उस गांव में थाने के कोई सिपाही गश्त पर गए थे और उन सिपाहियों ने कोई सूचना दी कि हरिजन बस्ती घिरी है? नहीं दी, तो क्यों नहीं दी?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जहां तक चौकीदार का सम्बन्ध है, हो सकता है उस मजरे में कोई चौकीदार न हो क्योंकि वह छोटा सा मजरा है। जहां तक सिपाही की बात है, मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री मित्र सेन—

बयान में है कि दिनेश सिंह के पास नाजायज बन्दूक थी उसने नाजायज फायर किया बन्दूक से लेकिन कोई चोट नहीं आई तो जिस व्यक्ति के पास नाजायज बन्दूक थी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और बन्दूक बरामद की गई या नहीं? दूसरे जगदम्बा सिंह तथा अन्य अभियुक्त जो फरार हैं और जो बन्दूक चलाने वालों के साथ गए थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री रमाशंकर कौशिक—

उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए दफा 82/83 की कार्यवाही की गई है। अब यह विवेचना का सवाल है क्योंकि वादी राम प्यारे कह रहा है कि बन्दूक चली, जब कि बन्दूक की कोई चोट किसी के नहीं पाई गयीं, न बन्दूक छीनी गई।

श्री रियासत हुसैन—

वादी ने रिपोर्ट लिखाई है कि अनलाइसेन्स्ड बन्दूक थी?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मैं माननीय रियासत हुसैन जी को बताऊं कि हमारे पास जो सूचना मिली है उसी के आधार पर मैं आपको सूचना दे रहा हूं । अभी तो विवेचना हो रही है ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मैं पूछना चाहता हूं कि एक्यूज्ड गिरफ्तार घटना के कितने दिन बाद हुआ और कितने लोग गिरफ्तार हुये ? यह भी बता दें कि उनके ऊपर 82/83 की कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यदि माननीय सदस्य बयान को पढ़ते तो उन्हें मालूम हो जाता । 24 अप्रैल, 1979 को 4 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये, 26 अप्रैल, 1979 को 2 लोगों ने आत्मसमर्पण किया, 6 मई, 1979 को एक आदमी ने आत्मसमर्पण किया और कुछ व्यक्ति भागे हुये हैं उनकी तलाश की जा रही है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह हरिजनों और सवर्णों का झगड़ा नहीं है । क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जैसा कि वह अभी एफ0 आई0 आर0 में पढ़ रहे थे, उस पर किसके दस्तखत हैं, क्या उस पर अंगूठा लगा है ? मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां के एस0 ओ0 मिले हुये हैं और उसी ने झगड़ा करवाया है तभी उन्होंने दो-तीन नाम बढ़ाये हैं . . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप कल्पना की बात कर रहे हैं ।

शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली बसों के भाड़े में 25 प्रतिशत वृद्धि करने के सुझाव के विषय में दिनांक 8 मई, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुये यह स्पष्ट नहीं किया था कि शासन ने 25 प्रतिशत किराया बढ़ाने की सिफारिश की है या निगम ने शासन से यह आज्ञा मांगी है कि हम 25 प्रतिशत किराया बढ़ा दें । श्रीमन्, मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है और मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो किसी व्यक्तिगत क्षेत्र के मुकाबले में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक अच्छा क्षेत्र समझता हूं । इसलिये चाह भी रहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ हो । लेकिन लाभ से अधिक जनता की सुविधा का ध्यान रहता है । क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य मकसद केवल लाभ कमाना ही नहीं होता है । पहले जनता को सुविधा पहुंचाना होता है । जिस तरह से रोजाना शिकायतें आ रही हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि परिवहन निगम में चोरियां हैं । इनको रोका जाना चाहिये । यदि इस बात को रोका जाय तो मैं समझता हूं कि किराया बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । वर्कशाप में जो चोरी होती है, उसको भी रोका जाय । सही सामान के बदले जो डुप्लिकेट सामान बसों में लगता है और सही सामान बाजार में बेच दिया जाता है जिससे बसों की लाइफ कम हो जाती है, इसको रोका जाय । बिना टिकट जो यात्रा करते हैं उनको भी रोका जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भूतपूर्व मंत्री जो इस विभाग के थे, आज दूसरे विभाग के मंत्री हो गये हैं—आबिद अली अन्सारी—वे जब आगरे गये थे तो मैंने उनसे बताया था कि वहां पर किस तरह से प्राइवेट बसें चलती हैं । वहां सड़कों पर प्राइवेट बसें चलती हैं और उन पर लिखा होता है—उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से अनुबंधित । विधान सभा में माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने बताया और प्रदीप जी ने बताया कि जब कल रात वह फैजाबाद से बस में आ रहे थे तो एक बस में बैठे जिसमें लिखा था कि यू0 पी0 आर0 टी0 सी0 से अनुबन्धित, गोरखपुर डीपो । उसमें वह बैठ गये यह सोच कर कि इसका ड्राइवर प्राइवेट होगा और परिचालक निगम का होगा उस बस में विधायक सीट भी लिखा हुआ था । प्रदीप जी ने बताया कि उसमें दो सहवर्ती जो बैठे थे उन्होंने कहा कि आप कहां आ गये हैं । उस बस के सभी यात्रियों से किराया भी वसूल किया लेकिन कोई टिकट नहीं दिया । आगे चल कर जब बस खराब हो गई तो यात्रियों ने कहा हमारा पैसा वापस दो उन्होंने पैसा भी नहीं दिया । तो इस प्रकार की बसे चल रही हैं जिनमें विधायक सीट भी लिखा रहता है । यह हर रूट पर आपको मिलगी, ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जिसमें प्राइवेट बसें न चल रही हों । मैंने माननीय आबिद अली साहब को बताया था, उन्होंने मेहरवानी करके उसे ठीक भी किया । आगरा में जहां पर निगम का बस अड्डा है आगरा फोर्ट के पास उसके करीब एक सौ गज की दूरी में प्राइवेट बस अड्डा है और वह उस जमीन पर है जो मिलिटरी इस्टेट की जमीन है । यह अड्डा उस जमाने में बना जब इमरजेन्सी की स्थिति थी । नियम यह है कि जहां पर निगम का अड्डा होगा उससे एक कि0 मी0 से कम दूरी पर प्राइवेट अड्डा नहीं हो सकेगा । आगरा में कोई रूट ऐसा नहीं है जो कि नेशनलाइज्ड न हो लेकिन ऐसा भी कोई रूट नहीं है जिसमें प्राइवेट बस न चलती हों । निगम की बस पीछे से चलती हैं और प्राइवेट बस आगे से सवारियां लेती चलती हैं । पुलिस और निगम के कर्मचारी पैसा लेते हैं । मैं कहते-कहते थक गया हूं कि यह राष्ट्रीकृत मार्ग है लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती है । इसलिये मेरा कहना है कि यह 25 प्रतिशत वृद्धि का औचित्य तब तक सिद्ध नहीं होता है जब तक निगम की वर्कशाप में चोरी नहीं रोकी जाय और बिना टिकट यात्रियों को न पकड़ा जाय तथा राष्ट्रीयकृत मार्गों में प्राइवेट बसों का चलना बन्द न किया जाय ।

(परिवहन मंत्री को पुकारे जाने और श्री हुक्म सिंह परिहार के खड़े होनेपर) ।

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय परिहार जी को भी बोलने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्यामदत्त पालीवाल का नाम पहले था तो मैंने उनको पहले बुला लिया । अब पहले माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाय उसके बाद फिर और लोग प्रश्न पूछेंगे ।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, नियम 49 के अन्तर्गत जो सूचना दी गई है उसमें तीन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । इसमें एक विन्दु जिसका माननीय पालीवाल जी ने काफी विस्तार से चर्चा की वह पहला विन्दु है । इस सम्बन्ध में एक चीज स्पष्ट रूप से मैंने उस दिन प्रश्न के उत्तर के समय मैंने कह दी थी कि यह 25 प्रतिशत वृद्धि का सुझाव निगम की ओर से किया गया है जो शासन के समक्ष विचाराधीन है । तो मैं समझता हूं कि उस दिन ही स्पष्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय --]

कर दिया था और आज पुनः स्पष्ट कर दूं । इसमें कोई शंका की गुंजायश नहीं है यह निगम की ओर से सुझाव आया है । दूसरी बात भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं । निगम ने सुझाव दिया है 25 प्रतिशत किराये में वृद्धि करने के लिये, लेकिन इसमें अभी शासन में विचार हो रहा है और विचार करते समय पालीवाल जी के सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक और शालीनतापूर्वक विचार कर लिया जायेगा । निगम का कहना है कि 75 में थोड़ी वृद्धि हुई थी और उसके बाद 4 वर्षों में रोडवेज के किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जब कि कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि हो गई है और बसों के दामों में भी वृद्धि हुई है । जैसे टाटा के चेसीज में 30 प्रतिशत, लेलैण्ड की कीमत में 37–38 प्रतिशत और टायर्स की कीमत में 57 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है । इस प्रकार एक ड्राइवर का वेतन जो उस समय 260 रुपया था, आज 493 रुपया प्रति माह है । फिर भी इस बात को मानता हूं कि निगम के सुझाव पर विचार नहीं करने की आवश्यकता है और शासन उस पर विचार कर रहा है । यह कोई आवश्यक नहीं है कि निगम के सुझाव को पूरे का पूरा मान हीं लिया जाय, लेकिन जब तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं होता हमारे लिये स्पष्ट रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

अनुबन्धित बसों का जहां तक प्रश्न है, चूंकि निगम के लिये सभी मार्गों पर अपनी बसें चलाना संभव नहीं हो पाता, इसलिये प्राइवेट लोगों से किराये पर बसों को लेकर निगम की ओर से चलाया जाता है । 31 मार्च, 1979 तक 5,645 बसें निगम की थी और इसके अतिरिक्त 370 बसें निगम द्वारा किराये पर लेकर अनुबन्धित कर चलाई जाती थीं । जहां तक असुविधाओं की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, वे सही हैं । जनसाधारण और माननीय विधायकों को कुछ कठिनाई होती है । किन्तु जब भी इस बारे में जानकारी कराई जाती है, शासन की ओर से कार्यवाही कराई जाती है । यह भी ठीक है कि आज मार्गों पर भीड़ ज्यादा है । चूंकि बसों की संख्या कम है, इसलिये भीड़ अधिक होती है । अनधिकृत संचालन की जहां तक समस्या है, वह भी किसी हद तक ठीक है कि उनके परमिट किसी दूसरे मार्ग के होते हैं, लेकिन वे उन मार्गों पर भी चलाने का प्रयास करते हैं, जिसके लिये उनके पास परमिट नहीं होते हैं । जहां उनको नहीं चलाना चाहिये । इसको रोकने की शासन की ओर से पूरी कोशिश की गई है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि यह बुराई पूरी तरह से समाप्त हो । मुझे पूरी आशा है कि नागरिकों और विधायकों के सहयोग से हम अनधिकृत बसों को रोकने में सफलता प्राप्त होगी ।

*श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मेरा निवेदन है कि कोई भी टैक्स लगाया जाय, उसमें सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि यह टैक्स कहां जा रहा है—गरीब जनता पर या उस जनता पर जो उसको बरदास्त करने लायक है । जनता पार्टी के घोषणा पत्र में गरीबों की गरीबी मिटाने के लिये और समाजवाद लाने के लिये कई बातें कही गई हैं । मेरा विचार है कि बसों का जो किराया बढ़ेगा, वह सीधे गरीबों पर प्रहार होगा । और बड़े बड़े लोगों, कार, जीप और स्कूटर्स वाले लोगों पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा । इसलिये यह पार्टी घोषणा पत्र के विरुद्ध है । मेरे मित्र रमाशंकर कौशिक जी जो हंस रहे हैं श्रीमन्, यह सोशलिस्ट पार्टी से आते हैं, मूल सोशलिस्ट पार्टी से चार पांच आदमी बैठे हैं, मालवीय जी, बोस जी, मधुकर दिघे जी, कौशिक जी, यह सब उसी में आते हैं। मुझे मालूम है कि इन मेरे दोस्तों ने जब कभी किराया बढ़ाने की बात आई तो उन्होंने एजीटेट किया। इस संदर्भ में आलोचना की जाती है। वह हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूं, टैक्स न बढ़ाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

जाय, वह गरीबों पर जायगा। मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। इतना बदल गए हैं, यह उधर बैठ कर, मुझे इस बात पर दुख है। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं मालवीय जी से।

(व्यवधान) मलखान सिंह जी जनसंघ के हैं। उनको पूंजीपति कहते थे। उनसे क्या मतलब है? आज वह कुछ भी हो गए। लेकिन उनसे क्या मतलब? मैं उनसे कह रहा हूं जो किसान मजदूर, गरीबों के हिमायती थे। वित्त मन्त्री जो पूरे बजट के हैं, इस बजट का समायोजन करें किसी प्रकार से और गरीबों पर टैक्स न लगाएं। आप मन्त्री हैं सोशलिस्ट पार्टी से आते हैं। जो गरीबों के हिमायती हैं। इस टैक्स का मैं विरोध करता हूं। मेरा नम्र निवेदन है कि इस टैक्स को न बढ़ाएं।

(श्री मोती राम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे कहा था, बोलने का मौका दिया जायगा, आप हमेशा मेरे साथ अन्याय करते हैं। आपने कैसे नाम ले लिया?

श्री उपाध्यक्ष—

मै अन्याय किसी के साथ नहीं करता। मैं सबके साथ न्याय करता हूं।

*श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं दो तीन स्पष्टीकरण चाहता था। मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है किराया बढ़ाने का (व्यवधान) जो सोच रहे हैं, जो निगम ने प्रस्ताव रखा है। पूरे प्रदेश में मन्त्री जी के मन्त्रालय ने मिनी बसेज को पूरे प्रदेश में कंट्रैक्ट परमिट दे रखे हैं। मैं बताना चाहता हूं, लखनऊ–कानपुर मार्ग पर रोजाना कम से कम 50 मिनी बसेज चलती हैं। वह मिनी बसेज कलेक्टरगंज बस अड्डे पर खड़ी हो कर पांच रुपए के हिसाब से सवारियां बैठाती हैं। इधर चारबाग में बस अड्डे पर पांच रुपए के हिसाब से सवारियां बैठाती हैं, जब कि आपकी बस का किराया 5 रुपए 55 पैसे हैं।

आपके कमिश्नर, आर0 टी0 ओ0 आपके विभाग के सारे कर्मचारी, पुलिस के थाने इस बात की साजिश किए हुए हैं और 15 हजार रुपए प्रति रोज का नुकसान निगम की बसों को हो रहा है। मिनी बसेज पचास की जगह 70 सवारियां ढो रही हैं। और निगम की बसेज खाली जाती हैं। मैंने और कई विधायकों ने भूतपूर्व परिवहन मन्त्री से कहा कि मिनी बसेज का किराया, जो कंट्रैक्ट कैरेज के परमिट दिए हुए हैं, चेक कर लिया जाय। निगम की करोड़ों रुपए महीने की आमदनी बढ़ जायेगी। कंडक्टर, स्टेशन मास्टर सबके सब मिले हुए हैं। इस तरह से जो सरकार का पैसा दूसरों की जेबों में जा रहा है, आपके विभाग के अधिकारियों की साजिश से, मुझे यहां तक बताया गया है, उसमें बड़े–बड़े राजनीतिज्ञों का हाथ है, उसमें उनको हिस्सा दिया है, मुझे यहां तक सूचना दी है कि लखनऊ की इमारतों में भी कुछ एप्रोप्रिएट हो रहा है, हालांकि कहना चाहिए मिसएप्रोप्रिएट हो रहा है। मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इस सदन को यह बतायेंगे कि केवल कानपुर–लखनऊ रूट पर 15 हजार रुपए की हानि सरकार को हो रही है, उसे पहले रोके तब दूसरी ओर सोचे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मान सिंह आजाद—

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे भी अवसर प्रदान किया।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मान सिंह जी एक दो मिनट से ज्यादा नहीं लेते हैं। हल्ला चाहे जितना मचावें।

*श्री मान सिंह आजाद—

माननीय मन्त्री जी ने जब ओथ लिया था तब उन्होंने कहा था कि किराया नहीं बढ़ाया जायगा। मेरा कहना है कि जो यह ट्रान्सपोर्ट निगम है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार से ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट पहले था उसी प्रकार से बनाया जाय। बस स्टेशनों पर जो आरामगृह कर्मचारियों और यात्रियों के लिए बने हैं वहां पर शौचालय, पेशाब घर और पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं बस स्टेशन इम्प्लाइज, लखनऊ रीजन का प्रेसीडेन्ट हूं। मैं करीब-करीब रोज वहां पर बैठता हूं। उन शौचालयों तथा पेशाब घरों की सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रोड बस स्टेशन के सामने मिनी बसे और टैक्सियां खड़ी होती हैं और वह जबरदस्ती सवारियों को ले जाते हैं। चेयरमैन, एच० एन० सिंह तथा प्रशान्त साहेब मिलकर उन बसों से पैसा लेते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब से यह ट्रान्सपोर्ट खुला है, तब से जो नए पार्ट्स खरीद कर दिए जाते हैं तो उनको रजिस्टर में चढ़ाया जाता है लेकिन जो पुराने पार्ट्स खत्म कर दिए जाते हैं उनका कोई रजिस्टर नहीं है। अगर यह बता दें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। आज तक उस पुराने लोहे का पता नहीं है। रैदास मन्दिर तक सरकारी बसें जाती हैं लेकिन वहां पर भी मिनी बसें जाती हैं। हनुमान जी का जो मेला हुआ उस में प्राइवेट बस वालों ने बड़ी ज्यादतियां यात्रियों के साथ किया। औरतें के जेवर लूट लिए गए। सरकारी रूट पर प्राइवेट बसें क्यों चलती हैं। यह उनसे रुपया खाते हैं। किराया बढ़ाने की जो बात कही गई है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री अजीत सिंह सेठी से) आप अपने सुझाव संक्षेप में रखें 6-5 बजे तक इसे चलना है और माननीय पालीवाल जी तथा मन्त्री जी को बोलना भी है।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, प्राइस हर चीज के बढ़े हैं, टायर के बढ़े हैं, इंजन के बढ़े हैं तथा दूसरी और जो चीजें हैं उनके भी बढ़े हैं। फूड प्राइस कन्ट्रोल सेन्टर करता है उसी के मुताल्लिक गेहूं का रेट तय होता है और चावल का दाम तय होता है। कई संस्थाओं ने और यहां विधान सभा में भी पेश हुआ कि इनका दाम बढ़ाया जाना चाहिए। यह चीज ठीक है कि प्राइस बढ़ गई है, लेकिन जो माननीय सदस्यों ने कहा है उन पर भी विचार करना चाहिए। ऐड-मिनिस्ट्रेशन ठीक हो तो भी बहुत सी चीजें समाप्त हो सकती हैं। गरीब जनता पर जो प्राइस बढ़ने का भार पड़ेगा वह केवल उस पर ही रहेगा। हमारे खाद्य मन्त्री बैठे हैं। अगर आप किराया बढ़ायेंगे तो प्राइवेट बसेज वाले और टैक्सी वाले भी रेट बढ़ायेंगे। इसलिए मैं किराए को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं समझता हूं। चीजों के दाम जो बढ़ गए हैं, उनको पूरा करने के लिये माननीय सदस्यों ने बहुत सी चीजों को बता दिया। उनके अनुसार आप अपने परिवार की वर्किंग को ठीक करें। रूट्स पर जो प्राइवेट बसेज अनधिकृत रूप से चल रही हैं, उनको रोकिए। आप किराए को बढ़ाने की बात न सोचिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी बसों के किराए को बढ़ाने के पूर्व उन सब प्रश्नों पर विचार करेंगे कि जितने हमारे रोडवेज के डिपो हैं, उनकी गाड़ियों की क्या हालत है, उनमें से कितनी चलने लायक हैं और कितनी नहीं। कितनी गाड़ियां ऐसे रुट पर चल रही हैं जहां पर घाटा ही घाटा है। मुझे मालूम है कि बनारस में एक ए0 जी0 एम0 आए हैं, वे आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने गांव के रूट पर कई गाड़ियां लगा दी हैं जहां पर कोई भी आमदनी नहीं है और घाटे पर चल रही हैं तो क्या किराया बढ़ाने के पूर्व इस बात की जांच करायेंगे कि ऐसे रूट पर बसे न चलाई जायं जहां पर घाटा ही घाटा हो रहा है। इंदिरा होटल, वाराणसी को एक बस को अनुबन्धित किया गया है जो बनारस से सोबौला जाती है। उसी की दूसरी बसें जिला अनुबन्धित के वाराणसी से सोनौली जाती है। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच कराई जाय कि वहां पर उससे लोग कितना कमीशन खाते हैं। अगर आप इस प्रकार से पैसा बचा सकते जो चोरी हो रही है उसको बचा सकते हैं तो किराया बढ़ाने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन अगर इन सब बातों पर विचार करने के बाद घाटा दिखाई पड़े तो आप इस प्रश्न पर विचार कर लें?

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

जो निगम द्वारा बसें चलती है क्या उन्हीं पर महंगाई का असर हुआ है या जो प्राइवेट बसेज हैं उन पर भी हुआ है जैसे कानपुर से लखनऊ जो बसे चलती हैं या कानपुर से इलाहाबाद की प्राइवेट बसेज चलती हैं, वे 16 रुपए प्रति दिन देती हैं। तो जब उनको 16 रुपया प्रति दिन देकर भी घाटा नहीं होता है तो इनके निगम की बसेज को क्यों घाटा होता है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार इन निगमों में फंस गई है। जब निगम बन गए हैं तो सरकार की ही क्या जरूरत है? इनको खत्म करना चाहिए। दूसरी चीज जो अनुबन्धित बसे चल रही हैं और मिनी बसेज चल रही हैं, उनसे भी बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। जितने परिचालक हैं, जो इन्सपेक्टर आदि को रुपए नहीं देते हैं उनको ही हमेशा पकड़ा जाता है, मुअत्तल किया जाता है, हटाया जाता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इन सब बातों पर विचार करें प्रस्तावित किराया बढ़ाने की बात पर विचार करें क्योंकि इसके बढ़ाने पर बड़ा आन्दोलन खड़ा हो जायगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि जब तक निगम की अनियमितताओं को दूर नहीं करेंगे तब तक कोई किराया नहीं बढ़ायेंगे?

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, हमको एक दोहा याद आता है जो बहुत पुराना है "जो राजा होए बेकारी, तो प्रजा होए भिखारी"। हमारे माननीय मन्त्री जी अनुबन्धित बसों को 1 रुपया 40 पैसे में चला रहे हैं। वे लोग 1 रुपया 40 पैसे प्रति किलोमीटर देने के बाद भी मुनाफे में चला रहे हैं लेकिन निगम को कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो क्या और अनुबन्धित बसें चलाने की कृपा करेंगे?

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या किराया बढ़ाने के पूर्व आप निगमों की जांच करायेंगे और दूसरा प्रश्न यह है कि निगम की जो बसें चलती हैं उनके जो डिपोज हैं उनसे जो सामान की चोरी होती है उस चोरी की जांच पहले करायी जाये और जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाये ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि वर्कशाप में जो डुप्लीकेट सामान आता है और जिसके कारण बहुत हानि हो रही है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि हम आये दिन देखते हैं कि बिना टिकट काफी यात्री चलते हैं और उसके कारण भी सरकार को हानि होती है । सरकार ने चेकिंग का सिस्टम जो निकाला है वह अधिक कारगर साबित नहीं हो रहा है ।

तीसरे गैरकानूनी ढंग से गलत रुट्स पर जो बसें चलती हैं उनको भी रोका जाये, उसके कारण भी काफी हानि होती है । इसको क्या सरकार पहले रोकने का प्रयास करेगी ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

किराया बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में जितनी चिन्ता इस माननीय सदन के सदस्यों को है उससे कम मुझे नहीं है । मैंने शुरू में ही निवेदन किया था, माननीय सदस्यों ने जो सलाह दी है उस पर अवश्य विचार किया जायेगा । किराये की जो चोरी होती है उसको रोकने के लिये भी कारगर कदम उठाये जायेंगे । कार्यशालाओं में जिस प्रकार की अनियमिततायें हो रही हैं उसको भी रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । साथ ही साथ मितव्ययिता की ओर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा । सामानों और प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता करके काफी बचत की जायेगी । जिस बात की ओर माननीय मोती राम जी ने ध्यान आकर्षित किया है उस ओर भी सरकार ध्यान देगी । जो अनधिकृत रूप से बसें चलती हैं उनको भी रोका जायेगा ।

मान्यवर, निगम का यह कहना है कि अगर यह किराये में वृद्धि नहीं की जायेगी तो निगम को वर्तमान आर्थिक वर्ष में 22 करोड़ 45 लाख का घाटा होगा । (व्यवधान)

मैंने स्वयं शुरू में कहा था कि मैं स्वयं इसका परीक्षण करा रहा हूं और सचिवालय स्तर के अधिकारी उसको देख रहे हैं । मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार आंख मूंद कर निगम के सुझाव को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी, जो आपने सुझाव दिये हैं उन पर भी विचार किया जायेगा । यह मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं । माननीय सदस्यों में जो भी सुझाव दिये हैं, उसे मैंने नोट कर रखा है और उनके सुझाव विचारणीय हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
17 मई, 1979 ।

पी० एस० यू० पी०—11 वि० सभा—3-5-80—835 (हिन्दी)